खण्ड-149, अंक-4
बुधवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1876
(23 फरवरी, 1955 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 149 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २३ फरवरी, १९५५

विधान सभा की बैठक, सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२०)

अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन, ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छक्कन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल, सगर, श्री
छेदालाल, श्री

छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम श्री
डल्लाराम, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ,कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली , श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनार्थसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद, सिंह, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री

भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री

लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह , श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

२३ फरवरी, १९५५

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२३ मार्च, १९५५ लिये स्थगित किये गये।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी मिर्जापुर की बिल्डिंग को क्षति

*३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चुर्क (मिर्जापुर) की सरकारी सीमेंट फैक्टरी की चूना कूटने वाली मशीन और उसकी भट्ठी टूट गई है?

नियोजन उप-मंत्री (श्री फूलसिंह)—जी नहीं।

*४—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार उसके कारणों को सदन के सम्मुख रखने का कष्ट करेगी?

श्री फूलसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि इसमें सरकार की कितनी हानि हुई है और वह आगे क्या कार्यवाही इस विषय में कर रही है?

श्री फूलसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन्हें किसी प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री की बिल्डिंग में नुकसान होने की सूचना मिली थी?

श्री फूलसिंह—पिछले सप्ताह छत टूटने की बात आई थी लेकिन उसमें कोई नुक्सान नहीं हुआ। अलबत्ता यह जो क्रशर है उसमें मोडीफाई की जरूरत पड़ती रही, इसलिये उसे बन्द करना पड़ा।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां बिजली की मोटर में भी कुछ खराबी आ गई थी?

श्री फूलसिंह—बहुत मुमकिन है, मगर यह तो प्रश्न नहीं था। इतनी बड़ी फैक्ट्री है कुछ न कुछ खराबी कहीं न कहीं आती रहती होगी।

*६-८—श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—[१६ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*९-१०—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—[२३ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

कोटद्वारा-गढ़वाल की शराब की भट्ठी तोड़ने के लिए प्रार्थना

*११—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि जिला गढ़वाल Excise Advisory कमेटी ने कोटद्वारा-गढ़वाल की शराब की भट्ठी तोड़ने की सिफारिश की थी? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निश्चय किया है?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या यह सही है कि कोटद्वारा के नागरिकों ने कितने ही आवेदन-पत्र इसको तोड़ने के सम्बन्ध में भेजे हैं ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, भेजे हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गिरधारी लाल—एडवाइज़री कमेटी तथा जिला अधिकारियों की जो रिपोर्ट आई है उसको देखते हुये कोटद्वारा की दूकान को तोड़ना मुनासिब नहीं समझा गया।

*१२—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[३ मार्च, १९५५ के लिये प्रश्न संख्या ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ तथा बलिया जिलों की रेह मिट्टी को प्रयोग में लाने का विचार

*१३—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि जिला आजमगढ़ के पूर्वी और जिला बलिया के पश्चिमी भाग में रेह (एक प्रकार की मिट्टी) अधिक मात्रा में पाई जाती है, यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि पर यह रेह है ?

श्री फूलसिंह— (अ) जी हां।

(ब) ठीक-ठीक रकबा ज्ञात नहीं है।

*१४—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार को पता है कि कुछ माह पूर्व मुख्य मन्त्री को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था कि इस रेह मिट्टी का परीक्षण करा कर इसको कुटीर उद्योग का रूप दिया जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री फूलसिंह—प्रार्थना-पत्र सरकार को मिला था जो उचित कार्यवाही के लिये संचालक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, कानपुर को भेज दिया गया था।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, सरकार से उत्तर मिला है कि वह भूमि जिसमें रेह होती है उसका रक़बा नहीं मालूम है तो क्या सरकार इसको पैमाइश करने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—पैमाइश करने में कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि तमाम जिलों में इतना रेह पड़ा है कि उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुये थे ?

श्री फूलसिंह—यह तो सवाल में लिखा है कि चन्द महीने हुये।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेह किस किस काम में आती है ?

श्री फूलसिंह—रेह से सोडा ऐश और सोडा कास्टिक बनाया जाने लगा था। मगर उस वक्त सोडा ऐश की कीमत ५० रुपये फी हंडरवेट थी जो अब गिर कर १० रुपये रह गयी है इसलिये उसके बनाने में अब कोई लाभ नहीं है। इससे और क्या चीज़ बनायी जा सकती हैं जिससे कुछ नफा भी हो, उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार को पता है कि संचालक, उद्योग विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री फूलसिंह—वहां से यह जवाब आया है कि प्रश्न विचाराधीन है।

बस्ती जिले में नवीन चिकित्सालय खोलने का विचार

*१५—श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में बस्ती जिले में कहां-कहां आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाखानों के खोलने की योजना है ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—इस वित्तीय वर्ष में बस्ती में नये दवाखाने खोलने की योजना नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कब और कितने यूनानी और आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कहा है कि योजना नहीं है। उससे यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह पुनः इस पर विचार करेगी कि बस्ती जिले में अस्पताल खोले जायं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकार बस्ती जिले में, पंचपोखरी, शनिचराबाजार और तरय्याबार में नये चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बता देना चाहता हूं कि इस समय बस्ती जिले में ३९ अस्पताल काम कर रहे हैं। जिला बस्ती का जो क्षेत्रफल है वह २ हजार ८ सौ २२ वर्गमील है। जैसा कि सरकार का लक्ष्य है कि पांच मील के रेडियस के अन्दर एक अस्पताल हो, उसके अनुसार ३६ अस्पताल या औषधालय बस्ती जिले में खुलने चाहिये। लेकिन फिर भी सरकार इन तीन औषधालयों को खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

पंजाब शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, घुघली, जिला गोरखपुर से सेस की वसूली

*१६—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चीनी मिल घुघली, जिला गोरखपुर से सन् १९४७ ई० से अब तक कितना रुपया सेस से सरकार को प्राप्त हुआ है तथा वह सेस का रुपया किस कार्य के लिये लिया जाता है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—पंजाब शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड, घुघली से १९४६-४७ क्रशिंग सीजन से ७ जनवरी, १९५५ ई० तक कुल २६,२२,२१५ रु० ३ आने सेस से वसूल हुआ। सेस सरकार का एक सामान्य कर है और तद्नुसार उसका उपयोग होता है।

राजकीय क्षय चिकित्सालयों पर व्यय तथा उनमें भर्ती के नियम

*१७—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में राजकीय क्षय चिकित्सालय तथा सेनीटोरियम कहां-कहां हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१४ पर)

नोट—तारांकित प्रश्न १५ श्री शिवनारायण ने पूछा।

*१८—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार यह बतायेगी कि राजकीय क्षय चिकित्सालय में रोगी के दाखिले के क्या-क्या नियम हैं और प्रति रोगी मासिक व्यय क्या होता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—दाखिले के लिये रोगी को क्षय चिकित्सालय के अध्यक्ष को प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ता है । इसके साथ उसे नैदानिक प्रमाण-पत्र एक्स-रे रिपोर्ट या फोटो भी भेजना पड़ता है । अध्यक्ष तब यह निर्णय करता है कि रोगी क्षय चिकित्सालय के योग्य है अथवा नहीं । यदि वह उस चिकित्सालय के योग्य है तब उसको या तो भरती कर लिया जाता है या यदि शय्या खाली नहीं है तो उस का नाम उस श्रेणी के अन्य रोगियों के साथ लिख लिया जाता है, जिसमें वह अपना दाखिला चाहता है । यदि रोगी को निःशुल्क शय्या उपलब्ध न होने के कारण भर्ती नहीं किया जा सकता तो रोगी की इच्छानुसार उसे शुल्क शय्या में भर्ती किया जाता है या उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उसको बारी न आ जाय ।

राजकीय क्षय चिकित्सालय भवाली, गेठिया, डाकपाथर तथा फिरोजाबाद में प्रत्येक श्रेणी के रोगी का जो खर्चा पड़ता है उसकी सूची (ब) संलग्न है । अन्य स्थानों में चिकित्सा निःशुल्क होती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २१४ पर)

*१९—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५४ में अब तक राजकीय क्षय चिकित्सालयों में तथा सेनीटोरियम में सरकार का क्या-क्या व्यय हुआ ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सन् १९५४ में राजकीय क्षय चिकित्सालय तथा सैनीटोरियम में लगभग ८,५२,१०० रु० व्यय हुआ । इसके अतिरिक्त जिला अस्पतालों के टी० बी० वार्ड्स हैं जिनका खर्च अस्पताल के खर्च में शामिल है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री भी बतलाने की कृपा करेंगे कि भवाली में पांचवीं श्रेणी के लोगों को रहना और खाना मुफ्त दिया जाता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, जिनका निःशुल्क दाखला किया जाता है उनको खाना और ट्रीटमेन्ट निःशुल्क दिया जाता है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रेणी "बी" में जो किराया और खाना लिखा है, क्या वह प्रति दिन का है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, प्रति दिन का है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एक्स-रे रिपोर्ट का खर्चा सरकार पर पड़ता है या रोगी पर ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—एक्स-रे जब रोगी स्वयं कराता है तो उसे स्वयं फीस देनी पड़ती है और यदि सरकार कराती है तो सरकार देती है ।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस रोगी को यदि कोई स्थान न मिला हो रहने के लिये तो क्या उस समय भी कोई प्रबन्ध सरकार उसकी चिकित्सा के लिये करती है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—यदि वार्ड में जगह न मिली हो तब भी सरकार से अगर वह प्रार्थना करता है कि उसको स्वतंत्र इलाज के लिये कोई सहायता दी जाय तो मंत्री जी के कोष से उस बीमार को कुछ सहायता उस समय दे दी जाती है ।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि क्या इन चिकित्सालयों में कुल बेड्स भरे रहते हैं जिसके कारण कुछ दरख्वास्तें अस्वीकार करनी पड़ती हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जब सब वार्ड भरे रहते हैं तो दरख्वास्तें खारिज नहीं होती हैं बल्कि वेटिंग लिस्ट में उनका नाम दर्ज कर दिया जाता है और जब बेड्स खाली होती हैं तो उसी क्रमानुसार उनको स्थान दिये जाते हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी लिस्ट पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे कि सैनिटोरियम कहां-कहां हैं?

(श्री बलदेव सिंह आर्य ने प्रश्न १७ के उत्तर में उल्लिखित सूची 'अ' पढ़ कर सुना दी।)

कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये केन्द्रीय सहायता

*२०—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५४-५५ ई० में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये कितना रक़म इस प्रदेश की सरकार को दी है?

श्री फूल सिंह—४८,३६,१९९ रुपया दिया।

*२१—श्री बशीर अहमद हकीम (अनुपस्थित)—केन्द्रीय सरकार से मिली हुई रकम में प्रादेशिक सरकार ने कितनी रकम मिलाई है?

श्री फूल सिंह—कुछ नहीं। पर यह सरकार कर्घा योजना की उन्नति पर अलग से कुछ धन व्यय करती है।

*२२—श्री बशीर अहमद हकीम (अनुपस्थित)—क्या चालू वर्ष में नवम्बर, १९५४ ई० तक कर्घा उद्योग को सहायता अथवा कर्ज के रूप में दी गई रकम का विवरण सरकार कृपया मेज पर रखेगी?

श्री फूल सिंह—केन्द्रीय सरकार से मिली हुई रक़म में से इस सरकार ने नवम्बर १९५४ तक ऋण तथा अनुदान के रूप में जो व्यय किया है उसका ब्यौरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २१५ पर)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त लगभग ४८ लाख रुपया राज्य सरकार ने किन-किन मदों में व्यय किया है?

श्री फूल सिंह—

	रु०	आ०	पा
१—हैन्डलूम कपड़े की बिक्री पर छूट	१,७५,०००	०	०
२—मोबाइल वैन्स द्वारा हैन्डलूम कपड़े की बिक्री पर ..	१३,२०१	१४	०
३—कोआपरेटिव सेल्स डिपो पर	१,३२,२५०	०	०
४—पब्लिसिटी और प्रोपेगन्डा पर	९,०३८	४	०
५—आर्गेनाइजेशनल एवं सुपरवाइजरी स्टाफ पर ..	२४,५४८	१२	६
६—इम्प्रूव्ड एपल इन्सेंस पर	९५,०००	०	०
७—छोटे रंगाई घरों पर	६७,०००	०	०
८—मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन पर . ..	२२,६०८	१०	०
योग ..	५,३८,६४७	८	६

नोट—तारांकित प्रश्न २०—२२ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की कोई इत्तला है कि इस रकम में से अभी तक इस वर्ष में कितनी रक़म खर्च हुई है और कितनी बाकी है ?

श्री फूल सिंह—यह जो रक़म पढ़ी है यह मैंने खर्च हुई रक़म पढ़ी है। उसका एलाटमेंट तो ज्यादा हुआ था।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी वह रक़म बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कर्ज़े के रूप में दी गयी थी ?

श्री फूल सिंह—१० लाख रुपया।

श्री गेंदा सिंह—क्या राज सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना भेजी थी और उसके लिये कुछ धन मांगा था, यदि हां, तो क्या ?

श्री फूल सिंह—जी हां, ४८ लाख रुपया इन्हीं योजनाओं के लिये था।

औद्योगिक शिक्षालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को कार्य दिलाना

*२३—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या उद्योग मंत्री ने कोई ऐसे आदेश निकाले हैं कि राजकीय टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ, गोरखपुर और झांसी के मेकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उनके योग्य सरकारी कामों में नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जाय और प्रत्येक विद्यालय इसका हिसाब रखे कि कौन विद्यार्थी काम में लग गया कौन नहीं ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं। परन्तु विभागीय संचालक ने हर औद्योगिक शिक्षालय को आदेश दिये हैं कि वे हर उत्तीर्ण विद्यार्थी के केरियर का रजिस्टर रखें।

*२४—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उपर्युक्त स्कूलों के गत दो वर्ष में उत्तीर्ण हुये कितने विद्यार्थी काम में लग चुके हैं और कितने बेकार हैं ?

श्री फूल सिंह—१५३ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये जिनमें से १५० एपरेन्टिसशिप (Apprenticeship) में लग चुके हैं और ३ बेकार हैं।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि प्रश्न संख्या २४ से सम्बन्धित तीन विद्यार्थी बेकार क्यों हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री फूल सिंह—१५३ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुये हैं जिनमें से १५० एप्रेन्टिसशिप में लग चुके हैं और तीन बेकार हैं। अब ये तीन क्यों बेकार हैं यह मैं ठीक नहीं कह सकता। गालिबन ये एप्रेन्टिसशिप के लिये न रिटर्न हुए होंगे।

श्री रामदुलारे मिश्र—मैंने प्रश्न किया था कि उनके नाम क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब मिल चुका कि यह तो पता ही नहीं है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि सरकार १५० एप्रेन्टिस विद्यार्थियों को उनके योग्य सरकारी कारखानों में नियुक्त करने में प्राथमिकता देगी ?

श्री फूल सिंह—इसका जवाब तो प्रश्न २३ में आ चुका है।

जसराना, जिला मैनपुरी में पुनः दफ्तर रजिस्ट्री खोलने का सुझाव

*२५—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९५१ ई० से ३१ दिसम्बर, सन् १९५४ ई० तक प्रति वर्ष अलग-अलग तहसील जसराना जिला मैनपुरी के कितने दस्तावेज दफ्तर रजिस्ट्री शिकोहाबाद में रजिस्ट्री किये और उनसे प्रति वर्ष अलग-अलग सरकार को कितनी आय हुई ?

श्री गिरधारी लाल—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २१६ पर)

*२६—श्री विष्णुदयाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, सन् १९५१ ई० से पूर्व दफ्तर रजिस्ट्री जसराना, जिला मैनपुरी में वार्षिक व्यय और आय कितनी थी ?

श्री गिरधारी लाल—सन् १९५१ से पूर्व सन् १९५० में आय ३,२७८ रुपया और व्यय ३,४८७ रुपया था।

*२७—श्री विष्णुदयाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि वह दफ्तर रजिस्ट्री जसराना, जिला मैनपुरी पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई अनुभव करती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गिरधारी लाल—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोलने के लिये क्या रजिस्ट्रेशन कार्य की कोई मात्रा निर्धारित है सरकार की तरफ से ?

श्री गिरधारी लाल—हां, डाकूमेन्ट्स का नम्बर कम से कम पांच सौ होना चाहिये और आमदनी चार हजार रुपये से ज्यादा होनी चाहिये।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—इस तहसील जसराना में कितने डाकूमेन्ट्स रजिस्टर हुये प्रति वर्ष ?

श्री गिरधारी लाल—इसकी तो लिस्ट माननीय सदस्य के पास भेजी गयी है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—क्या माननीय मंत्री जी उस तालिका को पढ़ कर सुना सकते हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

					रु०	आ०	पा०
सन्	१९५१ में संख्या	३९७	और आमदनी	..	३,५०२	१०	०
,,	१९५२ ,,	४५२	,, ,,	..	४,१५५	१४	०
,,	१९५३ ,,	४२८	,, ,,	..	४,०१३	०	०
,,	१९५४ ,,	५४३	,, ,,	..	५,९१७	४	०

श्री वीरेन्द्रपति यादव—चूंकि गतवर्ष में ५ हजार से ज्यादा आमदनी हुई है तो क्या माननीय मंत्री जी जसराना तहसील में रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री गिरधारी लाल—प्रश्न के जबाब में बता दिया गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है।

नोट—तारांकित प्रश्न २५–२७ श्री वीरेन्द्रपति यादव ने पूछे।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या सरकार रजिस्ट्री आफिस के कहीं खोले जाने के लिये आमदनी पर निर्भर करती है या पब्लिक की सुविधा का भी ख्याल रखा जाता है ?

श्री गिरधारी लाल—सुविधा का ख्याल रखा जाता है लेकिन साथ-साथ आमदनी और खर्च को भी देखना पड़ता है।

*२८-३०—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—[९ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*३१-३२—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

भटनी चीनी मिल की बिक्री के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार

*३३—श्री राजवंशी राय (जिला देवरिया)—जिलाधीश देवरिया तथा सरकार के बीच जो पत्र-व्यवहार भटनी चीनी मिल को पट्टा पर देने तथा बिक्री करने के सम्बन्ध में हुये हैं क्या उनकी प्रतिलिपि सरकार मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

श्री फूलसिंह—जी नहीं, यह जन हित के अनुकूल नहीं होगा।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय नियोजन मंत्री जी कृपा कर के बतलायेंगे कि यह पत्र जो जिलाधीश देवरिया और सरकार के बीच में हुये हैं वे कितने हैं और क्या इस समय वे माननीय मंत्री जी के पास हैं ?

श्री फूल सिंह—पत्र मेरे पास नहीं है मगर इस मिल की पूर्ण स्थिति से वाकिफ हूं। अभी वह मामला विचाराधीन है और जब तक मिल नीलाम न हो जाय तब तक उन पत्रों के सम्बन्ध में कुछ कहना ठीक न होगा।

श्री गेंदा सिंह—क्या इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को है कि भटनी मिल फरोख्त हो चुकी थी और वह नीलाम रद्द हो गया ?

श्री फूल सिंह—जी हां।

श्री गेंदा सिंह—तो क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि ऐसे वक्त से भटनी मिल बेची जाय जिससे वह अगले सीजन में चलाई जा सके ?

श्री फूलसिंह—इस बात पर ध्यान रक्खा जायगा।

*३४-३६—श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—[१६ मार्च, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

प्रान्तीय रक्षक दल के कर्मचारियों का स्थायीकरण

१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० आर० डी० विभाग कब खोला गया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ अप्रैल, १९४८ ई०।

२—श्री लक्षमण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसमें कितने व्यक्ति किस-किस पद पर स्थायी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय प्रान्तीय रक्षक दल में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं है। परन्तु सरकार ने इस विभाग को क्रमशः स्थायी बनाने का निर्णय कर लिया है। इसके फलस्वरूप १ अप्रैल, १९५५ से १० प्रतिशत कर्मचारी स्थायी हो जायेंगे।

चांदपट्टी जिला आजमगढ़ में पुल का निर्माण

३—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के चांद पट्टी मुकाम पर पुल बनवाने के लिये सरकारी अधिकारियों ने जनता द्वारा कितना चन्दा इकट्ठा किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—६,००० रुपया।

४—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक चांद पट्टी पुल पर कितना पैसा खर्च हो चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—४,८३५ रुपया १३ आना ४ पाई।

५—श्री उमाशंकर—क्या बाढ़-पीड़ित सहायता कोष से सरकार उक्त पुल के बनाने में कुछ पैसा देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आवश्यकता होने पर बाढ़ निरोधक कोष से सहायता दी जायेगी।

१९५५–५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के लिए समय-निर्धारण का सुझाव

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५५–५६ ई० के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद होगा।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजगमढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजट के ऊपर सामान्य वाद-विवाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। बहुत से सदस्य इस पर अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसके लिए समय निर्धारित कर दिया जाय, ताकि अधिक से अधिक लोगों को बोलने का समय मिल सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी-दल के नेता के भाषण के बाद ही समय निर्धारित होना चाहिये, क्योंकि विरोधीदल के नेता का जो भाषण होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है इसलिये उसके लिये कोई समय निर्धारित नहीं होना चाहिये। उसके बाद यदि समय निर्धारित होगा तो हमें कोई एतराज नहीं होगा।

कोरम के अभाव में सदन के स्थगन पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री बेचन राम गुप्त (जिला बनारस)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था लेना चाहता हूं। वह यह है कि कल जिस ढंग से और जिस तरीके से अधिष्ठाता महोदय ने इस सदन को स्थगित किया वह मैं समझता हूं कि अनियमित है। अगर आप नियमों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस सदन के नियम इस बारे में बिलकुल खामोश हैं कि कितनी देर घंटी बजने के बाद अगर कोरम पूरा न हो तो क्या व्यवस्था होनी चाहिये। "मैं" की किताब के पेज ३११ पर कोरम के सिलसिले में दिया हुआ है। इसमें उसने लिखा

[श्री बेचनराम गुप्त]

है कि अध्यक्ष महोदय को उसी समय सदन में आना चाहिये जब कि कोरम पूरा हो जाय। अगर चेयर पर सुशोभित होने के बाद कोरम न हो तो वे १० मिनट या आधा घंटा के लिये कमरे में चले जायं और कोरम पूरा हो जाय तो कमरे से चले आयें। कल माननीय राम नारायण जी चेयर को सुशोभित करना चाहते थे और असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट श्री सहाय से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले आप अध्यक्ष महोदय या उपाध्यक्ष महोदय से आज्ञा ले लें इसके बिना आप चेयर को सुशोभित नहीं कर सकते। इसके बाद वे उपाध्यक्ष महोदय के कमरे में गये। वहां उनसे क्या बातचीत हुई, मैं नहीं जानता। लेकिन उसके बाद वे चेयर पर सुशोभित हुये और वे एक सेंकिड भी न बैठे होंगे कि उन्होंने सदन को स्थगित कर दिया। मेरा ऐसा ख्याल है, जैसा कि "मैं" ने अपनी किताब में लिखा है कि यह कार्य अधिष्ठाता महोदय का अनियमित है।

श्री अध्यक्ष--इस पर आपने मेरी राय मांगी है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--मैं इस संबंध में जानकारी हासिल कर चुका हूं। इसलिये इस विषय में मैं सदन का और समय खर्च करना नहीं चाहता।

श्री गेंदा सिंह--इसी संबंध में एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं। अब तीन दिन तक बजट पर वादविवाद होगा लेकिन यह चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये इसके पूर्व कि आप अपनी कोई व्यवस्था दें, किसी और दिन, हम लोगों तथा सदन और माननीय सदस्यों का निवेदन सुनने के बाद ही आप कोई व्यवस्था दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस बारे में मैं काफी तहकीकात कर चुका हूं। इस समय स्पष्ट व्यवस्था का सवाल है। अध्यक्ष के स्थान पर जब कोई अधिष्ठाता बैठता है तो उसको अध्यक्ष के पूरे अधिकार होते हैं, यदि हम इस बात को ध्यान में रक्खें तो हमें किसी निर्णय पर पहुंचने पर कोई कठिनाई न होगी। इसलिये मैं इस संबंध में एक स्पष्ट निर्णय रखता हूं और वह यह कि कल जो कार्यवाही हुई वह नियमों और संविधान के अनुसार हुई। संविधान के आर्टिकल १८९ में दिया हुआ है :--

"If at any time during a meeting of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State there is no quorum, it shall be the duty of the Speaker or Chairman, or person acting as such, either to adjourn the House or to suspend the meeting until there is a quorum."

नियम यह है कि स्पीकर न हो तो डिप्टी स्पीकर बैठे और डिप्टी स्पीकर न हो तो पेनल में से कोई सदस्य बैठेगा। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि श्री रामनारायण त्रिपाठी जी डिप्टी स्पीकर के कमरे में गये और इसीलिये कि २०, २२ मिनट तक घंटी बजते हो गयी और कोरम नहीं हुआ था, तो क्या कार्यवाही की जाय, यह समस्या उनके सामने थी। डिप्टी स्पीकर ने इस बात की इजाजत दी कि श्री रामनारायण जी यहां आकर प्रिसाइड करें। जब कोरम नहीं था तो प्रिसाइड करने वाले सदस्य के यह डिस्क्रिशन पर था कि वे हाउस को एडजर्न करें या सस्पेंड करें। सस्पेंड करने का मतलब यह है कि १०, १५ मिनट या एक घंटे के लिये सस्पेंड करके फिर सदन को बुला लें और ऐडजर्नमेंट का मतलब है कि एडजर्नमेंट फार दि डे। उन्होंने यह उचित समझा कि दूसरे रोज अब कार्यवाही होनी चाहिये, क्योंकि सदस्यों के आने की उम्मीद उनको नहीं मालूम हुई। जहां तक वाकयात मुझे मालूम हुये उनके अनुसार उन्होंने नियम के अनुसार ही काम किया।

१९५५-५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के लिए समय-निर्धारण का सुझाव

श्री अध्यक्ष--माननीय उपाध्याय जी, आप कुछ समय निर्धारण के सिलसिले में कहना चाहते थे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता और माननीय संयुक्त दल के नेता के भाषण के बाद समय का निर्धारण हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन कम से कम इन दोनों के लिये समय निर्धारण होना ठीक नहीं है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--अध्यक्ष महोदय, इसी सदन के पुराने सालों में जो बजट पर सामान्य वादविवाद हुआ है, मुझे याद है कि उसमें अब तक ऐसा होता है कि माननीय नेता विरोधी दल पूरा एक दिन या डेढ़ दिन तक ले लेते हैं। तो उनके पूरा समय लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी यदि विरोधी दल में बैठने वाले लोग यह मंजूर कर लें कि उनके भाषण के बाद बाकी और लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि वे यह समझते हैं कि उनकी तरफ से विरोधी दल के नेता अपने समस्त सदस्यों की ओर से बोलें तथा उन्हें और समय की कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तो ठीक है, नहीं तो अधिक से अधिक डेढ़ घंटे माननीय नेता विरोधी दल के लिये समय निश्चित हो जाना चाहिये।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बहुगुणा जी ने फरमाया है कि वे बहुत समय ले लेते हैं और मेरा कहना है कि उनका भाषण भी वही होता है जो पारसाल या उसके पहले हो चुका है, तो इसलिये .....

श्री अध्यक्ष--मैं इसकी इजाजत नहीं देता, आप कृपा करके बैठ जायं।

श्री सीताराम शुक्ल--मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष--मैं आपको इजाजत नहीं देता, आप बैठ जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, पिछले दो-तीन सालों की यह परम्परा रही है कि माननीय नेता विरोधी दल के लिये कोई समय निर्धारित नहीं होता और अध्यक्ष महोदय, समय निर्धारित करने के बाद भी आपने कुछ लोगों को ज्यादा समय दिया। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट का भाषण पढा उसको पढ़ने में १ घंटा २८ मिनट लगा। बजट पुस्तिका का वजन तो ४ सेर से कम न होगा और माननीय नेता विरोधी दल को इतने लम्बे भाषण का अध्ययन करके राज्य सरकार की कार्यवाहियों की समीक्षा करनी होगी। तो ऐसी हालत में उनके लिये समय का निर्धारण करना पुरानी परम्पराओं के प्रतिकूल है और इसलिये मैं समझता हूं कि पुरानी परम्पराओं पर चल कर ही आप समय निर्धारित न करें।

श्री अध्यक्ष--चूंकि एकमत नहीं दिखाई देता इसलिये पुरानी परम्पराओं को छोड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, यदि नेता सदन की भी राय लें लें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष--जब एकमत नहीं है तो नेता सदन की राय लेने से क्या होगा? हां, अगर आप उनकी आज्ञा मानने के लिये तैयार हों तो फिर उनसे पूछ सकता हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जहां तक मेरा संबंध है मुझे चाहे जो समय दीजिये मगर नेता विरोधी दल के लिये और यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि कहीं यह न समझा जाय कि मैं अपने लिये कह रहा हूं बल्कि मैं तो यह चाहता हूं कि नेता विरोधी दल के लिये कोई ऐसी परम्परा न कायम हो जो हमेशा आकर सामने खड़ा हो। मुझे याद है श्रीमन् कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने जब पार्लियामेन्ट भी ऐसा ही हस्तक्षेप हुआ था और उनकी सम्मति ली गई थी तो उन्होंने कहा था कि हां विरोधी दल के नेता के लिये कोई समय का निर्धारण नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—उसको कहने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जब इस सम्बन्ध में एकमत नहीं है, तो मैं वही पहले की परम्परा कायम रखता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि भाषण देने वालों को इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि और लोग भी बोलने वाले हैं। तो यह जिम्मेदारी मैं स्वयं उन्हीं पर छोड़ता हूं, जिनके लिए कि कोई समय निर्धारण नहीं किया गया है और जिनके लिए समय का निर्धारण होगा उनके लिए तो समय निश्चित ही है। बस इतना कहकर मैं इन दोनों नेता विरोधी दल और नेता संयुक्त दल के लिये कोई समय निर्धारण नहीं करता हूं, लेकिन यह जो भावना लोगों ने प्रकट की है और बहुतों ने बोलने की इच्छा प्रकट की है इसका विचार वे स्वयं कर लें।

१९५५–५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इस बार माननीय वित्त मंत्री ने ९० करोड़ ६ लाख ३० हजार ४ सौ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें कमी होता है ५ करोड़ ४९ लाख २३ हजार ९ सौ रुपये की और इतना बड़ा बजट प्रस्तुत करने के बाद माननीय वित्त मंत्री जी का जो भाषण हुआ उन तमाम को अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद श्रीमन्, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि मैं परीक्षक होता और यदि माननीय वित्त मंत्री जी परीक्षा में आते और उनके लिये यह विषय रखा जाता कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक, प्रशासकीय या और किसी प्रकार की क्या परिस्थिति है तो मैं उनको जो नम्बर देता वह होता जीरो में इनसे सर्मायंग। श्रीमन् उसके बजट भाषण को देखकर मैं समझ नहीं पाता कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण लिखने में कितना कष्ट उठाया होगा, इसकी छपाई में कैसा खर्च हुआ होगा, मगर यह वस्तुस्थिति पर कैसा पर्दा डालता है। जो आब्जेक्टिव सिचुएशन है उसको कतई प्रदर्शित नहीं करता बल्कि एक प्रोपेगेंडा, एक प्रचार इसमें हमको दिखलाई पड़ता है। अगर इस बजट भाषण को पढा जाय और अगर उसको कोई गैर मुल्क का रहने वाला पढे तो उसको यही मालूम होगा कि आज उत्तर प्रदेश धन-धान्य से परिपूर्ण हो गया है, उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से सुव्यवस्था कायम है, उत्तर प्रदेश में बेकारी नहीं रह गई है और कोई कमी कहीं नहीं है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी के इस बजट भाषण के बारे में कहना चाहता हूं कि जो रियलिटी है उसके यह बिलकुल विपरीत है।

मैं श्रीमन्, पहले तो उन आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनसे माननीय वित्त मंत्री जी ने एक धनधान्य पूर्ण प्रांत का नकशा खींचा है और महल खड़ा किया है और उनकी यथार्थता प्रकट करूं। माननीय वित्त मंत्री ने हर क्षेत्र में अपने बजट भाषण में यह प्रगट किया है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा भी बढ़ी, आमदनी भी बढ़ी, खेतीबारी भी बढ़ी, रोजगार भी बढा और अगर घटा है कुछ तो जो लालेसनेस है वह घटी है, बेकारी घटी है और गरीबी घटी है। अब हमारे पास श्रीमन् जितने आंकड़े उपलब्ध हैं उन तमाम के आधार पर यदि उत्तर प्रदेश की आमदनी पर कैपिटा देखी जाय तो श्रीमन् ४८–४९ में २४३ रु० थी, ४९–५० में २४६.२ रु०, ५०–५१ में २५६.९ रु०, ५१–५२ में २४०.५ रु० और ५२–५३ २४१.८ रु० थी। अभी तक ५२–५३ तक के ही आंकड़े अच्छी तरह उपलब्ध हैं। ५०–५१ में जब आमदनी पर कैपिटा २५६ रु० तक गई और वह ५२–५३ में २४१ रु० पर व्यक्ति

पीछे आ गई तो माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण का यह कथन कि प्रांत के प्रत्येक आदमी की आमदनी बढ़ी है, खुशहाली बढ़ी है मैं समझता हूं कि यह सत्य के विपरीत है और श्रीमन् देहात की जो हालत है वह तो और भी खराब है। मैं इस सदन में देहात की आमदनी आज कहां है उसके आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। श्रीमन्, एक देहाती व्यक्ति के पीछे ४८–४९ में फ़ीगर्स हमें बतलाते हैं २०२.५ रुपये आमदनी थी। ४९–५० में १९८.३, ५०–५१ में २१२.०, ५१–५२ में १९१.४ और ५२–५३ में १९१.८ थी। अब जरा यह देखा जाय कि ग्रामीण जनता गरीब होती जा रही है जब कि ५०–५१ में २१२.० एक व्यक्ति के पीछे देहात में आमदनी पड़ती थी, आज ५२–५३ में सरकार की ओर से सन् ५४ में जो लेटेस्ट बुलेटिन डिपार्टमेंट आफ एकनामिक्स एंड स्टेटिस्टक्सि, उत्तर प्रदेश से निकला है वह साबित करता है कि निरन्तर दिन प्रति दिन जनता की आमदनी नीचे गिरती जा रही है। फिर भी उन आंकड़ों को देखते हुये माननीय वित्त मंत्री जी जब यह कहते हैं कि खुशहाली बढ़ी है, गरीबी दूर हुई ,धनधान्य बढ़ा है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस कथन को इस सदन में क्यों प्रस्तुत करते हैं।

श्रीमन्, बजट भाषण में एग्रिकल्चर एंड एनीमल हस्बेंडरी के बारे में भी काफी चर्चा हुई है। मैं चाहता हूं कि यह सदन माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में जो अतिशयोक्तियां हैं उन पर नजर रक्खे और सही तरीके से तमाम आंकड़ों को देखे। अगर सदन उनको नहीं देखेगा तो सदन ठीक निर्णय नहीं ले पायेगा अनुदान के ऊपर जो कि हम ग्रांट के रूप में देने जा रहे हैं।

श्रीमन्, नेट आउटपुट जो एग्रिकल्चर एन्ड एनीमल हस्बेंड्री का है उसको देखा जाय तो जहां वह ४९–५० में ८८३.२ करोड़ रुपया था वहां वह ५०–५१ में ९६५.० करोड़ रुपया तो हो गया मगर १९५२–५३ में ८८२.३, याने १९४९–५० से भी १९५२–५३ में एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेंडरी से नेट आउट पुट कम हुआ है और इसको ले कर माननीय वित्त मंत्री जी हमारे सदन में जो भाषण देते हैं उसमें कहते हैं कि तरक्की हुई है। तो कैसे माना जाय कि तरक्की हुई है जब उन्हीं के सरकारी आंकड़े माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण से बिलकुल उल्टा प्रदर्शित करते हैं। अगर श्रीमन्, आउट पुट आफ एग्रीकल्चर देखी जाय तो उसके फीगर हमने १९४७–४८ में भी लेने की कोशिश की और यह जहां १९४७–४८ में ८२५.० करोड़ था वहां १९५२–५३ में ७८८.६ रह गया। ८२५ से घट कर ७८८.६ करोड़ आ रहा है और माननीय वित्त मंत्री को हरियाली नजर आ रही है जब कि वस्तुस्थिति बिल्कुल उल्टी है। मेरे पास हर साल के क्रमवार फीगर्स हैं जिनको मैं सिलसिले वार नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इसी तरह से अगर माननीय वित्त मंत्री जी कुछ तकलीफ उठायें और अपनी आंकड़ों की पोथी को पढ़ जायं तो उनको मालूम होगा कि दूध में, मांस में, मछली में, चमड़े में, खाल में, ऊन में, सभी में प्रोडेक्शन की कमी हुई है। प्रोडेक्शन बराबर गिरता जा रहा है दशा बराबर गिरती जा रही है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि चारों तरफ तरक्की हुई है।

अब श्रीमन्, हमारे सामने इस बजट भाषण में अन्न की समस्या के लिये सरकार कहती है कि वह हल हो चुकी है और अन्न का उत्पादन बहुत बढ़ा है और इसका सारा श्रेय वह खुद ही लेती है। इसमें एक सिद्धांत की बात है जिस पर मैं बाद को आना चाहता था, लेकिन पहले ही बता दूं कि जब सरकार अन्न के उत्पादन का श्रेय अपने ऊपर लेती है तो जब अन्न की कमी हो तो उसका दोष भी सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिये। जहां अन्न की बढ़ोत्तरी हो जाती है, अच्छा मानसून हो जाता है, बाढ़ सूखा आदि के प्रकोप से जब फसल नहीं मारी जाती तब तो सरकार की ओर से प्रदर्शित किया जाता है कि अन्न बढ़ गया और सारा श्रेय सरकार लेती है कि उसके प्रयत्न से अन्न की पैदावार बढ़ी, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है तो उस समय सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि हमारा क्या दोष। हमने क्या बाढ़ ला दी या हमने क्या सूखा ला दिया ? फसल मारी गई, मारी गई! यह दोनों परस्पर विरोधी बाते हैं। अगर बढ़ोत्तरी का श्रेय लें तो कमी का दोष भी आपको लेना चाहिये और तभी सरकार उचित तरीके से चल रही है यह माना जायगा।

[श्री राजनारायण]

अब श्रीमन्, मैं इस आंकड़े को आधार बनाते हुये यह चाहूंगा कि यह देखा जाय कि हमारा क्राप एरिया टोटल याने अपने प्रांत में जितने क्षेत्र पर खेती होती है वह कितना है। श्रीमन्, इसमें हमने १९२३–२४ के फीगर्स भी लिखे हैं, १९३३–३४ भी लिखे हैं। और उसके आगे भी लिखा है। १९२३–२४ में ४३५ लाख एकड़ जमीन क्राप में लगी थी, १९३३–३४ में ४३२ लाख एकड़, अब श्रीमन् १९४३–४४ में ४५४ लाख एकड़ जमीन, १९४७–४८ में ४५७ लाख एकड़, १९४८–४९ में ४६८ लाख एकड़, १९४९–५० में ४७६ लाख एकड़ जमीन क्राप में लगी है। तो आप देखिये ४६८ से ४७६ याने करीब ८ लाख एकड़ जमीन क्राप एरिया में बढ़ी। इसमें कुछ लोगों को मालूम होगा भ्रमवश कि शायद सरकार ने कोई बहुत जमीन तोड़ दी, ऐसी बात नहीं है। सन् १९४९-५० में बनारस और रामपुर स्टेट की जमीन भी शामिल है और इसके पहले के आंकड़ों में बनारस और रामपुर स्टेट की जमीन नहीं शामिल थी। तो ४९–५० और इसके बाद के जो आंकड़े यहां पर दिये जायेंगे इसके बारे में उसमें बनारस और रामपुर स्टेट की जमीन श मिल समझी जानी चाहिये। अच्छा श्रीमन्, १९५०–५१ में वही ४७६, १९५१–५२ में ४७५। अब माननीय वित्त मंत्री जी आंकड़ों के साथ आना चाहिये सदन में और उनको बताना चाहिये कि जब टोटल क्राप्ड एरिया कम है तो जो उत्पादन में वृद्धि हुई और जो अन्न की कमी थी वह छूट गई और जनता को खाने-पहनने के लिये खाना कपड़ा काफी पहुंच रहा है, यह कहां से माननीय वित्त मंत्री ने बात निकाली? तथ्यों को सामने रखना चाहिये सदन के। वाक्य जाल में फंसा करके प्रोपेगेंडा का साधन सरकारी पक्ष को नहीं बनाना चाहिये। अब श्रीमन्, अन्डर फ़ूड क्राप को भी बता दूं ताकि वित्त मंत्री यह न समझें कि टोटल क्राप जो थी उसमें फ़ूड क्राप की ज्यादा बढ़ती हुई है और दूसरी चीजों की कमी हुई है। उसको भी देखा जाय तो सन् १९४५–४६ में ४०८ लाख एकड़, १९४८–४९ में ४१४ लाख एकड़, १९४९–५० में ४२४ लाख एकड़, १९५०–५१ में ४१८ लाख एकड़, १९५१–५२ में ४०८ लाख एकड़। जहां १९४५–४६ में ४०८ लाख एकड़ था वही १९५१–५२ में ४०८ लाख एकड़ है। इसके आगे की फिगर नहीं है। फिर माननीय वित्त मंत्री जी कहेंगे कि बड़ा अन्न पैदा किया, बड़ी जमीन सरकार ने तोड़ दी। यहां कहीं न कहीं से सरकारी आंकड़ों से इस बात को साबित करना चाहिये कि जो सरकार जमीन तोड़ रही है वह चली कहां जा रही है। या तो जो पहले की जमीन हो उस पर खेती न होती हो, यहां पर प्लानिंग कमीशन जो बैठा हुआ था उसकी एक रिपोर्ट की तरफ भी श्रीमन्, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसने यह कहा था कि सारे देश में एक करोड़ एकड़ जमीन परती रह गई है, जिस पर पहले खेती होती थी। हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री जी की सरकार के विभाग ने कुछ कहीं ऊसर, परती, बंजर जमीन तोड़ दी हो मगर यहां बताना चाहिये कि पहले जिन जमीनों पर खेती होती थी उसमें तो परती नहीं रही है, वरना यह फिगर क्यों दी जाती, इसका कोई औचित्य सरकार की तरफ से आना चाहिये। वरना यह नहीं कहना चाहिये कि सरकार ने प्रयत्न करके अन्न उत्पादन में वृद्धि की है, यह बात गलत होगी। अब श्रीमन्, शुगर की बड़ी चर्चा है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में केवल यही लिख दिया कि हमने चीनी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी की यह नहीं बताया कि कितनी की लेकिन इससे बात साबित नहीं होगी। उनको आंकड़ों के साथ आना चाहिये। सन् १९३९–४० में ६८३ हजार टन शुगर हमारे प्रांत में पैदा हुई और १९५१–५२ में ८३४ हजार टन, १९५२–५३ में ७०० हजार टन और १९५३–५४ की फीगर है ५६० हजार टन, यह शुगर की बढ़ोत्तरी नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि सन् १९५३–५४ में ५६० हजार टन चीनी प्रांत में पैदा हुई है, फिर चीनी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी किस प्रकार हुई है? और अगर १९३९–४० के आंकड़े देखे जायं, जब कि शायद आप के कदम यहां से हट गये थे तो ६८३ हजार टन चीनी इस प्रांत में थी। अब मैं क्या कहूं, श्रीमन्, किसी की लेखनी पर और माननीय मंत्री महोदयों की वाणी पर कोई कहीं कंट्रोल तो है नहीं, अगर प्रतिबन्ध होगा तो हमारे ऊपर लगाये जाने की कोशिश होगी या पत्रकारों पर लगाये जाने की कोशिश होगी। यह तो जो चाहें लिख

डालें, जो चाहें कह डालें, सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। इन आंकड़ों को श्रीमन्, रखने के बाद क्या अब इस सदन में एक भी सम्मानित सदस्य ऐसे होंगे जो माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण से सहमत हों? मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिये और अगर होंगे तो मैं उनसे फिर निवेदन करूंगा कि भावावेश में आकर नहीं, केवल पार्टी पालिटिक्स के प्रभाव में आकर नहीं, बल्कि वस्तुस्थिति को सदन में रखने की दृष्टि से इस पर विचार करने की कृपा करेंगे और आज रात में जाकर इन तमाम आंकड़ों का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और मनन करने के बाद इस सदन में उसको प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमन्, मैं अब जरा सरकार की जो टैक्स की नीति है उस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि टैक्स की जो वसूली होती है वह भी सरकार की नीति के औचित्य और अनौचित्य को साबित करती रहती है। उसको अगर देखा जाय तो जो अन्य कर और शुल्क हैं उसमें कितनी आमदनी सरकार को हो रही है, यद्यपि सरकार टैक्स के रेट को बढ़ाती जा रही है टैक्स के रेट को बढाना और साल के अन्त में टैक्स का कम होना यह एक ही बात का सबूत है कि सरकार आज जनता की पेइंग कैपेसिटी को समझ नहीं पा रही है। जो जनता की कूबत है, जो जनता की दे सकने की ताकत है, उसको कतई न समझते हुये सरकार टैक्स की नीति पर चलती चली जा रही है। यद्यपि श्रीमन्, यह बड़ा भारी प्रश्न है और इस पर मैं बाद में फिर आऊंगा इस समय इतना ही निवेदन कर दूं कि टैक्स लगाने के बारे में बड़े-बड़े अर्थशास्त्री अपनी सम्मति दे चुके हैं। इधर वर्तमान युग में चाहे हमारे वित्त मंत्री जी डाल्टन को देखें जो कि शायद समझते होंगे कि सरकार, डाल्टन का नाम जब रख दिया जायगा तो जो बात कही जायगी उस पर ध्यान देगी वरना कोई नाम रखने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। मैं हाब्स का भी नाम रख सकता हूं और दूसरों को भी रख सकता हूं। मेरा कहना यह है कि एक नीति जिसको कि आज दूसरे मुल्कों ने छोड़ दिया है, वह इक्वल सैक्रिफाइस की नीति है? इक्वल सैक्रिफाइस के माने जिसकी जितनी आमदनी हो बिना उसका ख्याल किये हुये टैक्स लगाते चले जाओ। इसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम आया कि जिसकी आमदनी जितनी ज्यादा हो उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स लगाते और जिसकी जितनी कम हो उस पर उतना ही घटाते जाओ। इसके बाद आज का जो विचारक है, इस संबंध में मैं हाब्स का नाम लेना चाहता हूं, श्रीमन्, उसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब इंसान को अपने खाने पहनने के बाद और पढ़ाई और दवाई के बाद आमदनी बचे तब उस आमदनी पर टैक्स लगाना चाहिये प्रोपोर्शनल हिसाब से। मगर आज सरकार के टैक्स की क्या नीति है? केवल यह कह देना कि हम कल्याणकारी राज्य बनायेंगे, एक कदम और आगे जा रहे हैं आवडी अधिवेशन के बाद, सोशलिस्ट प्रकार का समाज बनाने जा रहे है यह क्या है? क्या वेलफेयर स्टेट है? क्या सोशलिस्ट प्रकार का समाज है? बिना टैक्स लगाने की नति में सफाई किये हुये और बिना परिवर्तन किये हुये जो टैक्स लगाने की नीति श्रीमन्, यहां अंग्रेजी राज्य के जमाने में थी, जिसको कि हम साम्राज्यशाही हुकूमत कहते थे, यदि वही टैक्स लगाने की नीति आज कांग्रेसी राज्य की है तो अंग्रेजी राज्य को तो साम्राज्यशाही और कांग्रेसी राज्य को सोशलिस्टिक प्रकार का स्टेट कह लें वित्त मंत्री, यह शब्द उन्हीं को मुबारक हो सकते हैं। मैं आज प्रांत की जनता से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब इन शब्द जालों में फंसना वो छोड़े। श्रीमन् "सोशलिस्टिक प्रकार" के ढांचे पर मुझे याद आ गया कि एक बार आदरणीय आचार्य नरेंद्रदेव जी ने गालिब का एक एक शेर पढ़ा था,

"रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल
जो आंखों से न टपके तो वह लहू क्या है?"

उन्होंने कहा कि प्रस्ताव तो आते जाते रहते हैं और रोज ही प्रस्ताव पास करते हैं। कांग्रेस के बन्धु लोग करांची का भी हवाला देते हैं कि करांची में जो नीति निर्धारित की थी वह आजतक कायम है, चाहे शब्द "सोशलिस्टिक प्रकार" उसके लिये हो जायं। तो क्यों इस व ह विवाद में समय लिया जाय, जबकि रत्ती भर भी किसी विभाग में बुनियादी तौर पर तब्दीली नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमें बतायें कि क्यों वह सोशलिस्टक

[श्री राजनारायण]

स्टिक प्रकार आज के अपने बजट के ढांचे को कह रहे हैं ? क्या यह अन्याय नहीं है ? क्या यह शब्द के साथ खेल नहीं है ? क्या जनता को बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रांति में विचरण करने की परिस्थिति सरकार पैदा नहीं कर रही है ? मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वही टैक्सेशन करने की प्रवृत्ति, वही ला एंड आर्डर स्थापित करने का कंसेप्शन, वही सेंट्रलाइजेशन की मनोवृत्ति और फिर भी उसे सोशलिस्टिक प्रकार का ढांचा क्यों कहा जा रहा है। मुझे आज वित्त मंत्री जी बतलावें कि वह कौन सा काम है जो कि अंग्रेजी राज्य से अच्छा उन्होंने किया हो। इसके मानी यह न समझे जायं कि मैं किसी भी तरह से अंग्रेजी राज्य यहां रहने का पक्षपाती हूं। इस सिद्धांत को बता देना चाहता हूं कि जो बहुत से लोग त्याग और कुरबानी करने वाले हैं या भारत की जनता जिनको समझती होगी ९९ परसेंट से ज्यादा अंग्रेजी राज्य के राजमुकुट को लंदन में गिराने का काम हमने किया है। इसलिये यह बात तो यहां पर आनी नहीं चाहिये। मैं तो यहां पर इसलिये तुलनात्मक दृष्टि से कह रहा हूं कि अंग्रेजी हुकूमत भी जिन तरीकों को अख्तियार करके इस देश से अपने खात्मे का आन्दोलन करवाती थी, आज वही परिस्थिति कांग्रेसी राज्य में अगर हो तो कांग्रेसी कहते हैं कि यह आन्दोलन आन्दोलन नहीं है, यह सत्याग्रह सत्याग्रह नहीं है। इस प्रकार एक ही इस समय सिद्धांत की बात कह कर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इतना विषद यह सब्जेक्ट है कि मैं परेशान हूं कि कितना कम से कम समय लूं। क्योंकि मुझे जाना भी है। इतना ही कहूंगा कि जो अपनों के अन्याय को बरदाश्त करता है वह दूसरों के अन्याय के सामने भी झुक सकता है। हम अपने आप को बना रहे हैं। अगर इस ताकत को रखते हैं कि जिनको हम अपना कहते हैं उनके गलत काम और जोर-जुल्म की नीति का मुकाबला भी कर सकें और कर भी रहे हैं और जिस जोर जुल्म के लिये, लूट-खसोट के लिये हमने अंग्रेजी हुकूमत को मिटाया, अगर वही जोर-जुल्म और लूट-खसोट और भी तेज रफ्तार से कांग्रेसी सरकार चलाती है तो क्या उस सरकार के विरोध में अगर हमारा आन्दोलन चलेगा तो वह मुल्क के विपरीत होगा ? हमारे बहुत से सम्मानित सदस्य, मंत्री लोग, आजकल जनता के बीच लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि आज के जमाने में सत्याग्रह करना राष्ट्र-द्रोह है।

श्री अध्यक्ष—बाहर की बात यहां नहीं आनी चाहिये।

श्री राजनारायण—बजट भाषण पर ही आ रहा हूं। श्रीमन्, आपने ठीक किया, क्योंकि मैं आंकड़े तो छोड़ ही जाता। इसलिये आंकड़े को ही पहले दिये देता हूं। मैंने यह निवेदन कर दिया कि अगर सोशलिस्टिक सरकार होगी तो वह सरकार सोशलिस्ट सरकार की गन्ध नहीं पा सकती। मैं तो "सोशलिस्टक" शब्द पर जोर दे रहा हूं और मैंने इस सदन में निवेदन कर दिया था कि "सोशलिस्ट" और "सोशलिस्टिक" का अन्तर वही है जो मैं "सोने" और "सुनहले" में करता। बहुत दूर तक अगर कांग्रेस गयी है तो वह "सोशलिस्टिक" प्रकार ही कर पायी है। मैं तो यह कहता हूं श्रीमन्, कि इन्टरटेनमेंट ऐंड बेटिंग टैक्स अगर देखा जाय श्रीमन्, तो जो शहर और शहर के रहने वाले मजदूर हैं उनकी आमदनी के बढने घटने का वह द्योतक होगा और उसके बाद अगर इसके पूरे हिसाब किताब को देखेंगे तो सारे प्रांत की जनता के धनधान्य की वृद्धि का द्योतक होगा, क्योंकि टैक्स भी बढे और नई नई सामग्री शामिल की जायं और फिर भी साल के अन्त में उसकी वसूली कम निकले तो श्रीमन्, इसमें कहीं न कहीं दोष जरूर है।

१९४९–५० में इन्टरटेनमेंट और बैटिंग टैक्स की आमदनी ७,९०३ रुपये थी, १९५०–५१ में ८,९३४, १९५१–५२ में ९.३९६, १९५२–५३ में ८,३०४, १९५३–५४ में ७,६१९। यानी कहने का मतलब यह है श्रीमन्, कि १९४९–५० में जो आमदनी थी वह भी १९५३–५४ में नहीं रही। बीच की बात हमने छोड़ दी है। १९४९–५० में जितनी आमदनी सरकार को होती थी और जितना धन-धान्य हमारे प्रदेश में उस समय था आज उतनी आमदनी भी हमारी नहीं हो पा रही है, इन्टरटेनमेंट ऐंड बैटिंग टैक्स से। इसका क्या कारण है ? शायद हमारे माननीय मंत्री जी जवाब देंगे कि लोगों में शिक्षा ज्यादा बढ़ गई। खैर, मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता हूं।

श्रीमन्, इसके बाद यह है कि रजिस्ट्रेशन को बढ़ा दिया गया। जिस समय यह बढाया गया था तो हमने विरोध किया था कि इसको क्यों बढ़ाते हो। उस समय के जो मुख्य मंत्री माननीय पंत जी थे, मैं उनके कमरे में गया और उनसे निवेदन किया था कि इस तरह से स्टाम्प को बढ़ाकर सरकार की आमदनी नहीं बढ़ सकेगी। ऐसा मेरा कहना है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास गलत आंकड़े आगये हैं, क्योंकि हमारा विभाग तो कहता है कि कई लाख की वृद्धि हो जायगी। लेकिन अब हम देखते हैं कि वास्तव में में जो आमदनी रजिस्ट्रेशन से १९५३–५४ में हुई वह २९,३८,७०२ रुपये थी और १९५५–५६ में (बीच के फीगर्स को हमने छोड़ दिया हैं) २८,७०,०००।

श्री अध्यक्ष—अभी जो १९५५–५६ चल रहा है।

श्री राजन रायण—जी हाँ, १९५३–५४ में २९,३८,७०२ थी जबकि १९५५–५६ की जो कि माननीय वित्त मंत्री जी बना रहे हैं जो कि अनुमानित है, उसमें आमदनी नहीं बढ़ रही है। वह २८,७०,००० रख रहे हैं यानी एक लाख के करीब घाटा इसमें भी हो रहा है।

इसी तरह से अन्य कर और शुल्क को देखा जाय जिसमें सब शामिल हैं मनोरंजन, विनोद, बाजी लगाना तथा जुआ कर, बिजली कर और गन्ना कर वगैरा कुल मिलाकर १२,१६,९२,५४९ रुपये थी। जो घटकर १९५५–५६ की अनुमानित आय है वह १०,७६,५९,६०० रुपये यानी इसमें करीब दो करोड़ रुपये का घाटा सरकार को हो रहा है। यह घाटे क्यों? जब कि टैक्स बढ़ते जा रहे हैं और फिर जब सामूहिक टोटल किया जाता है तो क्यों घाटा हो जाता है?

श्रीमन्, बिक्री कर में अगर देखा जाय तो इस साल करीब १० लाख का घाटा गत वर्ष के बनिस्बत है। बिक्री कर का रेट कम नहीं हुआ है, बल्कि बिक्री कर ऐक्ट में संशोधन हुआ और जब संशोधन हुआ था उस समय भी विरोधी पार्टी ने कहा था कि इस तरह से ऐक्ट में संशोधन करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है तो उस समय तरह-तरह के तर्क दिये जाते थे मगर आज वह तर्क कहां चले गये? सारे तर्क खोखले निकले। जैसे कोई फूटी ढोल हो जो सुरीली आवाज भी नहीं निकाल सकती, वही हालत इस बजट की है। भाषण को पढ़ लीजिये। इसमें मैं क्या कहूं, माननीय मंत्री जी खुद ही इसको समझेंगे, उनको बताना चाहिये, भावावेश में नहीं आना चाहिये। हम जो अटैक कर रहे हैं वह इसलिये नहीं कि हम सोशलिस्ट हैं, वह तो हम अपने भाषण के अन्त में कहेंगे, अभी तो जो ढांचा वर्तमान सरकार का है उसी को मैं इस समय इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्रीमन्, कुछ माननीय मंत्रीगण यहां दिखलायी नहीं पड़ रहे हैं, मगर मैं सरकार की योजनाओं को जिनका यहां पर वर्णन है सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सरकार शराब बन्द करना चाहती है या नहीं? मेरा कहना यह है कि सरकार को जो अपने को एक दम आगे जाने के लिये कहती है और सोशलिस्ट प्रकार का समाज बनाने की बात कहती है कम से कम इस बार तो सफाई से आना चाहिये था कि शराब के बारे में उसकी क्या नीति है। ग्यारह जिलों में शराब बन्दी है। ३९–४० की फीगर्स जरा देखिये जब कि बड़ी रद्दी हुकूमत थी, जिसको मिटाने में देश के तमाम तरक्की पसन्द और आजादी पसन्द लोग लगे हुये थे। ३९–४० में २७५.१ हजार गैलन शराब इस सूबे में बिकी थी, ४०–४१ में ३४५.३ हजार गैलन, ४१–४२ में ३८३.६ हजार गैलन, सन् १९४३ से १९४८ तक वृद्धि होती है और ११ से लेकर १२ लाख गैलन तक शराब की बिक्री इस सूबे में होती है। जहां सन् ३९–४० में पौने तीन लाख गैलन, ४०–४१ में साढ़े तीन लाख गैलन और ४१–४२ में पौने चार लाख गैलन शराब यहां बिकती थी वहां ४३ से ४८ तक ११ लाख गैलन से लेकर १२ लाख गैलन तक शराब की बिक्री इस सूबे में इस कांग्रेसी राज्य के जमाने में जो अपने को कहती है कि शराब बन्दी करना चाहती है। अब सन् ४९ से लेकर ५३–५४ तक की जो फीगर्स हैं उनसे मालूम होता है कि ८ लाख से लेकर १० लाख गैलन तक शराब की बिक्री इस सूबे में हुई। अब देखना यह है कि सरकार इन

[श्री राजनारायण]

आंकड़ों से अपनी किस नीति को साबित करना चहती है। ८ लाख गैलन से लेकर १० लाख गैलन के रेंज में ४९ से लेकर ५३–५४ तक शराब की बिक्री हो रही है और सरकार कहती है कि हम शराबबन्दी को योजना चला रहे हैं। प्रांत के कुछ जिलों में शराब बन्दी की योजना कार्यान्वित भी है। लेकिन जब यह योजना नहीं थी तो सन् ३९ से लेकर ४२ तक शराब की बिक्री केवल तीन लाख से लेकर पौने चार लाख गैलन तक ही थी। मेरा ख्याल है कि सरकार प्रचार के लिये, कागजी प्रोपेगेंडा के लिये अब इतना धन व्यर्थ बरबाद न करे। अब वह वस्तुस्थिति पर आये तभी जाकर तथ्य मालूम हो पायेगा और तथ्य को जानकर तभी नीति का निरूपण अच्छी तरह से हो पायेगा।

श्रीमन्, गांजे के बारे में इसमें चर्चा है। उन आंकड़ों को भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज जो सरकार का विभाग है उस पर वह ध्यान दें। जिस तेज रफ्तार के साथ सरकारी दूकानों पर, सरकारी गांजे की बिक्री में कमी दिखायी जा रही है मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुकानें गांजे की टूट जानी चाहिये। श्रीमन्, १९४६–४७ में ४०.३ हजार सेर गांजे की बिक्री थी। १९४७–४८ में ३५.५ हजार। अब ४७–४८ के बाद जब कि इस सरकार ने ला ऐंड आर्डर ज्यादा मेंटेन करना शुरू किया और चारों तरफ धनधान्य बढ़ने लगा तब उसके आंकड़े जरा देखिये ३५.५ से १७.९ पर आ गये। १७.९ हजार सेर गांजे की बिक्री हुई सरकारी दूकानों पर और अब घटती जा रही है। ४९-५० में १० हजार सेर, ५०–५१ में ८ हजार सेर, ५१–५२ में ६ हजार सेर, ५२–५३ में ५ हजार सेर और ५३–५४ में ५.३ हजार सेर गांजा सरकारी दूकानों से सारे प्रान्त में बिका। मगर सरकारी गांजे इतना बिका, आमदनी सरकार को कुछ कम ही हुई होगी। श्रीमन्, रोज समाचार-पत्रों में आता है, कभी पांच मन, कभी तीन मन, कभी चार पसेरी, कभी छः पसेरी, कोई दिन नहीं जाता जिस दिन समाचार-पत्रों में यह न आता हो कि चोरी से गांजा आ रहा है। आज सरकारी दूकानों से, बिहार के सूबे से गांजा, नैपाल का गांजा, दूसरे स्थानों का गांजा लेकर सरकारी दूकानों पर जो ठेका लेते हैं सरकार से गांजा बेच रहे हैं और जो सरकारी गांजा है उसकी मात्रा कम होती दिखायी देती है। बार-बार मैंने इस संबंध में माननीय मंत्री जी से निवेदन किया और उन्होंने जब बड़ी कृपा की हमारे ऊपर तो अपने बनारस के डिपार्टमेंट को लिख दिया कि चोरी से जो गांजा आता है उसके पकड़ने में राजनारायण जी की भी मदद लीजिये। अब मालूम होता है कि हमारे लिये यही काम रह गया है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं इस संबंध में कि हमारी नैपाल के मंत्रियों से भी बातचीत हुई। वह बेचारे खुद परेशान हैं। वह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारी मदद नहीं करती, नहीं तो हम यह चोरी का गांजा जाने न देते। जहां कोई उनकी सीमा पार करके कोई आ गया वहां उत्तर प्रदेश की सरकार की जो पुलिस है वह उसको पूरा संरक्षण देती है और गांजा धीरे-धीरे चला आ रहा है। इसमें मैं ज्यादा समय न लूंगा। इतना ही कहूंगा कि इसका भाव जो है इसमें भी सरकार को अपनी नीति बदलनी होगी, क्योंकि जब बिहार का सूबा लगा हुआ है वहां पर जब सरकारी गांजा सस्ता बिकता है, इसमें चोरी भी नहीं कि बिहार का गांजा जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश के गांजे से आधी या उससे भी कम कीमत पर बिक रहा है। और बिहार का सरकारी गांजा खरीद कर ला कर उसको वहां के सरकारी रेट से कुछ बढा कर अगर व्यापारी बेचते हैं तो उनको कुछ न कुछ फायदा होता है और इस सरकार को नुकसान होता है। तो सरकार या तो स्पष्ट कह दे कि हमारे प्रांत में गांजा भांग, शराब नहीं बिकेगी। इसका ठेका सरकार नहीं देगी, क्योंकि अगर सरकार की अगर यह नीति है तो फिर नीति होनी चाहिये और अगर नहीं है तो फिर नीति के नाम पर अनीति नहीं होनी चाहिये। आज तो नीति के नाम पर अनीति का प्रचार सरकार कर रही है इससे बड़ा भारी भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है।

श्रीमन्, मैं इस संबंध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हिसाब-किताब की बातों को सामने रखकर माननीय वित्त मंत्री ने जो प्रोस्पैरिटी को दिखाने की कोशिश की वह सत्यता

से परे है। अब कुछ और बातें जिनको मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सामान्य रूप से अगर देखा जाय तो हमें ऐसा लगता है कि जो यह हिसाब-किताब, बजट और एकाउन्ट के तमाम मामले हैं यह कुछ गड़बड़ से हैं। मैं अधिकारपूर्ण तरीके से तो नहीं कह सकता मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि हमारी सरकार इस बात पर भी अच्छे तरीके से विचार करे। जहां तक हमने समझने की कोशिश की हमको ऐसा लगता है कि सरकार के एकाउन्ट और आडिट जो हैं उनको अलग-अलग होना चाहिये। अब तक जिस तरीके से चलाये जा रहे हैं उसमें रुपया निकाल लिया जाता है और खर्च हो जाता है, एकाउन्टेंट जनरल को आडिट में मालूम होता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना ज्यादा रुपया निकाला। अगर यह अलग-अलग हों तो हर एक डिपार्टमेंट इस चीज पर ज्यादा ख्याल रख सकेगा। आडिट के साथ एकाउन्ट को रखना किसी प्रकार से उचित नहीं है। हम यह समझते हैं कि इस तरह से करने में एफिशियेंसी ज्यादा हो जायगी और हमारा कंट्रोल भी ज्यादा रहेगा और जो बजट के आंकड़े में असंगतियां रहती है वह नहीं रह पायेंगी। बजट बनता है कुछ और खर्चा होता है कुछ। अनुदान मांगते हैं कुछ, और खर्चा होता है कुछ। जो यहां डफिसिट बजट पेश करके जनता के ऊपर करों का बोझ लाद दिया जाता है उससे वह कुछ हलके हो जायेंगे। और इसमें कुछ विभागीय मंत्रियों और सेक्रेटरीज को भी आसानी हो जायगी। कभी-कभी परेशानी भी होती है। कुछ विभाग ऐसे हैं जैसे कि पी० डब्ल्यू० डी०। उसमें सेक्रेट्री भी है और इसके जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव हेड चीफ इंजीनियर हैं वह भी अपना एक विभाग रखते हैं, जो सारे विभाग का कंट्रोल करते हैं। सेक्रेट्री भी अपना स्टाफ रखता है और चीफ इंजीनियर भी अपना रखता है और जो सारा काम होता है वह चीफ इंजीनियर के द्वारा होता है। इस विभाग को इतना हैवी रखने की क्या आवश्यकता है? इसको दूसरे तरीके से कुछ और माडल पर चलाने की कोशिश होनी चाहिये। आज जिस तरह से वह चल रहा है उसमें बड़ी गड़बड़ हो रही है। उसी तरीके से जैसा कि एजुकेशन है उसमें डाइरेक्टर साहब अलग हैं और सेक्रेट्री साहब अलग हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि सेक्रेट्री साहब कुछ आदेश देते हैं और एक ही विषय पर डाइरेक्टर साहब अलग आदेश देते हैं। बड़ी परेशानी हम लोगों को यह हो जाती है कि जो गरीब हैं जिनको कोई सोर्स नहीं है उनकी मंत्रियों तक पहुंच नहीं हो पाती है और जिनकी पहुंच हो जाती है वह नाजायज काम भी वहां से अपना करा लेते हैं। इससे परेशानी बहुत हो जाती है। कुछ ऐसे उदाहरण हम अनुदान के समय पेश करेंगे। मगर मूल रूप से हम यह जरूर चाहते हैं कि इनका एकीकरण हो जाय तो ज्यादा सहूलियत होगी। जो डैफिसिट फाइनेंसिंग होगा उसमें बचत ज्यादा होगी। कभी-कभी सरकार की ओर से यहां पर जो वर्तमान ढांचे चलाते हैं उनकी तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि यह सीक्रेसी को मेंटेन रखने के लिये किया जाता है। तर्क के लिये यह कहा जा सकता है किन्तु इसमें कोई तथ्य नहीं है।

अब हमको श्रीमन्, यह भी देखना पड़ेगा कि आंकड़े जो इस सदन में दिये जाते हैं, मैं एक आंकड़ा पेश करके बताना चाहता हूं कि, वे कहां तक विभागीय गड़बड़ी से भरे होते हैं और विभागीय गड़बड़ी की वजह से उसमें त्रुटि होती है और जिसका नाजायज़ तरीके से जनता पर बोझ पड़ता है, उसकी भी सफाई हो जायगी। सन् ५१-५२ की जो एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की रपोर्ट है, उसमें आडीटर ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनकी ओर जरा नजर दौड़ाइये। उसके पेज ४ पर आप देखेंगे कि वोटेड और चार्ज्ड दोनों प्रकार की सेविंग्स दी हुई हैं। उसमें बताया गया है कि ३२,५८,१३,५४५ रुपये की सेविंग्स हुई है। हमारे सामने बजट रख दिया जाता है, उसको रखकर डेफीसिट दिखाया जाता है, उसको पूरा करने के लिये सरकार की टैक्स लगाने की गलत नीति को सही साबित करने की नापाक कोशिश की जाती है। जब साल के आखिर में देखा गया तो ३२,५८,१३,५४५ रुपये की बचत हुई। यह क्या है? और तो अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल ने अपने संबोधन में बजाय शैशव के प्रौढ़ जनतंत्र शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन सरकार उस प्रौढ़, बालिग़ अथवा जवान का कुछ तो लिहाज करे। अब मैं डिटेल्स पर आता हूं। वोटेड में ७१,५८,५३३ रुपये की बचत बतायी गयी है। यह सेविंग्स

[श्री राजनारायण]

किन-किन विभागों में हुई है उसकी पूरी लिस्ट यहां है लेकिन उसमें मैं सदन का समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। उसमें यह लिखा हुआ है—

"Savings on voted grants—Savings occurred in 47 out of 51 voted grants. A list of the more important cases with brief reasons is given below."

यह एकाउन्टेंट जनरल की आडिट व एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की रिपोर्ट पेश है। वे कहते हैं कि ४७ में कुल जो सेविंग्स हुई हैं वे १७,७१,५८,५३७ रु० की वोटेड ग्रांट्स में से हैं। अब श्रीमन्, मैं, कमलापति जी जो सिंचाई विभाग के मंत्री हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सिंचाई कर क्यों बढ़ाया और क्यों ३ हजार आदमियों को जेल भेजा गया, हमारी कुरकियां क्यों हुईं, क्यों जुरमाने हुये और क्यों हमारी मां-बहनों की इज्जत पर आक्रमण हुये? सरकार के मंत्रिगण बराबर कहते हैं कि सरकार टैक्स न बढ़ाये तो विकास योजनायें कैसे कार्यान्वित हों। कैसे नहरें बनें, कैसे नलकूप बनें और कैसे बांध बांधे जायं? इर्रीगेशन का टैक्स लगा कर सारी जनता को पीसा गया, सारे सूबे की गरीब जनता को परेशान किया गया, लेकिन बाद में १७ करोड़ से ऊपर बचत हुई। क्या इस बात को बजट में ठीक तौर से रख कर काम नहीं चलाया जा सकता था?

एक सदस्य—यह एकाउन्ट्स रिपोर्ट किस साल की है?

श्री राजनारायण—यह ५१-५२ की है। जब इस साल के आंकड़े आयेंगे तो और भी ज्यादा लूप होल आपको दिखाई देगा। हमारे सरदार साहब शिवमंगल सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही। अभी तो साढ़े बारह ही बजे हैं। श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ५१-५२ की आडिट रिपोर्ट अगर ५५-५६ में मिलती है तो यह किसकी बुद्धि का दिवाला है। एकाउन्टेंट जनरल साहब का कहना है कि ४-४ बरस हो जाते हैं, लेकिन हेड्स आफ दी डिपार्टमेंट कायदे से एकाउन्ट्स नहीं भेजते हैं। इसलिये यह गलती भी सरकार की गलत नीति की द्योतक है।

माननीय शिवमंगल जी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको जरा समझ लें। अच्छा हुआ कि उन्होंने इस तरफ हमारा ध्यान दिलाया और इसके लिये मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं। श्रीमन्, यह तो सेविंग हुई मगर जो एक्सेस हुआ उसको भी जरा देख लें। अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर यह मानी हुई बात है कि अगर सरकार के बजट का ज्यादा रुपया समाज सेवा पर खर्च हो तो वह सरकार कुछ अच्छी मानी जायगी और अगर बजट का ज्यादा हिस्सा केवल सुरक्षा पर खर्च हो, जेल और पुलिस पर खर्च हो तो वह सरकार क्या कही जायगी? इसी को तो पुलिस स्टेट कहते हैं कि पुलिस के बल पर ला ऐंड आर्डर मेंटेन किया जाय। लालेसनेस को तो आप ला कहते हैं और डिसआर्डर को आर्डर कहते हैं। अब एक्सेस कहां हुआ है इसको मैं खोज रहा हूं, इससे और कुछ न समझा जाय। लीजिये पुलिस विभाग भी आ गया, इसमें ऐक्सेस हुआ है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट विभाग में भी एक्सेस हुआ। जो विधेयक यहां पर कल पेश था और जिस पर इस सदन ने कल अच्छी तरह से विवाद किया और जिसे पास नहीं किया उसके बारे में मेरे माननीय मित्र को बड़ी शिकायत थी। हालांकि आपने उस पर अपनी सम्मति प्रकट कर दी है इसलिये उसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं कहना है लेकिन यह सोचने की बात है कि मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज मिला कर कुल २७ या २९ हैं और कोरम तो लगभग वही बना सकते थे मगर चुनाव प्रचार हो रहा है। हमारा कोरम पूरा न हो लेकिन सभी निर्वाचन के काम में असेम्बली के काम को छोड़कर लगे हुये हैं और कोई चेयरमैन अच्छा काम करे, २२ मिनट तक इन्तजार करने के बाद सदन को ऐडजर्न कर दे तो कुछ लोगों को दिखलाई देता है कि शायद उन्होंने कहीं गलती की है। धन्य है, श्रीमन्, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ३८,२४,४९९ रु० एक्सेस हुआ। यह एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स १९५१-५२ के पेज २०४ पर दिया हुआ है। माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भी हो तो वे जरा उधर नजर रखें। आप भी जरा २०४ पेज खोल लें श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—मुझे आपका विश्वास है।

श्री राजनारायण—आप विश्वास तो कर ही सकते हैं, यह आपकी अनुकम्पा विशेष हम लोग के ऊपर रहती ही है। ए० जी० की जो आडिट रिपोर्ट है उनकी भाषा को मैं माननीय सदस्यों को सुना देना चाहता हूं ताकि आप उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें :

"Sub-head A (g) B were mainly responsible for the uncovered excess; of Rs.38,24,499 over the grant. The heavy purchases of spare parts by the Chief Mechanical Engineer much in excess of the sanctioned limit in anticipation of obtaining a supplementary grant (Sub-head B) was highly irregular. No supplementary grant was, however, finally obtained to meet the anticipated excess."

यह क्या कंस्टीट्यूशनल है? यह क्या वैधानिकता के अन्दर है कि अभी तक सेक्शन न लिया गया हो? रिपोर्ट में यह है कि हाइली आब्जेक्शनेबिल सो तो है ही कि इतनी भारी रकम ३८ लाख की जो बजट में कहीं आयी नहीं और उसको खर्च कर दिया जाय। और इस उम्मीद में कि हम इस को सप्लीमेंट्री ग्रांट में ले लेंगे और सप्लीमेंट्री ग्रांट में भी उसकी चर्चा न हो और अभी तक भी उसकी चर्चा न हो और सदन में एक दूसरा विधेयक लाकर प्रस्तुत भी कर दिया जाय यह किस बात का द्योतक है, लायकी का या नालायकी का? इन तमाम बातों पर चर्चा सदन में होनी चाहिये मगर इस बात की चर्चा नहीं होगी और जो सम्मानित सस्य सदन में खड़े होंगे वह राजनारायण को दो चार बातें सुना लेंगे लेकिन अब वह बात हो गई है और जनता अब साफ साफ कहती है कि "अब लौं नसानी अब न नसैहों" यानी अब तक जो अपना नाश किया सो किया अब नहीं करने वाले हैं। खैर, तो जो हमने पहले आपकी सेवा में निवेदन किया था कि आडिट और एकाउन्ट अलग-अलग हो उसमें एक आसानी और थी। आजकल होता क्या है। बजट तो मार्च में खत्म हो जाता है करीब २६ या २८ मार्च को पास हो जाता है मगर यह खर्च के लिये कब जायगा? कहीं अक्तूबर के अन्त में या नवम्बर के शुरू में और करीब-करीब इस सदन के हर सम्मानित सदस्य और हर सचेत मंत्री इस बात को स्वीकार करें कि जब मार्च का महीना नजदीक आता है तो घबराहट होने लगती है कि अब रुपया कैसे खर्च किया जाय और खर्च करने की बात तो मैं बहाना कहता हूं, असल बात तो है कि किस-किस तरह से खर्च किया जाय। हमारे यहां बहुत से जिलों की बात मालूम है कि प्लानिंग आफिसर्स मीटिंगें करके कहते हैं कि हमारे पास इतना रुपया बच गया और कोई ऐप्लीकेशन दे दे और रुपया ले ले और कोई सड़क बनवाने के लिये, कोई कुंआ खुदवाने के लिये और कहीं एक गांव से दूसरे गांव तक सड़क ले जाने के लिये दरख्वास्तें ली भी जाती हैं पर वह रुपया मिलता किस को है जो असर वाले लोग हैं, जो ज्यादा सम्पन्न व्यक्ति हैं और जो मंत्रियों के आसपास बैठते हैं या चाय पानी पिलाने वाले लोग हैं, जब कि मंत्रीगण उनके जिलों में जाते हैं, उनको मिल जाता है और सामान्य जनता उससे वंचित रह जाती है।

मैं, श्रीमन्, इस साल के बजट में जो कमी हुई है परसेंटेज की उसको आपके समक्ष रखूंगा। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने आंकड़ों में कुछ रकम की बढ़ोत्तरी दिखाई है, लेकिन ९१ करोड़ के बजट से अगर उनका परसेंटेज निकाला जायगा तो वित्त मंत्री जी को मानना पड़ेगा कि परसेंटेज में कमी हुई। जैसे शिक्षा में देखिये। शिक्षा पर जितने भी विचारक हुये सबने एक स्वर से कहा है कि इस पर परसेंटेज बढ़ना चाहिये और केंद्रीय सरकार ने श्रीमन्, एक एजूकेशन फाइनेंस कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने तो यहां तक कहा था कि शिक्षा पर २० प्रतिशत प्रान्तीय सरकार को और १० प्रतिशत केंद्रीय सरकार को खर्च करना चाहिये। लेकिन आज जहां तक प्रांत की बात है उस पर २० फीसदी नहीं ११.३ प्रतिशत खर्च होता है। पारसाल अगर देखा जाय तो ११.७ था। ५२-५३ में तो १२.४ प्रतिशत था, उससे घटकर पारसाल ११.७ प्रतिशत हुआ और इस साल ११.३ हो गया और इस साल पुलिस, जेल और न्याय प्रशासन को देखिये। इन पर बढ़ा है। न्याय प्रशासन पर जहां पारसाल १.५ प्रतिशत था वहां इस साल १.८ प्रतिशत है। तो घटेगा कहां? चिकित्सा में,

[श्री राजनारायण]

जनस्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और बढ़ेगा कहां ? पुलिस पर, जेल पर और न्याय प्रशासन पर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किस बात को सामने रख कर माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं कि यह सोशलिस्ट प्रकार का बजट है ?

श्रीमन्, आँकड़ों से अलग हो जो माननीय वित्त मंत्री जी ने एक-एक आइटम अपने बजट भाषण में रखा है उस पर कुछ आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी कहते हैं, जरा पहला पेज माननीय सदस्य निकाल लें सरकार का मकसद उत्तर प्रदेश को कल्याणकारी राज्य बनाना है। इस वर्ष हम अपने मकसद में एक कदम और आगे बढ़े हैं। "अपने मकसद में एक कदम और आगे बढ़े हैं" इसकी दुहाई और सबूत देने की जरूरत नहीं थी। हर आदमी समझता है कि जो सोशलिस्ट स्टेट होगी या सोशलिस्ट प्रकार भी कहिये तो वह कल्याणकारी राज्य होगा। अब मालूम होता है कि माननीय वित्त मंत्री की समझ में यह बात आई कि कल्याणकारी तो सही मानी में केवल सोशलिस्ट प्रकार का ही राज्य हो सकता है। इसके लिये हम उनकी तारीफ करते हैं और वे अब भी समझ कर चलें। श्रीमन्, आगे कहते हैं कि जो परिवर्तन अब हुआ है वह हमारी पालिसी में पहले से ही था। जरा देखिये, श्रीमन् कि जो परिवर्तन आज हुआ वह माननीय वित्त मंत्री की पालिसी में पहले ही था तो फिर यह दुहाई "एक कदम आगे और बढ़े हैं" की बात क्यों आई ? इतनी मेहनत करके इस बजट स्पीच को तैयार कराने की तकलीफ वित्त मंत्री ने गवारा क्यों की ? फुल कांट्रेडिक्शंस से भरा हुआ यह भाषण है। अगर श्रीमन्, आप इसे फुरसत में देखेंगे तो आप ज्यादा कांट्रेडिक्शंस निकालेंगे। कहते हैं कि सरकार बाल्यावस्था में थी। इसमें वह कहते हैं कि "इससे पहले हमको प्लान बनाने का कोई तजुरबा नहीं था और देश की आर्थिक स्थिति ऐसी थी जिससे हिम्मत टूटती थी। जरूरी चीजें जैसे कपड़ा, खाना नहीं मिलते थे, आमतौर पर एक मुसीबत फैली हुई थी"। मगर जब बाल्यावस्था जवानी की उम्र में बदल गई तो सरकार ने कौन सी नीति बदली ? माननीय वित्त मंत्री ने कोई नीति नहीं बदली। एक नीति का बड़ा प्रचार है सेल्फ सफीशेंसी की। सेल्फ सफीशेंसी का नारा बिलकुल व्यर्थ है। है नहीं सेल्फ फीशेंसी। अगर है तो जो पहले हालत थी उसको ही सेल्फ सफीशियेंसी कह देना चाहिये। फिर बीच में कंट्रोल वगैरह लगा हुआ था। आज किदवाई साहब हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने ही मुक्त कठ से कई बार कहा कि जो सरकारी आंकड़े फूड डिपार्टमेंट के हैं वे गलत हैं। उन आंकड़ों पर कट्रोल और डिकंट्रोल की पालिसी निर्धारित नहीं की जायगी। इसी तरह से गांधी जी ने भी कहा था कि बर्न दी फाइल्स नहीं तो पुराने आंकड़ों के जाल में फंस जाओगे और जो अंग्रेजी राज्य की विरासत है वही चली आयेगी। वित्त मंत्री ने शिक्षा की बात भी कही और बजट भाषण में शिक्षा पर जो ब्यान दिया है उसमें कहा कि हमारी नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है। पेज १५ में श्रीमन्, देखिये। उसमें कहा गया है "बजट वर्ष के लिये शिक्षा में सिर्फ ये ही नहीं कि अब तक जो कुछ होता रहा है वही जारी रहे, बल्कि उसकी "क्वालिटी" में उन्नति करने के लिये बन्दोबस्त किया गया है।" क्वालिटी में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या बन्दोबस्त किया गया है ? यह सब हमें मालूम है। बन्दोबस्त यह हुआ है कि शिक्षा विभाग की ओर से एक परिपत्र गया और वह परिपत्र गया कि ऐसे विद्यार्थी या ऐसे अध्यापक जो कि कांग्रेस पार्टी की रीति-नीति को न मानने वाले हों उनकी लिस्ट बनाई जाय और उनके जो राजनीतिक आचरण होत हैं उनके बारे में रिपोर्ट की जाय ताकि ऐसे जो सरकार की दृष्टि में नालायक लोग हैं और सारे देश की दृष्टि में जो लायक होंगे उनके लिये कोई सरकारी सहायता न हो। ऐसे अध्यापक स्कूल के काम में न लगे रहे, वह सब बेकार की श्रेणी में भेजे जायं और आज मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी, जो कि इस प्रांत के शिक्षा मंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं यहां बैठे हैं। उनकी श्रीमन्, जो स्कीम चली थी, मास एजूकेशन की जो स्कीम थी उसकी हम लोगों ने, सब ने प्रशंसा की थी। बड़े स्कूल बनाये गये, एजूकेशन में भी वृद्धि हुई। एक लहर आई और मालूम होता था कि अब निरक्षरता दूर हो जायगी। हमने साक्षरता के आंकड़े तो पहले ही दे दिये थे, उस समय

कि जो लिट्रेसी है अपने प्रांत में वह १०.८ है जिसमें मर्द ७.४ और स्त्रियां ३.४ हैं, तो ऐसी जगह वह सारी स्कीम माननीय संपूर्णानन्द जी की दफना दी गई। जो स्कूल बने थे, न मालूम कितनी मेहनत से गरीब लोगों ने बनाये थे, कहीं गिर गये, कहीं उजड़ गये, खत्म हो गये, जो किसी तरह से चल गये सरकार की दोहाई देते हुये वह चल पा रहे हैं। उनको पैसा नहीं मिलता, उनकी बड़ी दुर्दशा है और बड़ी दयनीय हालत है। अब एक नीति जरूर बदली है। सरकार कहती है कि अब हम क्वान्टिटी पर जोर नहीं देंगे याने जो मास एजूकेशन की पालिसी थी सम्पूर्णानन्द जी की वह खत्म हो चुकी है। वह तो क्वान्टिटी को बढ़ाती जाती थी, वह तो पढ़े-लिखे लोगों को बढ़ाती जाती थी लेकिन अब यह सरकार और आपके शिक्षा मंत्री जी क्वालिटी चाहते हैं, अब यह पढ़े लिखे दक्ष लोग, अनुभवी लोग और वैसे जो दक्षता के साथ शिक्षा विभाग को चला रहे हैं उस तरह के दक्ष लोगों को पैदा करने की ओर उनकी प्रवृत्ति है। इसमें हुआ क्या? हुआ यह कि विद्यार्थियों को अब पास कम करो, जांच में सख्ती करो, एक्जामिनेशन पेपर बदल दो, दूसरे तरीके के पेपर्स दो और उनमें उन तमाम सवालातों को भर दो जो पढ़ाये न जाते हों। क्यों? इसलिये कि शिक्षितों की एक फौज सारे प्रांत में बढ़ रही है, देहातों में ज्यादातर वह अपने को बेकार समझते हैं और इन बेकारों की टोली इस सरकार के विरुद्ध है और इस तरह से सरकार के विरुद्ध एक जन आंदोलन का संगठन होता चला जा रहा है। जो सरकार जनकल्याण के लिये अपने को ही ठेकेदार समझे उसकी नीति में तो यह देख कर जरूर परिवर्तन होगा। वह समझेगी और चाहेगी कि क्यों अनावश्यक ढंग पर पढ़े लिखे लोगों की ऐसी टोली फैले, इसको कंट्रोल करो। इसके लिये फिर से हिदायतें भेजी गईं कि विद्यार्थी कम पास करो ताकि रिजल्ट कम हो। जैसे राजनारायण हैं, वह ग्रेजुएट नहीं हैं मान लीजिये और आप ग्रेजुएट हैं तो हम दोनों में बड़ा फर्क समझा जायगा। मैं अपनी दृष्टि से सोचूंगा कि क्या कारण है कि मैं पास नहीं हो सकता, मेहनत करूंगा और पास हो जाऊंगा, तो इस मनोवृत्ति को लेकर सरकार चल रही है और इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कहूंगा कि आप कृपा करके इस तरह की क्वालिटी न पैदा करें बहुत से अपढ़ जो हैं वह भी वर्तमान ऐसे पढ़े व्यक्तियों से कहीं अच्छे हैं और ईमानदार हैं और कुशल हैं कि जिनके ऊपर आज जिम्मेदारी है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मास एजूकेशन की स्कीम जिसकी एक बार माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कल्पना की थी, उसको और सुव्यस्थित ढंग पर, अच्छे तरीके से और डेमोक्रेटिक ढंग पर चलाने की आवश्यकता है। उसमें और पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, उसमें और बजट का हिस्सा लगना चाहिये, यह नहीं कि आप क्वालिटी के नाम पर भ्रम पैदा करें कि अब तो सरकार अच्छे, दक्ष लोगों को पैदा करना चाहती है। और श्रीमन्, इस सदन में बहुत बातें तो जब शिक्षा के संबंध में विधेयक आया था उस समय हो चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि सरकार की शिक्षा नीति कोई नीति नहीं है। अराजकता है शिक्षा में, अव्यवस्था है और शिक्षा को केंद्रित करके सारी ताकत शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपने हाथ में ले करके आज शिक्षा के क्षेत्र में बदअमनी पैदा करना चाहती है, जिसका सबूत इस सदन में कई बार पेश किया जा चुका है। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से चाहता हूं कि वे स्वतः या इसी दिन के सरकारी पक्ष को लोगों को भेजें, जाकर फतेहपुर में देखें जो बंशगोपाल जी का मामला है उनके स्कूल का रिकगनिशन छिन गया, क्यों ग्रांट बन्द हो गई, क्यों उसी स्कूल से चार कदम की दूरी पर एक दूसरे व्यक्ति के जरिये दूसरा स्कूल चलवाया जा रहा है जो कांग्रेस के एम० एल० सी० हैं। मैंने दोनों की इमारतों को देखा है, केवल ४ कदम का ही फर्क है, इतनी अच्छी इमारत सन् १९१२ की और आज वह विद्यार्थियों से रहित है। उसमें सियार रात को लोटते होंगे, यह नीति है शिक्षा की सरकार की। श्रीमन्, कई बार हमने इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर से बात की, डायरेक्टर महोदय से बात करनी की कोशिश की, नहीं हो पायी, तीन-तीन-चार-चार दिन डायरेक्टर साहब फतेहपुर में टिके और उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारी मैनेजिंग कमेटी के तमाम लोग स्तीफा नहीं दे देंगे तब तक ग्रांट नहीं मिलेगी। उन लोगों ने कोशिश करके कुछ दिनों तक उसको चलाया मगर जब रिकगनिशन छीन लिया गया तो वे मजबूर हो गये। उनके आधे स्कूल के लड़के गवर्नमेंट स्कूल में और आधे उस स्कूल में जो कि उन कांग्रेसी एम० एस० सी० के संरक्षण में चल रहा है, पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट में इस मामले का

[श्री राजनारायण]

रिट दाखिल है, हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के बाद इस सरकार में इतनी, जो तहजीब, तमद्दन, संस्कृति का नाम लेती है, राजनीतिक नैतिकता नहीं आयी कि हाई कोर्ट के सरकार के आदेश को सस्पेंड करने के बाद उनको रिकग्नाइज करती, रिकग-निशन रेस्टोर करती। मगर हर तरह से कम्पेल किया जाता है कि सारा प्रबन्ध किसी कांग्रेसी के हाथ में आये, जब ऐसी शिक्षा दी जाय तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की बुद्धि के दिवालियापन का यह सबूत है।

श्रीमन्, आचार्य विनोबा भावे की एक छोटी पुस्तक है, जिसमें उन्होंने शिक्षा के बारे में अपनी सम्मति बहुत अच्छी तरह से व्यक्त की है। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य विनोबा भावे जी की जो सम्मति आयी और पुस्तक के रूप में आयी उस सम्मति के आने देने में इस सरकार के जो लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विधेयक थे, उन्होंने ही बड़ा काम किया। उन्होंने सोचा होगा कि हम भी इस बारे में अपनी सम्मति दें। अगर वह न देते तो हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मगर उन्होंने हमारी मरजी का समर्थन किया। जहां प्राग सत्ता होनी चाहिये वहां अब तो आर्थिक सत्ता, राज सत्ता आदि शिक्षा के क्षेत्र में चल रही है और सरकार जो मध्यम बुद्धि की होनी चाहिये जो क्रांतिकारी, बुनियादी ख्याल के बिल्कुल विपरीत काम कर रही है, वह सरकार जब शिक्षा में दखल देने लगेगी तो हमारे देश में जनतंत्र नहीं चल सकता, न पनप सकता है। मैं चाहता हूं कि यह सदन अच्छी तरह से इस पर विचार करे और विचार करके शिक्षा के क्षेत्र में अब तक इस सरकार की जो नीति अराजकता, गैर जनतांत्रिक प्रणाली की सारी ताकत के केंद्रित करने की रही है, उसका विरोध करे और माननीय मुख्य मंत्री जी से बिल्कुल सही तरीके से सदन कहे कि आप अपने मुख्य मंत्रित्व काल में शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन करें।

श्रीमन्, इसके बाद मेडिकल की बात में, पब्लिक हैल्थ के बारे में माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में दो पेज खराब किये। अब क्या मेडिकल में कर रही है सरकार? बनारस, यह न माना जाय कि चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं इसलिये बनारस का नाम ले रहा हूं, बनारस स्टेट रामनगर बड़ा ही व्यवस्थित अस्पताल था, हो सकता है अगर कभी आप गये हों तो आपने भी देखा होगा, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से चल रहा था और बड़ा ही अच्छा प्रबन्ध था, मगर आज सारा अस्पताल चौपट पड़ा है, उसकी सारी बिल्डिंग शून्य पड़ी हुई है बनारस में ही हिन्दू यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा अस्पताल है। मगर इस सरकार के दिमाग में यह बात नहीं आती कि एक मेडिकल कालेज उसी को बना दे, उसी को काफी सहाय्य देकर ऐसा रूप दे दे कि जिससे अच्छे तरीके से वहां प्रबन्ध हो सके और जो सारे देश के कोने-कोने से विद्यार्थी आते हैं, वह जाकर के उस अस्पताल की सम्पन्नता को देखें और इस सरकार के बारे में कुछ राय दे सकें। माननीय आचार्य नरेंद्रदेव जी जब वाइस चांसलर थे, तो कई बार सी० बी० गुप्ता जी गये। उनसे बात की, कई बार डेप्युटेशन भी उनसे मिला, उससे इधर-उधर की बातें करते रहे मगर कोई सहायता इस सरकार ने न दी जिससे वैसा कुछ प्रबन्ध हो सकता। श्रीमन्, एक अस्पताल के बारे में सन् ४६ से कहा जा रहा है। इस सदन में तीन साल से उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। माननीय कमलापति जी से भी उस संबंध में हमारी बातें हुई। जब कलेक्टिव फाइंस लगे हुये थे, सन् ४२ के जन-आन्दोलन के समय में, उस कलेक्टिव फाइन, सामूहिक जुरमाने का रुपया जो था वह एक अस्पताल गंगापुर में खोलने के लिये दिया गया था। मगर आज तक यह अस्पताल नहीं खुला। अभी उसी एक स्कूल की बिल्डिंग में जो बराबर चलती रहती है, एक कोठरी में सरकारी अस्पताल चल रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी अब की वहां गये थे, बन्दे को भी मौका मिला तो जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी वहां रहे तो बन्दे भी हाजिर हो गया। उन्होंने उसे देखकर कहा कि यह अस्पताल इस सरकार के लिये कलंक है, मैं राजा साहब बनारस से बात करूंगा कि जो उनकी बड़ी बिल्डिंग है उसमें उसको लाया जाय। मगर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब-जब लिखा गया तब-तब वह जवाब देते रहे, हां, हम विचार कर रहे हैं,

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं, राजा साहब को लिख रहे हैं। मगर लिखते-लिखते शायद जब माननीय चन्द्रभानु जी मंत्रिपद पर न रह जायं तब शायद कुछ हो। इधर तो कुछ होता दिखाई नहीं पड़ता। श्रीमन्, मैं आजमगढ़ गया, मिर्जापुर गया, इटावा गया, एक महीने के अन्दर वहां के अस्पतालों की हालत देखी। कहीं बेड के लिये डाक्टर रोते हैं तो कहीं पंखे के लिये रोते हैं। कहीं पंखे का राड तो लगा हुआ है मगर पंखा नहीं है। वह बराबर लिखते रहते हैं मगर रोते हैं कि कोई सुनवाई ही नहीं होती। मुझसे कहा कि जरा आप भी लिख दीजिये कम्प्लेंट बुक पर। मैंने कहा कि हम तो कम्प्लेंट करते-करते परेशान हो गये। अब कम्प्लेंट करना हमने छोड़ दिया।

तो हम चाहते हैं कि मेडिकल और पब्लिक हेल्थ का सही माने में अगर सोशलिस्टिक कोई प्रकार है, जिसको कि माननीय वित्त मंत्री जी हमसे ज्यादा अच्छी तरह समझते होंगे तो वह हमें बतायें कि सोशलिस्टिक प्रकार के स्टेट में क्या व्यवस्था होगी, किसके नियंत्रण में अस्पताल रहेंगे, किसको दवा मिलेगी, कैसी दवा मिलेगी, सस्ती दवा मिलेगी या महंगी मिलेगी? क्या आज सस्ती दवा उन मरीजों को मिल रही है जो आज मर रहे हैं मर्ज से? श्रीमन्, मैं आपको बताऊं इस सरकार की हालत को अफसोस हुआ, सीने पर पत्थर रखकर उस दृश्य को देखा। करीब ढेढ़ महीने की बात है। पानदरीबा में प्रांतीय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो दफ्तर है उससे निकल रहा था। वहीं राजेंद्र होटल है। उसी होटल के नीचे दाल भात रोटी, मालूम होता है कोई यात्री आया था, पूरा खाना लिये था, उसमें से बचा होगा, उसको उसने वहीं डाल दिया था उसी होटल के नीचे जहां पर कि पाखाना और पेशाब पड़ा हुआ था। श्रीमन्, एक हट्टा कट्टा आदमी उसी पाखाने पर पड़े हुये चावल को उठाकर खा रहा था। आंखों में पानी आ गया श्रीमन्, और दिल में लगा कि अगर अपने हाथ में ताकत होती तो ऐसी सरकार को एक मिनट के लिये भी बरदाश्त न करते। तो ऐसी हालत आज इस प्रांत में दिखाई देती है। तिस पर सरकार फख्र करती है, गर्व करती है कि हमने धनधान्य से पूरित कर दिया है सारे प्रांत को। मैं चाहता हूं कि आज जो मर जाते हैं, दवाई के लिये तरसते रहते हैं दवाइयां नहीं मिलतीं, जरा उनकी करुण पुकार इस सरकार के कान तक जाय और सरकार यह समझे कि कल्याणकारी राज्य हो या सोशलिस्टिक राज्य हो उसमें जनता को दवाई देना और दवाई की कमी से किसी को न मरने देना सरकार का फर्ज है। आज ऐसी हालत नहीं है। बजट भाषण में कुछ पेजेज के रंग देने से कुछ होने वाला नहीं है।

अब है कोआपरेशन। ह्वाट इज कोआपरेशन? हू इज कोआपरेटिंग विद दिस गवर्नमेंट? कोआपरेशन कौन कर रहा है इस गवर्नमेंट के साथ? केवल कोआपरेशन का नाम रख देने से कोआपरेशन नहीं हो जाता। मैं जानना चाहता हूं श्रीमन् ऐग्रीकल्चर फाइनेंस सब-कमेटी, कोआपरेटिव प्लानिंग सब-कमेटी, ऐग्रीकल्चर क्रेडिट आर्गेनाइजेशन कमेटी, सारी कमेटियों ने एक मत से यह राय दी कि किसानों से लम्बे अरसे पर ४ फीसदी और छोटे अरसे पर सवा छः फीसदी से ज्यादा सूद न लिया जाय। सारी सरकार की कमेटियां एक मत हैं, सारे विचारक एक मत हैं, मगर क्या आज साहस के साथ सरकार यह कह सकती है कि वह अपने इस डिपार्टमेंट के जरिये किसानों को जो कर्ज दिलाती है वह किस सूद पर? आज भी साढ़े नौ फीसदी से सूद कम नहीं हुआ, जबकि मद्रास में सवा छः फीसदी, बम्बई में सवा छः फीसदी, उड़ीसा में ८ फीसदी, पंजाब में ६ फीसदी, बिहार में पौने सात फीसदी और ट्रावनकोर में ८ फीसदी है। पहले सूद की दर बारह फीसदी थी। उसके बाद से चिल्लाते-चिल्लाते जब समय हो गया तो साढ़े नौ फीसदी पर आकर टिकी हुई है और बड़ा भारी वेल्फेयर स्टेट का प्रचार किया जाता है कि केवल हमारी स्टेट ही वेल्फेयर स्टेट है और दूसरी कोई है ही नहीं। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर कोआपरेटिव मूवमेंट चलाना चाहते हैं तो उसको नीचे से चलायें। इतने दिनों से चलते हुये जो यहां पर सहकारिता का आन्दोलन चल रहा है उसने आज जनता को आकर्षित नहीं किया। जब तक कंट्रोल व्यवस्था थी, कहीं-कहीं सोसाइटियां दिखलाई देती थीं, क्योंकि उनको मजबूर, बाध्य और कम्पेल होकर खाद्य, तेल और

[श्री राजनारायण]

नमक लेना पड़ता था और सोसाइटी बनाने पर ही वह मिल सकता था इसलिये कुछ सोसाइटियां बढ़ीं। मगर जनता के दिल में वह उत्साह, आकर्षण और प्रेरणा यह सरकार नहीं दे पायी जो किसी सभ्य सरकार को देना चाहिये।

श्रीमन्, लेबर वेल्फेयर का मामला जोकि १८ पेज में है, अगर माननीय मंत्री जी के लेबर वेल्फेयर को देखा जाय तो सारा मामला साफ है। मगर मैं लेबर वेल्फेयर के बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से लेबर आफिसर की भी नियुक्ति हुई, मगर यह क्या है, क्या इनके काम रह गये हैं? मुकम्मिल तौर से, पूर्ण रूप से, जो मिल मालिक हैं उनके ये हाथ में है और उनका हिसाब किताब बनाते हैं। लेबर से उनका और कोई संबंध ही नहीं रह गया है और अगर कोई लेबर वेल्फेयर आफिसर कुछ मजदूरों के हित में काम करने जायगा तो फिर मिल मालिक एक मिनट के लिये उसको बरदाश्त नहीं कर सकता। मिल मालिक कहेगा कि तुम्हारा ट्रांस्फर यहां से होकर रहेगा, तुम दूसरी जगह जाओ और जब वह कह देगा कि तुम्हारा ट्रांस्फर दूसरी जगह होगा तो सारा लेबर का डिपार्टमेंट, नीचे से ऊपर तक, सब लोग चिल्लाने लगेंगे, कोई उस चीज को रोकने का प्रयत्न नहीं करेगा। ऐसी अव्यवस्था वेल्फेयर के नाम पर हो रही है, बल्कि वेल्फेयर के नाम पर जो कुछ नहीं होना चाहिये वही हो रहा है। मैं ब्योरे में नहीं जाता, मैं चाहता हूं कि हमारे श्रम मंत्री जो नये बने हैं वह जरा इन विषयों पर ध्यान दें। आज तक जो व्यवस्था है उसमें वह जो परिवर्तन लायें वह बुनियादी लायें, केवल शब्दों से संतोष न करें। बड़ा असंतोष बढ़ा हुआ है।

बाढ़ों की रोकथाम, और माननीय वित्त मंत्री जी इस विषय पर न बोलते तो अच्छा था। बाढ़ की रोकथाम कैसे होगी? माननीय वित्त मंत्री जी के नुक्तेनजर में एक कमेटी बनाकर। कोई समस्या पैदा हुई, उसका सब से सरल और सुगम नुस्खा इस सरकार की नजर में है कमेटी बना देना। कमेटी बन गई, अब कमेटी काम कर रही है या नहीं, इससे सरकार का कोई मतलब नहीं है। जब सरकार से सवाल पूछा जायगा तो उत्तर दे दिया जायगा कि हमने कमेटी बना दी है, वह अपना काम कर रही है जब उसकी रिपोर्ट आयगी तब देखा जायगा। क्या सरकार उतावली पर चलती है, सरकार धीमी गति से चलती है, देखकर सोच समझकर चलती है, क्या एक ही काम है सरकार के पास बाढ़ रोकना? बस यही उत्तर होता है।

श्रीमन्, ऐसा होता है कि जब बाढ़ आती है तो सेवा कार्य के लिये इस बन्दे को भी उन जिलों में रहना पड़ता है जो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। साधारण बाढ़ जिसमें किसी कमेटी की जरूरत नहीं रहती है। बात यह है कि जब बाढ़ से परेशान होती है जनता और खेत और गांव डूबते हैं तो वहां से जनता को हटाने के लिये नावों की व्यवस्था होनी चाहिये। कुछ स्टीमर हों। मगर श्रीमन्, आप देखें कि हर साल जहां-जहां बाढ़ आई है वहां नावों की कमी से कितना नुक्सान हुआ है जो मोटर बोट्स हैं वह सब बिगड़ी पड़ी रहती हैं। गोरखपुर में जब हमने अधिकारियों से पूछा तो कहते हैं कि ३,४,५ में से दो खराब पड़ी है और जो ठीक है उसमें कलेक्टर साहब जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आज भारत में जनतंत्र का नाम तो लेते हैं लेकिन पत्रों को स्वतंत्रता नहीं है। मिल मालिकों के हाथ में सारे अखबारों की मशीनरी है और जनता के कल्याण और हित की जो सही बात है उनको अच्छी तरह से प्रकाशित होने नहीं दिया जाता है। अगर निकाली जायंगी तो किसी मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटी या उनके समकक्ष कोई कांग्रेस पार्टी के एम० एल० ए० की बातों को कि कहीं भी बाढ़ की समस्या अब नहीं है। सारी जनता आराम में है, सारी सामग्री सुलभ कर दी गई है और जो लोग कहते हैं कि बाढ़ से जनता पीड़ित है वह राजनैतिक प्रोपेगेंडा है। यह तो एक ऐसी चीज बन गई है कि जिस उचित बात को अनुचित की श्रेणी में रखना होगा तो गवर्नमेंट फौरन कह देगी कि यह राजनैतिक प्रोपेगेंडा है। सारी मानवता की जीवन सरिता के सारे स्रोत सूख रहे हैं, जिन्दगी का चिराग बुझ रहा है और सरकार कहती है कि यह तो राजनीतिक प्रोपेगेंडा करते हैं, यह उन्हीं को मुबारक हो।

हम यह कहना चाहते हैं श्रीमन्, इसी बाढ़ की रोकथाम में बनारस के गंगा के घाटों का बाढ़ की जद्द से बचाने की भी जरूरत है। जिला बनारस पर बड़ी कृपा की माननीय वित्त मंत्री महादय ने कि बाढ़ की परेशानी और मुसीबत से बनारस के घाटों को बचाना चाहते हैं मंत्री जी। खैर, जब घाट बचाये जायंगे तब जनता भी बच जायेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि बनारस के घाटों के नाम पर पैसे का दुरुपयोग न हो। हम दिल से चाहते हैं, तबीयत से चाहते हैं कि बनारस के घाटों के बनाने में एक मिनट की भी देर न की जाय और अगर दुनिया में कोई ताकत हो जो रातों रात उनको बना सकती हो तो उसको इस्तेमाल करके घाटों को बनवाया जाय, यहां तक हमारी ख्वाहिश है। लेकिन श्रीमन्, हम इस बातको पसन्द नहीं करते हैं कि घाटों के बनाने के नाम पर वहां पर बिजली का शो (तमाशा) हो, ऊंचा मंच बनाया जाय और गंगा में नाव से आकर स्टेज पर चढ़कर सुशोभित हों माननीय मंत्री जी। एक घाट की सीढ़ी भी नहीं बनी और हजारों रुपये बरबाद हो गये। हमें वेद मंत्रों की ध्वनि से कोई नफरत नहीं है, वेद मंत्रों की खूब ध्वनि गूंजे, कुरान की आयतें गूंजें और हर धर्म और मजहब की अच्छी-अच्छी बातों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाय। लेकिन सेक्युलर स्टेट, जब यह शब्द कहा जाता है तो इधर भी ध्यान जाना चाहिये और ऐसी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिये कि जो सेक्युलर स्टेट का नारा है उसे वे जिनके हाथ में सरकार की बागडोर है साम्प्रदायिकता के रूप में परिणित करें और प्रचार करें। श्रीमन्, वेद के मंत्र सादे रूप में भी पढे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर पत्ती में बिजली का बल्ब हो। हम जानते हैं, बड़ी-बड़ी विभूतियां पैदा हुई है जो कि नदी के किनारे बालू में बैठ कर वेदों के मंत्रों को ध्वनित करते थे। अब इससे अगर कोई यह अर्थ निकाले कि राजनारायण तो वेद के मंत्रों का प्रचार ही नहीं होने देना चाहते हैं तो यह बिल्कुल गलत होगा। राजनारायण उपनिषदों में जो अच्छी बाते हैं उनका प्रचार नहीं होने देना चाहते हैं, यह भी गलत होगा। हम यह चाहते हैं कि जो गरीब मुल्क है, अकिंचन मुल्क है, जिसकी जनता की क्रयशक्ति दिन ब दिन घटती जा रही है उसके पैसे का ऐसा दु रुपयोग न हो कि इतनी बड़ी रकम इस शो के साथ खर्च हो। श्रीमन्, हमें अफसोस है और डर है कि शायद कोई माननीय मंत्री जी बोलें तो कहें कि यह तो राजनीतिक प्रचार है। मैं कहा हूं कि इसमें तनिक भी राजनीतिक गंध नहीं है। हमको जितने कांग्रेस के लोग मिले, श्रीमन्, जब इस सदन से बाहर चलेंगे तो उनके शब्दों को बताऊंगा, उन्होंने कहा कि आजतो यहां इन्द्रपुरी है। अब इन्द्रपुरी बनने के लिये किसी विशेष स्थान में जिन-जिन बातों की आवश्यकता होती हं वह हमारे सदस्यगण समझ लें।

हरिजन सुधार हो रहा है, यह कहा जा रहा है क्या हरिजन सुधार हो रहा है। आजकल बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि हरिजन सुधार के अर्थ शायद यह समझ लिये गये हैं कि कुछ हरिजनों को मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटी बना दो बस हरिजन सुधार हो गया। ऐसा ही समझा गया है और अफसोस के साफ कहना पड़ता है कि जनता में इसका प्रचार भी किया जाता है। कहते हैं कि एक मजदूर संघ बन रहा है। उसमें तमाम मंत्री और उपमंत्री लोग पहुंचा करते हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, श्रीमन्, कि बनारस जहां के चीफ मिनिस्टर हों, जहां के श्री कमलापति जी त्रिपाठी हों।

श्री अध्यक्ष—और जहां के विरोधी दल के नेता हों। (हंसी)

श्री राजनारायण—जी हां। वहां विरोधी दल के नेता क्यों पैदा हों। जो जिला मंत्रियों का जिला है, जहां के मद्रास के राज्यपाल हों वहां से विरोधी पक्ष का कोई आदमी चुन कर आ जाय ऐसा नहीं होना चाहिये।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--प्रहलाद और हरिण्यकश्यप एक ही खानदान में थे।

श्री राजनारायण--इसीलिये तो हम प्रहलाद बने हैं। हरिण्यकश्यप का नाश करेंगे आप निश्चिन्त रहें।

श्री अध्यक्ष--अभी आप और बोलेंगे ?

श्री राजनारायण--जी हां, श्रीमन्। अभी तो कई आइटम्स बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष--आपने जाने की बात कही थी। इसलिये अगर आप थोड़े से और समय में अपना भाषण समाप्त कर दें तो मैं समय बढ़ा सकता हूं।

श्री राजनारायण--अभी तो, श्रीमन्, जैसा मैंने कहा, कई आइटम्स पर मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष--तो फिर आप कृपा करके लंच के बाद अपना भाषण जारी रखियेगा।

१९५५-५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद के लिए समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष--एक जरा गलतफहमी हो गयी है उसे मैं दूर कर देना चाहता हूं पारसाल जो पद्धति रही बजट पर सामान्य विचार करने की उसमें यह तय हुआ था कि लीडर आफ दी आपोजीशन के लिये तो टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिये, लेकिन और दलों के जो नेता हैं उनको ३०-३० मिनट का समय दिया जायगा। यह नहीं था कि उनका भी कोई समय निश्चित नहीं था। इसी तरह से फिर बाद में डेढ़ दिन तक जो बहस हुई उसमें हर एक सदस्य को २० मिनट का समय दिया गया और उसके बाद १५ मिनट कर दिये गये थे। तो मैं समझता हूं कि यही तरीका अगर इस साल जारी रहे तो अच्छा रहेगा। इससे एक निश्चित पद्धति बन जायगी। उसमें दिक्कत नही होगी और मैं इतना विरोधी दल के नेता से कह देना चाहता हूं कि पारसाल उनका भाषण सवा दो घंटे हुआ था।

श्री राजनारायण--अब श्रीमन्, थोड़ा समय लगेगा।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--माननीय राजनारायण जी कितना समय लेंगे यह बता दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष--मैंने तो सुझाव दे दिया और बता दिया कि पारसाल क्या बात हुई थी।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

१९५५-५६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं बाढ़ की रोकथाम के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था और मेरा कहना यह था कि सरकार केवल कमेटी बनाकर ही सन्तोष कर लेती है, जिस मकसद के लिये वह कमेटी बनायी गयी हो चाहे उससे उस मकसद की पूर्ति होती हो या नहीं। बाढ़ रोकने के सम्बन्ध में आज तक सरकार की तरफ से जितने कदम उठाय गय वह सब नाकाफी हैं। बाढ़ रोकने के लिये आज तक सरकार की ओर से जितना रुपया खर्च किया गया वह भी नाकाफी है। जिस तरीके पर वह खर्च किया गया वह तरीका भी गलत है। श्रीमन्, जहां पर बाढ़ आयी और लोग बाढ़ पीड़ित हुये वहां के रहने वाले लोगों के लिये, खाने पीने की सामग्री जुटाने के लिये, टेस्टवर्क का प्रबन्ध किया गया। उन तमाम बातों की दुर्दशा का वर्णन इस सदन में कई बार हो चुका है। यहां तक कि ५-५ आने के पैसे पर हजारों की तादाद में काम करने वाले लोग वहां पर जाते हैं, और जाने पर यदि उनको काम नहीं मिलता है तो हजारों की तादाद में लोग वापस भी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले इसी सदन में में माननीय गेंदा सिंह जी ने इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। ऐसी हालत में भी माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि हमारा प्रान्त सेल्फ सफ़िशियेन्ट हो गया। मैं समझता हूं कि इस सेल्फ़ सफीशियेन्ट का इन्होंने कोई नया मतलब निकाल रखा है। सेल्फ सफीशियेन्ट तब हमारा स्टेट होगा जब कि उसमें जनता के हर इन्सान के पास कम से कम दौलत पैदा करने के

इतने जरिये होंगे जिनके जरिये से वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेगा। जब तक इन्सान की बुनियादी जरूरत पूरी न हों और लोगों को भरपेट खाना न मिले, कपड़ा न मिले और ५, ५ आने की मजदूरी पर काम करने वाले हजारों की तादाद में जनता जाये और तब भी उसको अगर काम न मिले तो वापस आये। उस स्टेट को सेल्फ सफीशियेन्ट कहना बिलकुल अनोखी बात है। माननीय वित्त मंत्री की ही हिम्मत हो सकती है कि ऐसी हालत में सेल्फ सफीशियेन्सी वह दिखा सकते हैं।

श्रीमन्, मैं हरिजन सुधार के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था कि हरिजनों का सुधार कैसे होगा? हरिजन सुधार हो या जनसुधार हो, जितने भी पिछड़े लोग हैं उन सब का सुधार होना चाहिये। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे प्रान्त का हरिजन कहलाने वाला तबका बहुत ही गरीब है और भिखारी है। उसके पास दौलत पैदा करने के जरिये नहीं हैं। आज सरकार के मंत्री लोग बराबर इस बात का प्रचार करते हैं कि हमने तुम्हारे लड़कों की फीस माफ कर दी, और तुम्हारे बच्चों के लिये पढ़ने का इन्तजाम कर दिया और बिना एक पैसे के फीस के रूप में दिये हुए तुम्हारे बच्चे पढ़ सकते हैं। मेरा कहना यह है कि इतना इन्तजाम जो आज सरकार कर के हरिजनों में प्रचार करती है कि हमने तुम्हारे उत्थान के लिये बड़ा भारी काम कर दिया यह समुद्र में बूंद के बराबर है और नहीं के बराबर है। आज भी इस प्रान्त में हरिजनों की बस्ती को अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि उन बस्तियों में पानी पीने के लिये कोई कुआं भी नहीं है। आज इस प्रान्त में हमने ऐसी हरिजन बस्तियों को देखा है जहां पर जब लोग दूसरे नजदीक के कुयें से पानी लेने जाते हैं तो उनको पीटा जाता है, उनका घड़ा फोड़ा जाता है, इस प्रकार की घटना इसी प्रान्त के अन्दर हो रही है। मगर सरकार के मंत्री लोग कुछ दूसरी दुनियां में ही घूम रहे हैं और कुछ दूसरा ही नजारा उनके सामने आता रहता है। मैं समझता हूं कि अगर वे सही मानों में हरिजन सुधार करना चाहते हैं तो हर इन्सान के लिये दौलत पैदा करने का जरिया होना चाहिये जिनके जरिये से वे लोग दौलत पैदा करें, सरकार के मुखापेक्षी न रहें और सरकार के पक्ष के लोग उनको दानस्वरूप कुछ दे कर अपने को श्रेय का भागी न समझने लगें, तब जा कर काम बन सकता है।

सोशल वेलफ़ेयर की बात भी की गयी। कहा गया कि शीघ्र ही सोशल वेलफेअर का डायरेक्टोरेट भी स्थापित किया जायगा जिसका काम यह होगा कि वह जनता की ओर से चलने वाली संस्थाओं और सरकार की ओर से चलने वाली संस्थाओं में कोआर्डीनेशन पैदा करे और मंत्री लोग जो जिम्मेदारी उनको बतायेंगे उन तमाम बातों को वे देखेंगे। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि केवल किसी मंत्री को इस विभाग को सौंप देने से, अथवा उसके लिये एक डायरेक्टोरेट बना देने से काम चलने वाला नहीं है। सोशल वेलफेयर के लिये कुछ बुनियादी बातों का होना आवश्यक है, उनको पूरा करने की पहले आवश्यकता है। बिना उनको पूरा किये पैसे को बिगाड़ना सही नहीं है। उसके लिये सरकार को जनता का सहयोग पाना होगा। अब सरकार को यह देखना होगा कि सही मानों में जनता का सहयोग किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? सरकारी हुक्मनामों से वह सहयोग प्राप्त नहीं हो सकता, वह सहयोग तो जनता की इच्छा, ख्वाहिश अथवा दिल से ही पैदा होगा और उनके दिल से तब पैदा होगा जब वह यह समझेगी कि उस सहयोग के जरिये से वह अपनी मुसीबतों पर काबू पा जायगी, अपनी जरूरतों को पूरा कर पायेगी वरना सरकारी हाकिमों के घूमने से वह सहयोग मिलने वाला नहीं है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने ला एन्ड आर्डर की बात कहने में पूरा एक पेज लगाया लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत जिस तरीके से ला एन्ड आर्डर मेन्टेन करती थी, आज इस सरकार ने कौन सा नया तरीका उसके लिये निकाला है, ? कौन से नये कानून बनाये हैं जिससे सोशलिस्ट प्रकार का ला एन्ड आर्डर मेन्टेन होगा? महज वित्त मंत्री जी के कहने से कि ला एन्ड आर्डर मेनटेन हो रहा है, होने वाला नहीं है। आज मंत्री लोग अक्सर कहा करते हैं कि उन्होंने ला ऐन्ड आर्डर मेंटेन कर लिया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आज सरकार

[श्री राजनारायण]

जिन तरीकों को अखितयार कर के ला ऐन्ड आर्डर मेंटेन कराने की बात सोचती है, उस सरकार को ग़लत समझने वाले लोग अगर उन्हीं तरीकों को अख्तियार करें तो क्या वह क्षम्य है? यह एक बुनियादी बात है, और इस बात से कोई भी समझदार और सचेत आदमी इन्कार नहीं कर सकता कि सरकार जिन तरीकों को अख्तियार करके अपने को अस्तित्व में रखती है, उस सरकार को हटाने के लिये अगर उन्हीं तरीकों को इस्तेमाल किया जाय तो वर्जित नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में मैं आप को एक वाक़या बताना चाहता हूं कि आदरणीय जय प्रकाश नारायण जब देवरी जेल में थे तो उन्होंने एक चिट्ठी प्रभावती देवी के हाथ बाहर लोगों को भेजने की कोशिश की। वह चिट्ठी पकड़ी गयी और बाद को वह अखबारों में प्रकाशित हुई। अफ़वाह उड़ी कि जय प्रकाश नारायण को फांसी लगेगी। उस चिट्ठी में लिखा था कि सरकार को हटाने के लिये लोग सभी तरीकों का इस्तेमाल करें। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलने वाला था। श्रीमन्, सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान मैं उधर ले जाना चाहता हूं जो पूज्य बापू ने कहा था। जब चारों तरफ अखबारों में चर्चा होने लगी कि जय प्रकाश नारायण को फांसी होगी तो उन्होंने अपना बयान निकाला और कहा कि जो हुकूमत तलवार के बल पर टिकी हुई है, बन्दूकबाजी के बल पर टिकी हुई है, अगर उस हुकूमत को हटाने के लिये जय-प्रकाश समझता है कि बिना तलवार और बन्दूक को चलाये हुए वह हुकूमत नहीं हटायी जा सकती तो उसको हक़ हासिल है कि वह अपने तरीके से हटाये और मेरा आशीर्वाद उसको प्राप्त है। गांधी जी जो अहिंसा के प्रवर्तक थे और अहिंसा के पुजारी थे, जब उन्होंने इस तरह के जजबात जाहिर किये तो फिर अंग्रेजी हुकूमत की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह श्री जयप्रकाश नारायण का बाल भी बांका कर सके। यद्यपि वह सोचती थी कि गांधी जी इस जजबात का विरोध करेंगे, इसकी मुखालिफतकरेंगे। मगर गांधी जी तमाम बुनियादी बातों को समझते थे, फिर जयप्रकाश नारायण के जजबात की मुखालिफत कैसे हो सकती थी? मैं पूंछ सकता हूं सरकार से कि ला ऐण्ड आर्डर किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है? श्रीमन्, थोड़े से वाक्य मैं इस समय इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, और मेरा बिल्कुल स्पष्ट निश्चय है कि यह सरकार ला ऐण्ड आर्डर को मेन्टेन करने में पूरे रूप से फेल हुई है।

श्रीमन्, मैं बड़ी दिक्कत में पड़ जाता हूं क्योंकि जब मैं हिन्दी का प्रयोग करता हूं तो हमारे सदन के बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारी समझ में बात ही नहीं आती है, इसलिये मेरी धारा रुक जाती है। तो मैं चाहता हूं कि लालेस ला और डिसआर्डर को सरकार ला ऐंड आर्डर न कहे। क्या आज सारे सूबे में लालेसनेस नहीं फैला हुआ है और डिसआर्डर नहीं है? आज कहीं भी आर्डर दिखलाई देता है? क्या माननीय मंत्री जी भूल गये इलाहाबाद के चित्तौरी कांड को, मथुरा के बाद काड को, मिर्जापुर के भरकुरा कांड को? क्या वे भूल गये आगरा के अर्दायां कांड को जो तिजला नामक औरत के साथ हुआ? और जो तीन महीने के अन्दर ही इस प्रान्त में हुआ? फिर भी यह कहा जाता है कि हमारे यहां ला ऐंड आर्डर है। क्या हम मऊ के गोलीकांड को भूल गये? फिर वहां क्या हुआ? अगर इस तरह की घटनाओं को गिनाया जाय और वाकये का जिक्र करें तो इतनी बड़ी लम्बी माला बन जायगी कि रात-दिन उनको पढ़ते-पढ़ते सदन का समय बीत सकता है। मगर मैं इन चन्द वाक़ये को माननीय वित्त मंत्री जी की ख़िदमत में पेश कर के जानना चाहता हूं कि उनके ला ऐंड आर्डर के क्या माने हैं? श्रीमन्, अफसोस है कि आज जो वर्तमान शासक हैं उन्होंने कुछ दूसरा ही नशा चढ़ा लिया है। अंग्रेजी हुकूमत की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह गांव में करफ्यूआर्डर लगावे, मगर इस सरकार के जरिये ही अर्दाया नामक गांव में भी २४ घंटे का करफ्यूआर्डर लगाया गया। क्या आप कोई वाक़या ऐसा बतला सकते हैं कि अंग्रेजी राज्य में भी उत्तर प्रदेश के किसी गांव में करफ्यू आर्डर लगा हो? श्रीमन्, आंसू गैस का प्रयोग हुआ और अर्दाया में चार दिन के बच्चे की जान गयी। सरकार की पुलिस ने तिजला नामक स्त्री के साथ, जो अपने बच्चे को ले कर जच्चाखाने में पड़ी थी, अत्याचार किया, लेकिन कहा जाता है कि ला ऐंड

आर्डर क़ायम है। न मालूम कितनी जाने गयीं, लेकिन उनके लिये कुछ नहीं किया गया। जब उसके लिये रिपोर्ट की गयी तो कहा जाता है कि सरकार सब इन्तजाम कर रही है। अगर सरकार सही बात जानना चाहती थी तो उसने क्यों नहीं कोई इन्क्वायरी कमेटी बैठा दी जो वहां जाकर जांच करके गवर्नमेंट को बतलाती कि सही वाकया क्या था? लेकिन वे सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है। उनके लिये तो डिसआर्डर ही आर्डर है और लालेसनेस ही ला है। श्रीमन्, सन् १९३२ का स्पेशल पावर्स ऐक्ट लागू किया गया इस प्रान्त में और माननीय मंत्रीगण की विशेष कृपा हुई। जिसको गांधी जी ने लालेसला कहा, और श्री चिन्तामणि ने "मार्शल ला विदाउट दैट नेम" कहा उस कानून को लागू करने वाली सरकार के माननीय मंत्रिगण इतनी हिम्मत रखते है कि वे कहें कि वह कानून ला ऐंड आर्डर को मेंटेन करने के लिये लागू किया गया है। अगर लालेस ला को लागू कर के यह सरकार ला ऐंड आर्डर मेंटेन करना चाहती है तो मैं सरकार को बतला देना चाहता हूं कि इस प्रान्त की जनता अब इस तरह के लालेस ला को बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं हैं। जनता उठेगी, सरकार की सारी ताक़त, इंसानियत की ताक़त नहीं हैवानियत की ताक़त सब जुटाकर भी आज जनता के मनोबल को तोड़ नहीं सकती, मैं सफ़ाई के साथ इस बात को कह देना चाहता हूं।

श्रीमन्, अभी-अभी प्रचार किया जा रहा है कि प्रान्त के सारे देहात में बड़ी शान्ति है, बड़ा अमन चैन है कानून बना हुआ है, लेकिन जरा लालेस ला और लालेस ऐक्टीविटीज इस सरकार की देखी जाय। अधिवासी सीरदार बना दिये गये कानून के मातहत। मैं खाली एक जिले की बात कहता हूं जिसके कि मुख्य मंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी यहां विद्यमान हैं; यानी बनारस। एक भी तहसील नहीं है जहां एक हजार, दो हजार, तीन हजार और चार हजार ऐसी दरख्वास्तें न पड़ी हों अधिवासियों की ओर से कि १३५६ फसली के पहले से ही इस जमीन को हम छोड़ चुके हैं और हमारा गलती से पटवारी ने रिकर्ड कर रखा है उस पर हमारा कब्जा नहीं है। ऐसी दरख्वास्तें कचहरी में पड़ रही हैं, परगना हाकिम मुसीबतों में पड़ रहे हैं। हमने चिट्ठी लिखी माननीय माल मंत्री जी को कि आप आदेश जारी करें कि सीरदार का कानून बनने के बाद जितनी दरख्वास्तें पड़ी हैं वे सब नाजायज मानी जायं। उनकी चिट्ठी श्रीमन्, ५, ६ दिन बाद आज आयी है और हमको पढ़ने को मिली और अफसोस के साथ पढ़ा कि उस आदमी की हिफाजत क्या हो जो अपने ही से जाकर इस्तीफा देवें। वाह, आपने से गुन्डे लट्ठबन्द वहां जाते हैं गांवों में और उस गरीब हरिजन अधिवासी से कहते हैं कि इस पर दस्तखत करो, और कचहरियों में चलो और इस कागज को पेश करो। श्रीमन्, कहीं-कहीं ऐसा भी हुआ कि वह आदमी खुद दस्तखत नहीं करता तो दूसरे उसकी दरख्वास्त पर अपना दस्तखत बनाकर दे आये हैं। मगर आज भी कचहरियां उस पर ध्यान दे रही हैं। यह आर्डर है? यह ला है? और इसी को माननीय वित्त मंत्री जी और अन्य मंत्री जब प्रचार टुअर पर निकलेंगे एलेक्शन के सरकारी पैसों और सरकारी साधनों से, तो कहेंगे कि प्रान्त समुन्नत है, तरक्की हो रही है, ला ऐंड आर्डर कायम है। और अगर कोई बोलेगा तो कहेंगे कि ये तो मुल्क में अराजकता पैदा कर रहे हैं। ऐसी बात अब नहीं होनी चाहिये। मैं सफ़ाई के साथ कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं सरकार आदेश जारी करती कि इस तरह की दरख्वास्तों पर विचार न हो? जब किसानों के पास से इस तरह के खेत छीने जाते हैं तो पार्टी प्रचार का लेविल लगाकर के सारे सत्य को असत्य में बदलने की कोशिश की जाती है। तो यह सोशलिस्ट किस्म की सरकार को, उसकी व्यवस्था को लाने में यह कतई असमर्थ है, उसको लाने के लिये तो कोई दूसरे लोग हैं जो यहां विरोधी दल बना कर बैठे हुये हैं। मगर सोशलिस्ट हुकूमत की बात जाने दीजिये, जो डेमोक्रेटिक ट्रेडीशंस में चलने वाली अच्छी सरकार है वह भी इस तरीके से ला ऐन्ड आर्डर को मेनटेन करने की योजना न तो चला सकती है और न वह इस बात को कबूल कर सकती है। चीफ़ मिनिस्टर महोदय तो कहते हैं कि हमारी पुलिस को तो अपने सेल्फ़ डिफेंस में वही हक़ हासिल है जो कि एक नागरिक को हासिल है। माना, हर नागरिक को वह हक हासिल होना चाहिये। फिर इसी सेक्रेटेरियट मे जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर कंडक्ट रूल्स में यह क्यों लागू होता है कि वह अपने

[श्री राजनारायण]

जजबात का इजहार न करें, और यही नहीं कि वह न इजहार करें बल्कि उनके जो डिपेंडेंट्स हों, उनके ऊपर, जो आश्रित हों, जो उनके साथ रहते हों, जिनसे उनका सम्बन्ध हो, वे भी अपने जजबात का इजहार नहीं कर सकते। कोड आफ कंडक्ट में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी या उनके रिश्तेदार या उनके ऊपर आश्रित रहने वाले सरकार की नुक्ताचीनी करेंगे तो अनुशासित किये जायंगे, वे लोग जो कि सरकारी नौकरियों में हैं। ऐसे-ऐसे तो रूल बन गये हैं। अंग्रेजी राज्य की भी हिम्मत नहीं थी रूल्स में इन बातों को लाने के लिये जो यह सरकार ला रही है। श्रीमन्, इन बातों पर तो मैं जाना ही नहीं चाहता कि यहां कितनी घटती और बढ़ती समय की होती रहती है। जब सरकार चाहेगी तब नादिरशाही फरमान निकाल देगी। कभी हमारे सेक्रेटेरियट के कर्मचारियों को ५ बजे तक काम करना होता है, कभी साढ़े चार तक और कभी ४ बजे तक। इसके लिये कोई व्यवस्था है, कोई नियम है या मनमाने तरीके से जिस समय जो बात आ गई, जो सुविधाजनक मालूम हुई उसे कर दिया। यह अव्यवस्था है, अराजकता है और अनीतिपूर्ण कार्य-क्रम है।

श्रीमन्, इसके बाद लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी चर्चा हुई। १९१६ के म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट में संशोधन करने वाली यह सरकार किसी म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन और मेम्बर को बिना आरोप लगाये हुये और बिना लगाये हुये आरोपों की समुचित जांच किये हुए जिसको चाहेगी मुअत्तल कर देगी, हटा देगी। इस तरह से सारा एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलाइज हो रहा है। माननीय कमलापतिजी जो सिंचाई मंत्री हैं इस सदन में कई बार भाषण कर चुके हैं कि जनतांत्रिक वृक्ष की शीतल छाया में जनता आनन्दविभोर हो रही है। वह जनतंत्र वृक्ष कौन सा है? कहाँ जनता आनन्द विभोर हो रही है? हां माननीय मंत्रीगण आनन्द विभोर हो रहे हों, उनके पिछ-लग्गू हो रहे हों या उनके पास उठने-बैठने वाले हो रहे हों, लेकिन जनता के पास यह शीतल छाया नहीं पहुंच रही है। आम जनता के लिये तो वही ताप है, वही जलन है, वही लू तथा वही आग है आप सारी जनता की बात क्यों कहते हैं। सारी जनता तो आज दबी जा रही है, पिसी जा रही है मरती जा रही है। और उसके बाद आप कहते हैं कि जनता आनन्दविभोर हो रही है। एक ही बात श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के क्या मानी हैं। गांधी जी ने व्यव-स्थित अराजकता की बात कही थी और जितने सोशलिस्ट विचारक हैं सबने कहा कि समाजवाद में ही सच्चा जनतंत्र आयेगा और अगर सच्चा जनतंत्र हो तो वह समाजवाद होगा। इन दोनों बातों में श्रीमन् चूंकि विभेद उत्पन्न होता है, इसलिये हम उसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं क्योंकि बहुत से मुल्कों में सेंट्रलाइज्ड अर्थव्यवस्था को डिक्टेटरशिप पर चलने वाली राजव्यवस्था को भी सोशलिज्म का नाम देना शुरू कर दिया गया है। इसलिये हमारे लिये जरूरी हुआ कि डेमोक्रेटिक शब्द सोशलिज्म में जोड़ दें, जोर देने के लिये, एम्फेसिस के लिये। इसलिये हम कहते हैं कि सच्चे जनतंत्र और समाजवादी व्यवस्था के लिये राज्यसत्ता भी विकेन्द्रित हो, आर्थिक सत्ता भी विकेन्द्रित हो और दोनों सत्तायें विकेन्द्रित होकर हर इंसान तक पहुंचे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा सरकार से कि अंग्रेजी सरकार के जमाने के जिन-जिन कानूनों में इस सरकार के जमाने में संशोधन हुए क्या उनमें अंग्रेजों के जमाने से भी ज्यादा पावर इस सरकार ने अपने हाथ में सेंट्र-लाइज नहीं की। हमने म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट को संशोधित किया, पब्लिक चेरिटेबिल एंडोमेंट ऐक्ट को बदला, हमने मुस्लिम वक्फ ऐक्ट को बदला, विक्रीकर ऐक्ट का संशोधन किया। पहले के जमाने में जब विक्रीकर में एक पैसा भी अगर बढ़ाने की बात होती थी या किसी नई सामग्री पर कर लगाने की बात होती थी तो इस सदन में उस पर चर्चा होना जरूरी होता था। मगर अब सरकार ने कानून में संशोधन करके यह हक़ ले लिये है कि रुपये में एक आना तक सर-कार जिस चीज पर चाहे बिक्री कर बढ़ा दे और जिस चीज को चाहे वह उस लिस्ट में शामिल कर ले कि जिन पर बिक्री कर लेना है। यह लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन है? लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन जब तक व्यवस्थित रूप में चौखम्भा राज्य कायम न होगा, और श्रीमन्, जितनी ताक़त आज लखनऊ में सेन्ट्रलाइज है यह ताक़त जिला पंचायतों और गांव पंचायतों में न बटेगी, सारी आम-दनी जो यहां पर अनियंत्रित तरीके से, मनमाने तरीके से मंत्रिगण खर्च करने को आजाद हैं, जब

तक वह आमदनी गांव पंचायतों और जिला पंचायतों में नहीं जायगी, तब तक लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकता। लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये, ला ऐंड आर्डर के लिये आगे बढ़ना होगा। क्यों नहीं सादी पुलिस गांव पंचायत के मातहत की जाती? क्यों नहीं पटवारी गांव पंचायत के मातहत किये जाते? क्यों नहीं गांव पंचायतों को अपनी लोकेलिटी के अन्दर पढ़ाई-लिखाई, दवा-दारू और विकास योजनाओं को चालू करने का अधिकार दिया जाता? बिना इन बातों के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करना फिजूल है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खिलवाड़ करना है। लॉ ऐन्ड आर्डर जब तक उनके हाथ में न होगा तब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात वही १९१९ का पुराना कानून, जिसके द्वारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था, उसमें थोड़ी सी तरक्की करके यह सरकार चलाना चाहती है। मुझे अफसोस है कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर विराजमान नहीं हैं। इसकी चर्चा मैं अभी नहीं करना चाहता था लेकिन समझता हूं कि अगर चर्चा नहीं करूंगा तो यह अपने साथ अन्याय होगा। वह है डाकू की समस्या। मानसिंह का जोरों के साथ पीछा किया जा रहा है। कितने बरस तक यह सरकार पीछा करती रहेगी डाकू मानसिंह का? मानसिंह के लड़के तहसीलदार सिंह को गिरफ्तार किया गया। बड़ी कामयाबी की बात थी, लेकिन किसने गिरफ्तार किया किसको गिरफ्तार किया? क्या बात करते हैं।

एक सदस्य—उसको आप देख आये हैं?

श्री राजनारायण—भिंग, मुरैना, आगरा, इटावा, जो जिले इस डाकू समस्या से पीड़ित हैं, उनमें मैं अभी तीन चार दिन का दौरा कर के आया हूं। वहां की सभी पार्टियों—कांग्रेस, सोशलिस्ट और दूसरी पार्टियों ने भी, हजारों की तादाद में पर्चे छपवा कर बटवाये हैं, एक घटना के बारे में और मैं उसकी ही चर्चा करता हूं। यह घटना इस प्रकार है कि ६ अक्तूबर को लाखन सिंह, जो नगरा गांव का रहने वाला है, वह अपने गांव में जाता है और ६ मुखबिर जो उसको बताये गये कि उसके खिलाफ हैं, उनको क़त्ल कर देता है। १० तारीख को सुबह ही पुलिस पहुंचती है और सात आदमियों को जो उस गांव के रहने वाले निरीह, निर्दोष जवान हैं, पकड़ लेती है। पुलिस कैम्प में उनको ले जाया जाता है और ११ तारीख को सातों के सर धड़ से अलग होते हैं। कहा जाता है कि डाकुओं के साथ लड़ाई हुई और ये लोग मार-डाले गये, १३ आदमी मार डाले गये जो डाकू थ। ६ को लाखन सिंह मार गया और ७ को इस सरकार के डाकुओं ने मार डाला और यह सरकार ऐसे काम कर डाकू की समस्या हल करेगी। परचे छप कर बंटे हैं। इतने बड़े-बड़े पैम्फलेट कि इस घटना की जांच हो और सरकार इस घटना का उत्तरदायित्व किस पर है इसका जवाब दे लेकिन आज तक वहां की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रीमन्, सेहुड़ा एक गांव है। को मैं जब जनवरी के महीने में, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है १२ तारीख़ को सेहुड़ा गांव में मेरी एक मीटिंग थी। साढ़े दस बजे से लेकर १ बजे तक हजारों की तादाद में जनता वहां जमा थी। जनता राज नारायण के बारे में यही जानती थी कि यह वही राजनारायण आ रहे हैं हमारे यहां जो कि उत्तर प्रदेशीय सरकार के जोर जुल्म के मुकाबले में सदन से पुलिस के जरिये निकलवाये गये थे। यह एक ही बात वह जानती थी राज नारायण के बारे में और यह सोचती थी कि हमारे ऊपर जो जोर जुल्म हो रहा है उसका वही कुछ समाधान करेंगे।

हमने उनसे पूछा कि क्या समाधान है। श्रीमन्, बद्री सिंह नामक खाता पीता एक व्यक्ति है उसके यहां आटे की चक्की चलती है.....

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन एप्वाइन्ट आफ आर्डर, सर, । यहां पर स्पीकर का जो डिसीज़न हो चुका है, तो स्पीकर के डिसीज़न के ऊपर किसी सम्मानित सदस्य को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। माननीय राज नारायण जी ने जुल्म और सितम कहा, तो इस पर मैं आप की रूलिंग चाहता हूं कि क्या यह कहना उचित है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं नहीं समझा कि माननीय सदस्य किस बात पर एतराज़ कर रहे हैं।

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि अध्यक्ष ने रूलिंग दी थी कि माननीय राजनारायण जी और रामनारायण त्रिपाठी पुलिस के द्वारा निकाले गये थे, और माननीय सदस्य कहते हैं कि जोर और जुल्म के साथ निकाले गये सरकार द्वारा। तो यह एक प्रकार से स्पीकर के ऊपर आक्षेप हैं, क्योंकि अध्यक्ष ने अपनी आज्ञा से उन्हें निकलवाया था, न कि सरकार ने।

श्री उपाध्यक्ष—उनकी शिकायत तो सरकार के विरुद्ध हो रही है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ऐसे अप्रासंगिक विषय को न लायें तो अच्छा ही है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा स्पीकर के ऊपर कोई आक्षेप नहीं है। जो कुछ कह रहा हूं सरकार की नीति पर कह रहा हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार ने तो आपको नहीं निकलवाया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न राजनारायण जी ने अभी उठाया था कि जो उन्होंने इस प्रकार से अपनी स्पीच में कहा कि वहां की जनता यह जानती है कि राजनारायण वही राजनारायण हैं जिनको सरकार ने असेम्बली भवन से पुलिस के द्वारा उठवा दिया था और जोर और जुल्म के साथ निकाला था। तो राजनारायण जी जो निकाले गये थे उसमें सरकार का हाथ नहीं था, वह तो अध्यक्ष ने अपनी आज्ञा से निकलवाया था और पुलिस उनके अधिकार में थी। तो उनका यह आक्षेप सरकार के ऊपर न आकर अध्यक्ष महोदय के ऊपर आता है। इसको अगर छिपाने की कोशिश करें तो दूसरी बात है। लेकिन साफ़ जाहिर होता है कि वे आक्षेप अध्यक्ष महोदय पर कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मैं समझता हूं कि उनका प्रश्न यह था कि वहां के लोगों का परिचय केवल इस बात से है कि वे सदन से हटा दिये गए थे।

श्री राजनारायण—हां, तो श्रीमन्, वही मानसिंह की चर्चा थी। उसका पीछा किया जाना और तहसीलदार सिंह की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी की बात थी, इसकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की। इसलिये मुझे यह जरूरत महसूस हुई कि मैं इस वाकये का भी सही तरीके से यहां पर जिक्र कर दूं। श्रीमन्, सारी जानकारी हासिल करने के बाद मेरा कहना है कि सरकार पूरी तौर से फेल हुई है और यह सरकार जिस तरीके से वहां के डाकुओं की समस्या का समाधान कर रही है, वह तरीका बिलकुल गलत है और सरकार हमेशा फेल रहेगी, वहां के डाकुओं की समस्या का हल नहीं निकल सकता है, क्योंकि श्रीमन्, जब मैं २६ दिसम्बर की घटना बता रहा था कि बद्री सिंह जो सोशलिस्ट हैं, और सारे गांव में प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी का जोर है, २६ तारीख को श्रीमन्, उन लोगों ने मुझे बताया कि मानसिंह के दल के ४, ६ जवान पिस्टल और बन्दूक से लैस उस गांव से निकले। उस गांव में पुलिस का दल पड़ा हुआ था। जब मानसिंह का दल जा रहा था छुप कर के बैठ गया था और जब वह दल निकल गया तो पुलिस वाले बद्री सिंह के घर जाते हैं और उनके बच्चे के कोट, मोबिल आयल का कनस्टर, जिसको घी का कनस्टर समझ कर ले लिया था, ४ पंसेरी आटा ले लिया और भिड जा कर के वहां प्रचार होता है कि मानसिंह के गिरोह को पुलिस ने पीछा कर के खदेड़ा था और उनके खाने पीने का सारा सामान लूट लिया। जब २७ तारीख को ४सौ, ५ सौ की तादाद प्रदर्शन के लिये भिड जाती है तो प्रदर्शनकारी जिलाधीश से कहते हैं कि पुलिस का यह कहना बिलकुल गलत है कि मानसिंह के गिरोह का पीछा कर के उन्होंने यह चीजें छीनी हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के कोट लाओ और वहां पर बच्चों को पहना कर दिखा दिया कि वाकई उन्हीं के कोट हैं और उस घी के कनस्टर के बारे में कहते हैं कि वह घी नहीं है बल्कि मोबिल आयल है। तो वह सचमुच मोबिल आयल निकलता है। तब वे कहते हैं कि यह सरकार का प्रचार है। पुलिस वाले डाकू दल देख कर भाग जाते हैं, फिर साधारण नागरिकों को लूट कर अपनी तारीफ करते हैं। हमने जिन दो घटनाओं का जिक्र यहां पर किया वो मध्य

भारत की पुलिस और मध्य भारत की सरकार, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सहयोग कर के वहां डाकुओं की समस्या का समाधान कर रही है, उसमें डाइरेक्टली उनकी रिस्पांसिबिलिटी आती है, उत्तर प्रदेश की सरकार की इनडाइरेक्ट मेरा कहना यह है कि इटावा और आगरे का जिला भी त्रसित है। इटावे के गांव के गरीब आते हैं। वह बेचारे कहते हैं कि साहब हमारे घर में पुलिस हमारा सारा सामान लूट लेती है। दूध, दही, खसी, भेंड-भेड़ा, मुर्गा-मुर्गी लूट लेती है। सारा हमारा सामान पुलिस की लूट से छीना जा रहा है। आज हमारे घर में खाना नहीं है। हमारे घर के कपड़े लूटे जाते हैं, इज्जत, बेइज्जत हो जाती है। क्या कहा जा सकता है जब कि घटनाओं को उलट कर के सदन में रखा जाता है और माननीय वित्त मंत्री जी बिना पूरी जानकारी हासिल किये हुये अपने बजट भाषण में पुलिस की तरीफ करते हैं। क्या यह बात भी छिपी हुई है कि तहसीलदार सिंह के पैर में जो गोली लगी थी, वह किसी पुलिस वाले की गोली नहीं थी। उसी के दल में जो एक मुखबिर घुसा हुआ था, उसने किसी जगह उसके पैर में मार दी जब कि वह बेचारा बाल्टी भर करके पानी अपने हाथ से ला रहा था। वह पास के एक गांव में तीन चार दिन तक छिपा रहा। फिर वह घोड़ी पर चढ़ा हुआ दमरी जगह आ रहा था। रास्ते में घोड़ी गिर गयी। वह वहीं पड़ गया। एक चरवाहा को उसने कहा कि पास नदी है, तुम वहां से पानी ला कर पिलाओ, मुझे प्यास लगी है। जब चरवाहा जाता है और पुलिस से जा कर कहता है कि एक आदमी वहां पड़ा हुआ है, न जाने कौन है, पुलिस के आदमी आते हैं, कावा काट कर घेरते हैं। जब गोली लगी थी तहसीलदार सिंह कहता था अपने दल वालों से कि तुम हमको गोली मार दो। मेरा पैर काफी चोटियल हो गया है। मेरा जीना मुश्किल है मेरे को लेकर तुम सब गिरफ्तार हो जाओगे। उसके दल वालों ने जान बूझकर उसको कारतूस नहीं दी कि अपने आप से मार लेगा। जब पुलिस वाले उसको घेरते रहे हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम बन्दूक फेंक दो। उसने फेंक दी। तब जा करके पुलिस वाले उसको पकड़ कर जेल में ले गये। इसी को अब कहा जाता है कि बड़ी बहादुरी है। डंके की चोट पर सारे अखबारों में प्रचार होता है कि सरकार की पुलिस ने बड़ी बहादुरी और खूबी के साथ तहसीलदार सिंह को गिरफ्तार किया। इसलिये मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डाकुओं की समस्या का हल जल्दी से जल्दी होना चाहिये। डाकुओं के मनोबल को तोड़ना चाहिये। डाकुओं की ताक़त को हरगिज हरगिज न बढ़ने देना चाहिये। मगर आज यह सरकार पूर्ण रूप से डाकुओं की समस्या को हल करने में फेल हुई है। इसलिये श्रीमन्, वहां पर हमने अपनी मीटिंग में जनता से कहा कि तुम क्या चाहते हो आज सरकार जब तुम्हारे हकूक की हिफाजत नहीं करती है, तुम्हारे जान व माल की हिफाजत नहीं करती तो उस सरकार को तुमसे टैक्स लेने की तनिक भी नैतिकता नहीं होनी चाहिये। हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं ? इसलिये कि सरकार हमारे जान व माल की हिफाजत करे। मगर जब सरकार कत्तई उस काम में फेल हो तो सरकार को कहीं से भी यह हक़ हासिल नहीं है। पैदाइशी हक़ उसे यह नहीं पहुंचता कि जब भी चाहे वह जनता से टैक्स वसूल करे, चाहे उसके ऊपर जोर-जुल्म बराबर बढ़ता चला जाय। अगर जनता की शंकाओं का समाधान करना है तो वहां के साइकालाजिकल ऐटमास्फियर का भी अध्ययन करना है। वहां पर जो खाइयां हैं जिनमें वह डाकू छिपते चले जाते हैं, जो कि ३०, ३०, ४०, ४० मील तक दौड़ते हैं, उन पर भी विचार करना है और वहां पर पुलिस के मोरेल को बढ़ाना होगा। ऐसे समझ दार, अपनी जिन्दगी को खतरे में, जोखिम में डालने वाले लोगों को जाना पड़ेगा जो कि पैसे के बल पर खरीदे न जा सकें। आज हर क़दम पर वहां पर पुलिस के वायरलेस लगे हुये हैं, लेकिन पहले उनकी खबर डाकुओं को पहुंच जाती है, थाने पर बाद में पहुंचती है। मैं १२ तारीख की रात आ रहा था। एक जगह डाका पड़ रहा था। जिस जगह डाका पड़ रहा था वहां से डेढ़ मील की दूरी पर डी० आई० जी० का कैम्प पड़ा हुआ था। ९ बजे के करीब कैम्प पर गांव के लोग आते हैं और कहते हैं कि डाका पड़ रहा है। लेकिन साढे तीन बजे तक वहां कैम्प में जितने पुलिस के जवान थे, अफसरान थे, सब यह नक्शा बनाने में लगे थे, कि कैसे घेरा डाला जाय ताकि तमाम डाकुओं को पकड़ा जा सके। चार साढ़े चार बज जाते हैं पुलिस के जाने में जब कि डाकू भाग जाते हैं सारे सामान को लेकर। यह हालत है उसका ला ऐंड आर्डर की जो कि वहां पर मेंटेन हो रहा है और डाकुओं की समस्या का हल हो रहा है। बन्दूकबाजी चला कर अगर सरकार

[श्री राजनारायण]

चाहे कि वह डाकुओं के सवाल हल करे, मैं ऐसा समझता हूं कि अब वह सरकार के बस की बात नहीं है। कहीं न कहीं, कोई राज है, कोई रहस्य है, कोई भेद है। सरकार उसकी सफ़ाई देती है कि जब पुलिस ऐक्शन हैदराबाद में हुआ था तो उस समय के लूटे हुये हथियार डाकुओं के हाथ लग गये हैं। नयी-नयी ताकत, नये-नय हथियार डाकुओं के पास पाये जाते हैं। कौन देता है? कहां से ले आते हैं? एक भी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वह अपनी जिन्दगी जोखिम में डाल कर डाकुओं का पीछा करे। ऐसी हालत वहां आज हो गई है। रात भर जनता बैठी रह जाती है चार पांच जिलों की, रोती रह जाती है और उसका यही कहना है कि अब यही पुलिस के लोग उन डाकुओं से बढ़ कर के हमारा नुक्सान कर रहे हैं। यह हमारे पास से हट जायं। दूसरा कोई इन्तजाम हो।

श्रीमन्, जब मैं वहां था, तो हमें आंकड़े दिये गये, इधर करीब चार सौ के जाने गयी हैं और कई लाख की सम्पत्ति लूटी गयी हैं जिसमें वहां के लोगों का कहना है कि ज्यादा जानें पुलिस की गोली से गयी हैं। ज्यादा धन पुलिस वालों द्वारा लूटा गया है। डाकुओं के जरिये से कम। मगर हमारे इस कहने का मतलब अगर कोई यह लगायेंगे कि राजनारायण या कोई आदमी डाकुओं की समस्या खड़ी रहे, यह चाहते हैं, या डाकुओं की नैतिकता को बढ़ाना चाहते हैं, यह बिलकुल ग़लत है। हमने तो वहां पर यहां तक भी प्रतिज्ञा की है कि अगर वहां की जनता अपने मनोबल को बढ़ाकर डाकुओं की समस्या को हल करने के लिये आगे बढ़ेगी तो राजनारायण उनके साथ आगे-आगे रहकर के अपनी जान को खपाने के लिये बिना हिचक के साथ आयेंगे। मेरा वहां की जनता के लिये यह सन्देशा है कि वह निर्भीक और निडर हो। पुलिस के सहारे को लेकर न चले। यदि डाकू आयें तो बिना हथियार के भी वह निर्भीकता के साथ अपने को आगे अड़ा दे। हमने अपने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों से वहां इस बात की सलाह दी है कि चले जायं दस पांच सदस्य, कोई हर्ज नहीं है, उनकी जिन्दगी खत्म हो जाय मगर डाकुओं की समस्या का समाधान करने के लिये जब डाकू सामने आयें तो जनता को भागने न दें। निशस्त्र जनता हिम्मत के साथ डटे और जब निशस्त्र जनता जिस तरीके से २७ दिसम्बर को चार-पांच सौ की तादाद में अठारह उन्नीस मील प्रदर्शन करके भिंड के हेडक्वार्टर में गई, उसी तरह से बिखर जाय और संगठित होकर डाकुओं की समस्या का समाधान करे और अपनी जान को जोखिम में डाल दे और जो राजनैतिक दल के अपने को नेता या कार्यकर्ता कहते हैं, अगर वह जनता को खड़ी करने के लिये तैयार होंगे तो इसमें हमें कोई शक नहीं है कि इन बदमाश डाकुओं की समस्या का समाधान वहां की जनता स्वतः कर सकेगी। फिर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विन्ध्य प्रदेश, मध्य भारत की सरकार कुछ दूसरे दृष्टिकोण से समस्या का समाधान सोचती है, उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ अपनी शान को सामने रखती है चाहे वह डाकुओं का बाल बांका न कर सके, मगर उनकी शान बड़ी है चाहे जनता वहां पर पीसी जाय, मारी जाय, आग में जलायी जाय। ऐसा उस मीटिंग में लोगों का कहना था कि मानसिंह कहता है कि सरकार की ओर से बन्दूकबाजी खत्म हो, हम भी बन्दूकबाजी बन्द करेंगे, हमें चाहे लड़ाई में भेज दिया जाय, जहां कहीं भी भेजा जाय, हमको तुरन्त जेल में बन्द कर दिया जाय, हमारे ऊपर मुकदमा चले, फांसी से बचाया जाय और चाहे हमें जो दंड निया जाय। मुझे मालूम नहीं कि मानसिंह की ओर से जब इस तरह की बातें आती हैं और डाकुओं की ओर से आती हैं तो उनमें कहां तक सत्यता है, सरकार उन पर कहां तक विचार करती हैं?। मगर जब वहां तीन सूबों की जनता और आस पास के जिलों की जनता कई साल से परेशान है और जिस तरह से सरकार डाकुओं की समस्या का हल निकालना चाहती है और कर रही है तो उसमें परिवर्तन होना चाहिये। जब जनता की जिन्दगी लूटी जाती हो, सबका जीवन अग्नि कुंड में भस्म होने की परिस्थिति में हो उस समय सरकार की शान और मर्यादा जनता की शान से अलग नहीं हो सकती है। जनता की जान की हिफाजत होनी चाहिये क्यों नहीं सरकार यकायक इतनी पुलिस फोर्स भेज देती ताकि डाकुओं के भागने की बात न रह जाय। जगह-जगह आपकी पुलिस की यह छोटी-छोटी टुकड़ियां और डिमारेलाइज्ड फोर्स आज जनता का उद्धार नहीं कर सकती है जब आप लाखों की तादाद में पुलिस को भेजेंगे तब उनका रात भर का जागना और दिन भर का रोना बन्द होगा।

आज जो माननीय वित्त मंत्री जी मानसिंह और तहसीलदार सिंह वगैरा का नाम लेकर कह देते हैं अपने बजट भाषण में कि हमने डाकुओं की समस्या को हल कर दिया है, लेकिन इससे डाकुओं की समस्या का हल नहीं हो सकता है और वस्तु स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसमें कोई शक नहीं है कि आज जिस पुलिस कैम्प को कोई डाकू दल चाहे लूट सकता है। आपके वायरलैस सैट्स चल रहे हैं लेकिन डाकुओं को खबर पहले मिल जाती है। अभी तांगे से पकड़कर डाकू लोग एक आदमी को मारते हैं और उसकी जान ले लेते हैं, पुलिस दूर से देखती रहती है लेकिन कोई उसकी हिफाजत के लिये नहीं आता है। जिस किसी ने मुखबिरी की और डाकुओं ने जान लिया तो उसको पुलिस के घेरे से निकाल कर मार डाला अगर पुलिस उनसे मिली हुई नहीं है, डिमोरेलाइज नहीं है तो डाकुओं की इतनी हिम्मत क्यों पड़ी ? क्यों डाकुओं की समस्या अभी तक हल नहीं हुई ? लाखों रुपये बरबाद हो रहे हैं और यह जनता के साथ सरकार खेल कर रही है। मैं स्पष्ट कहता हूं और जोरों के साथ कहता हूं कि चाहे जो कुछ हो चाहे जितनी रकम लगे, वह लगाई जाय लेकिन जनता की जिन्दगी के साथ इस तरह से खेल नहीं होना चाहिये। यह डाकू बदमाश हैं इनका नाश होना चाहिये। इनके नाश के लिये सरकार जो भी कदम अच्छा समझे जल्द से जल्द उठाये। अब जनता ऊब गई है, अब जनता इस हालत में नहीं रह गई है कि और बरदाश्त कर सके। सरकार अगर इस परिस्थिति को बचाना चाहती है तो जल्द से जल्द कदम उठाए बजट स्पीच तो ऐसी बहुत होती रहेंगी।

श्रीमन्, हमने टैक्स लगाने की नीति पर तो पहले अपनी सम्मति दे दी है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। एक बात मकानों के संबंध में कहनी है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि मकानों की समस्या हल होती जा रही है, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। मकानों की कमी के जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वह यह है कि--कानपुर में ४८,७२४, इलाहाबाद में ७,४०२, बनारस में १२,८३३, आगरा में १२,५०६ और लखनऊ में ७,७५०। इस तरह से कुल मिलाकर ८९,२१५ मकानों की कमी है। वह कहते हैं कि हम मकान बनाते जा रहे हैं। तो श्रीमन्, कानपुर में ६६ प्रतिशत आबादी बढ़ी और ७.०७ मकान बने, इलाहाबाद में ३४.६ प्रतिशत आबादी बढ़ी और मकान ९.७, बनारस में ३३.७ प्रतिशत आबादी बढ़ी और मकान २.४ प्रतिशत, जहां मुख्य मंत्री और सूचना मंत्री प्रतिभा सम्पन्न मंत्री है, आगरे में ४५.२ प्रतिशत आबादी बढ़ी वहां मकान ११.४ बने, लखनऊ में २८.२ बढ़ी और ७.५ फी सदी मकान बढ़े। जरा माननीय मंत्री जी इन आंकड़ों को नोट करें और जवाब दें। जो नये मकान बने वे सन् ५१ में, ३४६, ५२ में ३०४ और ५३ में ११८। यह प्रगति हो रही है माननीय वित्त मंत्री जी की। बनारस में सन् ५१ में १,२२३, ५२ में ५३४, और ५३ में ४८६ मकान बने। यह भी प्रगति है। माननीय कमलापति जी जब बनारस में जायेंगे तो जनतंत्र की शीतल छाया तो उनको दिखायी ही पड़ेगी। कानपुर में सन् ५१ में ३१८, ५२ में १,००७ और ५३ में ८५० मकान बने। लखनऊ में सन् ५१ में ८८२, ५२ में ४३७ और ५३ में ३९० मकान बने। इसी प्रगति को माननीय वित्त मंत्री जी प्रगति कहते हैं। अगर यही बात है जानें वह और उनका काम और सारे देश की जनता और इस सदन के सम्मानित सदस्य।

कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० ब्लाक्स के बारे में बहुत कुछ कहा गया। क्या है कम्यूनिटी प्रोजेक्ट और क्या है एन० ई० एस० ब्लाक ? हर राष्ट्र प्रसार सेवा कार्य में करीब-करीब साढ़े सात लाख रुपये का बजट है। मैं सरकार से और माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा इस साढ़े सात लाख रुपये का कौन सा हिस्सा जनता तक पहुंच पाता है ? हिसाब लगा कर अच्छे-अच्छे जानकार लोगों ने साबित कर दिया कि मुश्किल से एक सवा लाख, रुपया जनता तक पहुंच पाता है। बाकी रुपया के कुछ मकान बन जायेंगे, कुछ दफ्तर बन जायेंगे, कुछ कर्मचारियों का भत्ता बन जायगा और कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह में निकल जायगा। बराबर कोशिश और शिकायत होती है कि जनता का सहयोग नहीं मिलता। स्पष्ट मत है कि जन-सहयोग तब तक हो नहीं सकता, जब तक जनता का इनीशिएटिव, जनता का नियंत्रण इन तमाम

[श्री राजनारायण]

योजनाओं में न हो । काशी विद्यापीठ में एक एन० ई० एस० ब्लाक है । माननीय विचित्रनारायण जी शर्मा वहां गये उद्घाटन करने के लिये । उस क्षेत्र में २७ गांव सभाओं में २१, दो असेम्बली के मेम्बर और एक पार्लियामेंट के मेम्बर थे । दो असेम्बली के मेम्बरों में से एक सोशलिस्ट और एक कांग्रेसी । सबकी ओर से वहां पर तय हुआ कि जहां सेंटर खुल रहा है वहां सेंटर नहीं खुलना चाहिये । मगर चूंकि तथा कथित जन सहयोग चाहते हैं, इसलिये कि कांग्रेस पार्टी का वह सदस्य जो कि विरोधियों से हमेशा पछाड़ा जाता है उसकी कुछ सत्ता जमे, उसकी कुछ धाक जमे, माननीय मंत्रियों की विशेष अनुकम्पा से उसी के निवास स्थान के पास सेंटर खोल दिया गया । पूरी कोशिश हुई, बार-बार आरजू मिन्नत हुई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई । श्रीमन्, विद्यापीठ में हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि जब विद्यापीठ का नाम है और वहां के लोग चाहते हैं, और सन् १९२१ से विद्यापीठ की जिम्मेदारी सब लोग मानते हैं तो विद्यापीठ के लोगों को बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के इस ब्लाक को चलाने की जिम्मेदारी क्यों न दे दी जाय ? मगर वहां कहा गया कि नहीं, जब जनता के जरिये चुने हुये प्रतिनिधि कांग्रेस सरकार के रूप में है तो क्या फर्क रह गया सरकारी कर्मचारियों में और विद्यापीठ के प्रोफेसरों में । यह डेमोक्रेसी की बुनियाद पर कुठाराघात है । जब यह जजबात हों कि जनता और जनता के प्रतिनिधि में कोई फर्क नहीं, सरकार और जनता में कोई फर्क नहीं, तो इस कंसेप्शन (विचार) को मानने वाले लोग क्या सोशलिस्ट पैटर्न बनायेंगे ? सोशलिस्ट पैटर्न क्या, सोशलिस्टिक पैटर्न भी बनाना नामुमकिन है, असंभव है । जब तक ख्यालात की तब्दीली नहीं होगी तब तक उस तरीके से, उस नुक्ते नजर से स्कीम नहीं बनेगी ।

कहा जाता है, श्रीमन्, कि श्रमदान में बड़ा काम हो रहा है । होगा कहीं । मैं ज्यादा वादविवाद में जाना नहीं चाहता । मैं इतना अवश्य कह दूंगा कि आज जिस तरीके का श्रमदान हो रहा है वह बेगार से भी बदतर है । हमारी लेबर पावर को कोई सरकार नहीं छीन सकती । लेबर हम करते हैं, चाहे हम तालाब में २४ घंटे जाल लेकर बराबर मछली फंसाते जांय, चाहे एक भी मछली न फंसे लेकिन श्रम शक्ति हमारे शरीर में निहित है हमने खर्च कर दी अनावश्यक ढंग पर । आज इस पर भी अंकुश । रुपया ग्रांट हो जायगा । कुछ कांग्रेसी पार्टी के जिम्मेदार लोगों को खर्च के लिये भी दे दिया जायगा, वहां की गरीब जनता जो कि हरिजन वेलफेयर की बात करते हैं, उन्हीं हरिजनों और गरीबों को जबरदस्ती ले जाया जाता है । पुलिस के लोग कहेंगे, अरे प्रधान मंत्री आ रहे हैं, आज निरीक्षण करेंगे, चलो, जरा हजारों की तादाद में चलो । जबरदस्ती ले जाते हैं उनको दूसरे कामों से छुड़ा कर ले जाते हैं । पुलिस का डंडा तोड़ कर ले जाते हैं । इस तरह से श्रमदान नहीं हो पायेगा । बदलिये नीति को, बिना नीति बदले हुये जन-कल्याण करने में यह सरकार असमर्थ रहेगी ।

बेरोजगारी का सवाल अहम पेश कर दिया, माननीय वित्त मंत्री ने । जरा इन का भाषण पढ़ा जाय । यह कहते हैं कि अगर आठ घंटे काम को माना जाय तब तो ३५ फीसदी लोग ऐसे हैं जिनको पूरा काम मिलता है और अगर साढ़े छः घंटे का काम माना जाय तब केवल दो तीन फीसदी बेकार मिलेंगे । हमारा कहना है कि अगर २४ घंटे का काम माना लिया जाय तो एक फीसदी भी नहीं मिलेंगे क्योंकि कौन है जो बेकार है । अगर हमको कोई काम नहीं होता तो गांवों में १०, २०, २५ आदमियों को साथ में लेकर कहते हैं चलो मछली फंसायें, सुबह आठ बजे से ले कर चार बजे शाम तक मछली फंसाई, मगर मछली कुछ नहीं मिलतीं । आठ घंटे के काम से कितनी आमदनी बढ़ी है, साढ़े ६ घंटे के काम से कितनी आमदनी बढ़ी है ? टेस्ट वर्क पर लगे गांव वालों को पांच आने देने वाली यह सरकार बेरोजगारी और बेकारी दूर करने की बात करती है । वस्तु स्थिति को ठीक से प्रदर्शित करने की कोशिश होनी चाहिये । मगर जब कोशिश नहीं करते तो हम उन को क्या करें ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से ।.....

श्री राजनारायण—बस-बस, दस मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

प्रचार कांड, क्या प्रचार कांड ? श्रीमन्, लेबर के बारे में बड़ा प्रचार कांड हुआ है। नैनीताल में कांफ्रेंस हुई रैशनलाइजेशन स्कीम को चलाने के लिये। माननीय मुख्य मंत्री ने उसमें बयान दिया कि कई हजार की तादाद में मजदूरों की छटनी हो गयी कानपुर में। कोई लेबर यूनियन नहीं रोक पायी। मगर जब व्यवस्थित रैशनलाइजेशन चलाने की बात करते हैं तब तमाम लेबर यूनियनें कहती हैं कि हम रैशनलाइजेशन नहीं होने देंगे। लेकिन माननीय वित्त मंत्री के बजट में कहीं छटनी नहीं है। सूर्य की रोशनी में अगर कोई न देखे तो हमारा क्या दोष ? सूरज तो चमक रहा है और चल रहा है। यहां पर ट्रांसपोर्ट विभाग में ६॥ या ७ हजार आदमी लगे हुये हैं। इनके लिये स्कीम है कि उसमें १ हजार और कई सौ आदमियों को स्थायी बनाया जायगा। बाकी का क्या होगा ? वह क्या आसमान में त्रिशंकु की तरह से लटकते रहेंगे ! उनके लिये आप क्या करेंगे ? किसी भी विषय को आप लेलें आपको अराजकता ही अराजकता दिखायी पड़ेगी।

दो बातों के विषय में इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। उर्दू जबान के लिये अब इस सरकार को यह महसूस हुआ है कि इस प्रांत में उर्दू के बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं और अब इस सरकार को यह मालूम हुआ है कि उर्दू में कोई किताब नहीं मिलती है इसलिए उसको उर्दू में किताब छपाने का इन्तजाम करना है। अब इस सरकार को यह मालूम हुआ है कि किस-किस जगह कुछ मुकर्रर तादाद में तालिबइल्म भी हैं तब यह सरकार उनके लिये कुछ अध्यापक की व्यवस्था करेगी। मुझे तो इस सरकार की नादानी पर हैरत है। हमने बराबर दुनिया की तारीख को सरकार के सामने रखा कि कोई भी सरकार कोई भी राष्ट्र अगर अपने देश की कोई भाषा बनाना चाहता है तो दूसरी जो छोटी-छोटी भाषा हैं, जो रीजनल लैंगवेज हैं उनका भी विकास करना जरूरी है तभी राष्ट्रभाषा पनप सकती है। सोशलिस्ट पार्टी ने बराबर अपने एलेक्शन के घोषणा-पत्रों में इस बात का एलान किया है कि रीजनल लैंगवेज तथा अल्पमत की जो उर्दू जबान है उसको भी तरक्की देने का ख्याल सरकार को करना चाहिये। हमने हर मीटिंग में कहा और हमारे घोषणा-पत्रों को पढ़ लिया जाय तो उसमें हमने कहा है इस उर्दू के लिये लापरवाही क्यों हो रही है। उर्दू लैंगवेज की तरक्की के लिये उसकी इमदाद करने के यह मायने हरगिज नहीं होते हैं कि देश की एक भाषा ही न रहे। जब दूसरी छोटी भाषायें बढ़ेंगी और ग्रो करेंगी तभी राष्ट्रीय भाषा की भी उन्नति होती है। बहुत से मुल्कों में ऐसा हुआ है। मगर सब लीपापोती करने के बाद अब इनको यह ख्याल आया। इसमें बड़ी सफाई दी गयी है कि माननीय साबिक चीफ मिनिस्टर श्री गोविन्द बल्लभ पंत और डा० सम्पूर्णानन्द मौजूदा चीफ मिनिस्टर ये हुकुम दे चुके हैं कि कचहरियों में दरख्वास्त उर्दू में दी जा सकती है। यह कौन सी ऐसी नयी बात हो गयी जिसको दोहरा कर नेकचलनी का सबूत देने की जरूरत पड़े ? इस बात को हर मुसलमान समझता होगा कि उनकी कचहरियों में क्या क्या छीछालेदर आज हो रही है, और उनकी दरख्वास्त लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती है। मगर भाई अब चुनाव आ गया है। मुसलमानों की तादाद शहरों में काफी है। श्री सालिगराम जायसवाल जिस निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं उसमें भी मुसलमानों के बड़े-बड़े मुहल्ले हैं। वहां पर अली जहीर साहब गये थे और हमारे डिप्टी मिनिस्टर मुजफ्फर हसन साहब भी गये थे और दरबदर घूमे। मगर जब मुसलमानों ने उनसे कहा कि किस लिये वोट मांगते हो, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाने के लिये ? फिर उनसे पूछा कि क्या आप कुरान को मानते हैं तो क्या टैक्स मनमाना लगाना कुरान में लिखा है ? तो वह उस पर नहीं चलते हैं और न वेद पर चलते हैं मनमाने ढंग पर चलते हैं और उसी को वेद की बात कहते हैं और कुरान की बात कहते हैं। मेरा निवेदन तो यह है कि सरकार इस गलत आदत को छोड़ दें। खाने, पीने और रहने के बाद जो बचे तो उसको लेने की कोशिश कीजिये जिसके पास खाने पहनने को नहीं उसे टैक्स से मुक्त कीजिए। शराब तो कुरान में मुसलमानों के लिये पीना हराम लिखा है लेकिन मननीय मंत्री जी के शासन में शराब की बिक्री बढ़ती जाती है और जब वोट लेने जाते हैं तो मुसलमानों से अपनी बजट स्पीच का तजकिरा किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो खर्चा बड़ा हुआ है उसके बोझ को तो सहना ही होगा। इशारा भी किया सेल्स टैक्स की ओर कि हमारे प्रांत में केवल साढे पांच करोड़

[श्री राजनारायण]

हीं आता है, लेकिन बंबई और मद्रास में साढ़े चौदह करोड़ तक सेल्स टैक्स वसूल किया जाता है। मालूम यह होता है कि आज हिम्मत नहीं पड़ रही है लेकिन जनता को इसके लिये तैयार करने का यह नया इशारा किया गया है। हम कह देना चाहते हैं कि मुसलमान हो या हिन्दू हमको अवाडी अधिवेशन से कुछ सीखना नहीं है और न धेवर साहब से ही कुछ हासिल करना है। हमारे यहां तो साफ लिखा हुआ है, पातंजलि महाराज ने साफ लिख दिया है "समम् अजन्ति जनाः अस्मिन इति समाज" जहां सब मनुष्यों में समान व्यवहार हो वही समाज है। माननीय कमलापति जी इसको जानते होंगे तुलसी ने भी एक स्थान पर कहा "बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई" वैर भाव और विषमता को हमें खोना है। बुद्ध जी ने भी कहा कि भिक्षुकगण जो भिक्षा मांग कर लाते हैं वह तमाम लोगों में सम बांटी जानी चाहिये, वह केवल उन्हीं की नहीं है। कुरान के अन्दर भी इस बात का संकेत है कि बाज औकात हमें यह मालूम होता है कि हमारी जो प्रापर्टी है, (दौलत) जिस पर लड़के और लड़कियों का हक है, उसमें पड़ोसियों को भी हक़ देने का हुक्म खुदा देगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सारी की सारी बातें प्राचीन काल से ही चली आती है फिर भी आज ये नया समाजवादी ढंग की बात कहते हैं। केवल उन्होंने कुछ शब्दों को चुन लिया है तहजीब, तमद्दुन संस्कृति, सभ्यता। यहां सब कुछ पहले से ही रक्खा हुआ है, उनको तो केवल चुनने की तकलीफ करनी है लेकिन अगर सेलेक्शन करने की भी वृद्धि न हो तो जनता के अन्दर यह शब्दजाल न फैलायें, जम्हूरियत के लिये यह बड़ा गुनाह है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि यह हर हिन्दू मुसलमान को पता है कि इलाहाबाद, देवरिया, सीतापुर और अलीगढ़, इन तमाम स्थानों पर कांग्रेस पार्टी को हिन्दू मुसलमान सबने मिल कर जब चुनाव में पछाड़ा तो अब बजट भाषण में उर्दू जबान की बात भी आ गयी। इसलिये इनका इलाज यही है कि चुनाव में पछाड़ो तभी यह कुछ करेंगे वर्ना गद्दी छोड़ देंगे।

श्रीमन्, आपके सामने आंकड़ों की भूल भुलैया का रहस्य खोलकर रखना चाहता हूं जिन पर सोशलिस्ट पैटर्न की बुनियाद बनायी गयी है और जिसके द्वारा सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाहों में जो डिसपैरिटी (अन्तर) है उसको मिटाने की दुहाई दी गयी है। हालांकि एक विधेयक और आने वाला है जिसमें पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की तनख्वाह बढ़ाने का जिक्र है, वह बाद में आयेगा। उन्होंने कहा कि हम दो रुपये बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दो रुपया आपने बढ़ाये बहुत बढ़ाये। मगर श्रीमन, अफसोस यह है कि जब हमें भगवान, खुदा ने बुद्धि दी है तब भी हम उसका प्रयोग नहीं करते। उसमें चपरासियों का जिक्र किया गया है। आप उनको २५ रुपया देते थे लेकिन उसके बरखिलाफ सीनियर स्केल वालों को क्या आप ५०० रुपया से शुरू नहीं करते? आपने उनकी तनख्वाह को १ अप्रैल १९५५ से दो रुपया महीना बढ़ा दिया है। और फैसला किया है कि १०० रुपये तक तनख्वाह पाने वाले सरकारी मुलाजमीन को जो महंगाई भत्ता मिलता है उसका आधा हिस्सा तनख्वाह में मिला दिया जाय। ठीक है, २५ रुपया पा रहा है और २५ रुपया पाने वाले सरकारी कर्मचारी की तरक्की किस रेट से और किस रफ्तार से होती है, कहां तक जाती है? ८ आना साल होगा ३० रुपये तक जायगा, और ५०० रुपया बुनियादी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी की तरक्की किस रेट से होती है, किस रफ्तार से होती है? ३० रु० ३५ रु० होगा। कहां तक जायगा, बारह साढ़े बारह सौ तक जायगा। अगर सही माने में आमदनी की डिस्पैरिटी को मिटाना है तो विवाद के शाब्दिक झगड़े मत खड़े। करो मंत्रियों, डिप्टी मंत्रियों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज, जो हैं उनकी तनख्वाह का क्या हाल है? उनके ऊपर तो इनकमटैक्स भी फ्री मोटर भी फ्री सुसज्जित भवन फ्री गमनागमन के साधन भी जितने साधन है उन सबको जोड़ कर कम से कम ६ हजार से कम खर्च तो पड़ता नहीं है एक मंत्री के ऊपर। और जब उसके बारे में सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि सरकार पब्लिक सेफ्टी में उसको नहीं बतला सकती। आखिर यह रुपया कहां जाता है? श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक हिसाब लगा कर सोच लिया और समझ लिया कि सारे प्रांत की जनता ऐसी भोदी है कि वह हमारे हिसाब को सहर्ष मान लेगी। लेकिन वे इस बात को देखें कि जहां पहले २५ था और दूसरे का

५०० था तो उसमें एक और २० का फर्क था मगर माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो उसको २० रुपया महंगाई भत्ता मिलता था उसका आधा १० रुपया मिला करके ३५ रुपया कर दिया और फिर उसमें २ रुपया तनख्वाह बढ़ाकर ३७ कर दिया। इस तरह से ३७ और ५०० में एक और १३ का फर्क ला दिया और यह सोशलिस्ट पैटर्न बन गया। डिस्पेरिटी को इस तरह से मिटाने की माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़ी कृपा की है। मालूम होता है कि मार्शल टीटो साहब आये थे तो शायद उनसे उन्होंने यही सीखा कि वहां तो १ और ६ का फर्क है लेकिन यहां इस तरह से तनख्वाह बढ़ा करके फर्क मिटाया जाय; यदि वास्तव में डिस्पैरिटी मिटाने की बात कही जाती है तो जो छोटी से छोटी तनख्वाह मिलती है और जो बड़ी से बड़ी तनख्वाह मिलती है उसको सामने रखा जाय। मगर यह सरकार एक तरफ से बड़ी ऊंची सीमा मानती है और फिर वहां से छलांग मार कर दूसरे के नीचे से मुकाबला करती है। जरा माननीय वित्त मंत्री जी देखें कि २५ रु० तनख्वाह पाने वाले की मैक्सिमम तनख्वाह कहां तक जाती है और ५०० रु० तनख्वाह पाने वाले की कहां तक पहुंचती है। आखिर वह मैक्सिमम से रेशियो निकाल कर क्यों नहीं देख लेते?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मैंने तो निकाल कर देख लिया है। आप भी देख लें।

श्री रामनारायण---हम तो देख रहे हैं। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े तीन-तीन हजार और ६ हजार तक जो सरकारी पैसे एक-एक आदमी पर खर्च होते हैं इसको देखा जाय तो सौ गुना और सत्तर गुना का फर्क पड़ता है। अगर मान लिया जाय कि एक ३७ पाने वाला है और माननीय वित्त मंत्री जो अपने ऊपर ६ हजार रुपया खर्च करते हैं तो कितना फर्क होगा? करीब-करीब पौने दो सौ गुने का फर्क हो गया। फिर माननीय वित्त मंत्री जी एक और १३ का फर्क क्यों दिखलाते हैं? तुलना तो मैक्सिमम से होना चाहिये। चीफ सेक्रेटरी क्या पाते हैं, डाइरेक्टर्स क्या पाते हैं? इन डाइरेक्टर्स की तुलना आप इन गरीब चपरासियों की तनख्वाह से करें तो मालूम होगा कि कितना फर्क आता है। तुलना करने में सिर्फ फीगर्स दिखा कर फीगर्स के साथ खेल नहीं करना चाहिये। इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत करके माननीय वित्त मंत्री जी सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते हैं और उससे इस सदन को लुभाना चाहते हैं कि वह उनकी बातों को मान ले? लेकिन हम उसको नहीं मान सकते हैं। मैं अन्त में माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी स्लोगन्स और नारों के भुलावे में न जायं। सरकार का जो बजट प्रस्तुत है वह गरीबी और बेकारी को कतई नहीं मिटाता, और उसका जो डिस्पेरिटी मिटाने का क्लेम है वह बिल्कुल झूठा है, इससे डिस्पेरिटी नहीं मिट सकती, इससे कहीं-कहीं तो डिस्पेरिटी बढ़ रही है और बढ़ेगी। इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने बेरोजगारी और बेकारी को कम करने की बात कही है। वह कम नहीं हो हो रही है वह बढ़ रही है। लालेस ला और डिस आर्डर, अराजकता बढ़ रही है। अगर सही मानों में वस्तुस्थिति देखी जाय तो यही है कि सरकार के हाथ में सारी ताकत सेन्ट्रलाइज्ड होती जा रही है और अपने सरकारी कर्मचारियों को ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी द्वारा आज सरकार जनता की ताकत को, जनता के मनोबल को चकनाचूर करके यह सरकार आज जनता की छाती पर बैठी हुई है इसलिये हमारा निवेदन माननीय वित्त मंत्री से और तमाम सम्मानित मन्त्रियों से और सदस्यों से है कि अब जनता के हाथ नहीं बंधने चाहिये, इस तरह के बजट भाषण इस सदन में नहीं होना चाहिये जो वस्तुस्थिति से दूर हों। समुचित, संयत जो भी तरीका सरकार चाहती है उसको स्पष्ट तरीके से कहें और कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बनाकर, सोशलिस्टिक पैटर्न का नाम देना न तो सरकार के लिये उचित है और न तो जनता को उसका कबूल करना और विश्वास करना उचित है। यह पोलिटिकल मैरैलिटी (राजनैतिक चरित्र) की बात करते हैं। अनफेयर मीन्सऐडाप्ट करते हैं।

[श्री राजनारायण]

हमसे क्या कहेंगे । उन पुलिस अधिकारियों की तरक्की हो जो कि विरोधी पार्टी के लोगों पर गलत से गलत मुकदमा चलाये, उस पुलिस अधिकारी को तरजीह दी जाय, उस सरकारी कर्मचारी को तरजीह दी जाय जो कि अपोनेंट को दबाने के लिये बिल्कुल गैर जनतांत्रिक और नापाक कोशिश को कामयाब करें, फिर इस तरीके को अख्तियार करके चलने वाली सरकार अपने को सोशलिस्टक पैटर्न की सरकार होने का दावा करती है और हमें तो श्रीमन् आश्चर्य होता है कि कुछ बुद्धिवादी लोग भी ऐसे सोशलिस्टिक पैटर्न में विश्वास रखते हैं। इनका सारा रास्ता उलटा है, सारा तरीका उल्टा है और जब जैसी परिस्थितियों से बाध्य होते हैं उसके अनुरूप अपने में थोड़ा सा परिवर्तन ला देते हैं जैसे कि उर्दू भाषा के लिये किया है, जो कि अच्छा ही किया है या दो रुपये जो बढ़ाने की बात की है। लेकिन हम तो एक व्यक्ति की बात नहीं करते हम तो यह कहते हैं कि जो पोलिटिकल मोरैलिटी में विश्वास रखने वाली पार्टी होगी, जो सोशलिस्ट पैटर्न में विश्वास रखनेवाली उसका दावा करने वाली, उसका नारा लगाने वाली पार्टी होगी वह अनफेयर मीन्स हरगिज हरगिज नहीं एडाप्ट करेगी। और यही नहीं कि अपने नहीं करेगी बल्कि दूसरों को भी नहीं करने देगी और दूसरों की भी पोलिटिकल मोरैलिटी को देखेगी और अपने आचरण से साबित करेगी कि अपने कर्मों से यह सरकार हर दृष्टिकोण से, हर ऐंगिल आफ विजन से नाकामयाब हुई है जनतंत्र को प्रतिष्ठित करने में और ला ऐंड आर्डर को मेनटेन करने में, शिक्षा के विकास में और धनधान्य के विकास में। इसलिये मेरा मत है कि अब या तो इन तमाम बुनियादी बातों को तबदील किया जाय या सरकार जन-कल्याण के लिये स्वतः रास्ता साफ करे और अगर नहीं करेगी तो जनता को भी तैयार रहना चाहिये ताकि आगामी साल में माननीय वित्त मंत्री जी इस तरह के बजट और इस तरह के बजट भाषण को प्रस्तुत करके इस सदन के समय को इस तरीके से खर्च करने में सफल न हों।

*महावीर बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परिवर्तनशील विचार के निर्वाचकों की शुभकामनाओं और कृपा दृष्टि पर निर्भर डेमोक्रेसी और अपना खानदानी सिक्का जमाये हुऐ मानर्की में बहुत अन्तर है। और इस बजट के सम्बन्ध में एक विशेष अन्तर मेरे ख्याल में आता है और वह यह है कि, जब कि एक मॉनर्की में अपने दुष्कर्मों का फल शासक को स्वयं भुगतना पड़ता है, डेमोक्रेसी में यह सम्भव है कि एक सरकार खाई खोदे और दूसरी सरकार उस खाई में गिरे।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं एक हताश डेमोक्रेसी में यह भी सम्भव है कि अपना अधिकार स्थिर रखने की चेष्टा में और अधिकारदाता जनता को प्रसन्न करने की चेष्टा में चालू सरकार सही परिस्थिति को और सही परिस्थिति की गम्भीरता को छिपाकर अपने मूल वार्षिक बजट में आंकड़ों के जाल को बिछा दे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं विरोधीदल के सदस्यों से क्षमा चाहूंगा किन्तु मुझे यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होती कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार वास्तव में बहुत पैसा खर्च कर रही है। मतभेद और आवश्यकता इस विषय में हो सकती है कि आया जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह सही रूप से किया जा रहा है या सही कार्यों में किया जा रहा है। किन्तु यह सब को मानना पड़ेगा कि पैसा खर्च किया जा रहा है। यदि यह कहा जाय कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह सम्पूर्ण प्रदेश भर में एक समान नहीं किया जा रहा है, तो मैं इस विचार से सहमत हूंगा। यदि यह कहा जाय कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह पैसा बहुत हद तक आगामी वर्ष के दृष्टिकोण से और आगामी चुनाव के दृष्टिकोण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से किया जा रहा है, इस आक्षेप का मैं भी समर्थन करूंगा किन्तु यह हम सब को मानना पड़ेगा कि वाकई में बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है। केवल खर्च ही नहीं पैसा बहाया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्ववक्ता ने लगभग हर विषय को छेड़ दिया और मेरे लिये यह आवश्यक नहीं कि मैं फिर उन बातों को दोहराऊं और उन विषयों पर एक बार फिर चर्चा करूं। संभवतः समय कम होने के कारण उन्होंने एक विषय की चर्चा नहीं की और मैं इस समय विशेषकर उसी विषय की चर्चा करना चाहूंगा। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर सरकार की दृष्टि को उस बारीकी की ओर नहीं ले जाना चाहूंगा आया एक ग्रान्ट में कम पैसा और दूसरी ग्रान्ट में अधिक पैसा खर्च किया जा रहा है। नहीं मैं उस बारीकी में जाऊंगा कि किसी एक जिले पर सरकार की कृपादृष्टि है और दूसरे के ऊपर कुदृष्टि!

(इस समय ३ बजकर ३८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस अवसर पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से एक बात की जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा। वह यह कि कहां तक कर्ज लेकर उन्नति करना सोशलिज्म की उन्नति कही जा सकती है? यानी कहां तक यह उचित होगा कि जीवन स्तर को उठाने के नाम पर कर्ज ले लेकर एक मोटर गाड़ी खरीदी जाय? इस विषय पर मेरे पूर्व वक्ता ने कुछ नहीं कहा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं अपना पूरा-पूरा समय इसी पर लगाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इन रसभरी बातों की अंग्रेजी प्रतियों के पृष्ठ ७१ में मंत्री महोदय की तरफ से हमारे सामने कुछ आंकड़े पेश किये गये हैं। यह बजट इयर १९५५-५६ का एक प्रकार का स्टेटमेंट है यानी स्टेट की बैलेंस शीट के रूप में है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार यह स्टेटमेंट बनाया गया है इसका यदि अध्ययन किया जाय तो अन्तिम परिणाम हमको यह बताया गया है कि इस बजट इयर के पूरे कार्य को पूरा करने के पश्चात् ओपेनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो हैं उनमें ५१ लाख ७ हजार का घाटा है। मैं इस गणित की प्रशंसा करता यदि इसमें पूरी बात सामने रक्खी जाती। मैं समझता हूं कि यदि इस स्टेटमेंट को एक दूसरी प्रकार लिखा जाय तो यह तस्वीर जो मंत्री महोदय ने हमारे सामने रक्खी है वह बिल्कुल बदल जाती है।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि जो स्टेटमेंट मंत्री महोदय की ओर से हमारे सामने है उसमें मंत्री महोदय ने ६ करोड़ का कर्ज आमदनी में दिखा रखा है। इसी प्रकार जो पैसा मंत्री महोदय या सरकार के हाथ में डेट के रूप में आता है उसको भी मंत्री महोदय चतुरता के साथ अपनी आमदनी में दिखाते हैं। मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि एक बार कर्ज हाथ में प्राप्त करने के बाद कर्जदार उसको अपने स्वेच्छानुसार व्यवहार कर सकता है और उसे जैसा चाहे रूप दे सकता है। किन्तु यह सोचना कि उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, अब वह आमदनी है और इसलिये उसका जो भयंकर ऋण का रूप है उसमें अन्तर पड़ जाता है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, ठीक न होगा। उसका रूप तो केवल अदायगी के बाद ही बदल सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, यदि इस बैलेंस शीट को फिर दुबारा लिखा जाय और स्पष्ट करके लिखा जाय और यह बताया जाय कि हमारी वास्तविक आमदनी क्या है तो मैंने जो हिसाब लगाया है उसका एक विवरण मैं देना चाहता हूं। हमारे रेवेन्यू हेड के मातहत जो रिसीट्स हैं वह बताई गई हैं ८४ करोड़ की और इसके पश्चात् केवल एक ही हमारा वास्तविक रेवेन्यू है और वह पब्लिक एकाउन्ट्स के मातहत रिसीट्स हैं २३४ करोड़ की, इनका जोड़ लगभग ३१९ करोड़ का होता है। अब इसके खिलाफ यदि हमारा खर्च लगाया जाय तो खर्च में एक तो रेवेन्यू हेड्स के मातहत जो खर्च होता है वह है ९० करोड़ का। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर है ३२ करोड़ का और अन्त में पब्लिक एकाउन्ट्स के सम्बन्ध में जो डिस्बर्समेंट हैं २२५ करोड़ का, इन सबका जोड़ ३४८ करोड़ होता है। अध्यक्ष महोदय,

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

मेरे विचार के अनुसार हमारी रिसीट्स केवल वही हैं जो हमारी एक्चुअल रिसीट्स हो और मैं किसी भी सूरत में यह स्वीकार करने को तैयार न होऊंगा कि यदि हमारे हाथ में ऋण के द्वारा कुछ पैसा आ जाता है तो उसको हम अपनी आमदनी, अपनी सही दशा छिपाने के लिये मान लें। मैं समझता हूं कि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह उचित न होगा। इस वास्तविक आमदनी को यदि खर्च से घटा दिया जाय तो हमारा खर्च वास्तविक आमदनी से २८ करोड़ रुपया अधिक पड़ता है। और अध्यक्ष महोदय, सही तस्वीर वह होगी कि इस खर्च में जो माननीय मंत्री ने कर्ज ले रखा है और जिसका बोझ सरकार के ऊपर और जनता के ऊपर है, और जो ६ करोड़ का नया बोझ डाला जा रहा है उसको इस २८ करोड़ में घटा कर देखा जाय और तभी हम जान पायेंगे कि वास्तव में इस वर्ष का बजट कितना बैलेन्स्ड है। दुर्भाग्यवश अध्यक्ष महोदय, सरकार का खर्च और सरकार का बजट बड़े उल्टे तरीके से बनता है। खर्च के सम्बन्ध में पूरी लिस्ट बन जाती है। यह सरकार निश्चित कर लेती है कि इस वर्ष हमें इतना खर्च करना है और इसके बाद फिर सरकार और सरकार के वित्त-मंत्री और सब कर्मचारी टटोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस खर्च को पूरा करने के लिये आमदनी की जा सकती है। मालूम नहीं कि यह प्रथा बदली जा सकती है या नहीं। मगर जब तक यह प्रथा लागू रहेगी, यह होगा और अवश्यमेव होगा कि खर्च किसी व्यवस्था, किसी सिद्धान्त के अनुसार न होगा, क्योंकि सरकार को हमेशा कहने के लिये यह सुभीता रहता है कि यदि खर्च न किया जायगा तो उन्नति कैसे होगी। टैक्स लगाने के लिये जब विरोध किया जाता है तो उसका कहना होता है कि अगर टैक्स न लगाया जाय तो पैसा कहां से आयेगा और अगर पैसा नहीं आयेगा तो उन्नति कैसे होगी। सरकार हमेशा इसी विशस सर्किल में घूमती है और घुमाती है। यदि अपनी आमदनी के अनुसार खर्च किया जाय, यदि कम से कम यह चेष्टा की जाय कि अपनी आमदनी के अनुसार खर्च किया जायगा तो मैं समझता हूं कि यह जो डेफिसिट बजट बनता है, जिस प्रकार से खर्च वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ाया जाता है, कम से कम इसमें रोकथाम और रुकावट होगी।

अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ कर मैं इसके बाद यह बताना चाहूंगा कि हमारे इस बजट इस्टीमेट के सम्बन्ध में हमारी सरकार की 'इन्डेटेडनेस' क्या होगी। इस सम्बन्ध में मैं खंड २ के पृष्ठ १०३ की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा, और उसमें क्रमानुसार वर्ष प्रति वर्ष बताया गया है। अन्त में मैं केवल इस बजट इयर के सम्बन्ध में आंकड़े पढ़ूंगा और उसका निर्णय यह निकलता है कि बजट एस्टीमेट में ३१ मार्च सन् १६५६ को, यानी जिस तिथि को यह वर्ष समाप्त होगा, उस समय तक २१३ करोड़ की हमारी इन्डेटेडनेस होगी। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में हमको यह भी याद रखना पड़ेगा कि इस इन्डेटेडनेस के सिलसिले में हमको इसी वर्ष पांच करोड़ ६१ लाख ७ हजार ११० का सूद देना पड़ेगा। तो अर्थ यह हुआ कि इस वर्ष जो इन्डेटेडनेस है उसके कारण सरकार को जो आमदनी है उसमें से ५ करोड़ तो सूद की ओर जायगा और फिर भी २१६ करोड़ के लगभग हमारी इन्डेटेड़नेस कायम रहेगी। आगे यह बताया गया है कि इस वर्ष के इस कर्जे में लगभग १७ करोड़ की कमी करने की चेष्टा की जायगी। तो अन्त में सन् १६५५-५६ में २०१ करोड़ की इन्डेटेनेस कायम रहेगी। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी इन्डेटेडनेस भी है जो कि जमींदारी कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में उठाई गई है जिसके लिये न कोई सिंकिंग फंड खोलना आवश्यक समझा गया, वह है ४८ करोड़। तो इस इन्डेटेडनेस के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर यह कहूंगा कि यह कोई प्रशंसा की बात नहीं और जैसा कहा गया और एक लेखक ने भी बहुत उचित शब्दों में जैसा बताया है कि आज कल

"Public debts are a phenomena of modern growth, yet so general and so large are they in advanced communities that they have come to be regarded as almost a mark of progressive civilisation."

अध्यक्ष महोदय, यह एक प्रकार का ताना है और यह समझना कि अगर हम अपना कर्ज बढ़ावें तो हम एक प्रोग्रेसिव सिविलइजेशन कायम कर रहे हैं, यह एक खोखली उन्नति होगी, जिसके पीछे मैं समझता हूं कि हमारे वर्तमान वित्त-मंत्री नहीं लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, उन्नति के बारे में बहुत कहा गया और यही हमको हमेशा बताया गया और मंत्री महोदय के भाषण में यही कहा गया। पृष्ठ ५ में मंत्री महोदय कहते हैं कि यह बात माननी पड़ेगी कि भविष्य में उत्तर प्रदेश का कर्जा विकास के खर्चे के मुताबिक बढ़ेगा और हमको न केवल विकास के नये खर्चे के लिये बल्कि पहले लिये हुए कर्जे के वास्ते भी ऋण पर निर्भर होना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हमारे वित्त-मंत्री की तरफ से एक भय प्रकट किया जाता है जिससे हमारे इस प्रदेश की आर्थिक दशा पर एक बहुत बड़ी चोट पहुंचती है। उन्नति अवश्य होगी और उन्नति में अवश्य खर्च होगा। मगर यह कहना कि हमारी सब उन्नति कर्जे पर निर्भर है, यह कहना कि बगैर कर्जे के बढ़ाये हम उन्नति नहीं कर सकते हैं, यह मैं समझता हूं कि कुछ हद तक "पुटिंग दी कार्ट बिफोर दी हार्स" की मिसाल का उदाहरण होगा। जहां तक हो सके चेष्टा यही होनी चाहिये कि जहां तक हमारी आवश्यकता हो और जहां तक हमारे पास साधन उपलब्ध हों, उसी के अन्दर सीमित होकर उन्नति की जाय। मंत्री महोदय ने उन्नति के सम्बन्ध में और नियोजन की एक नई परिभाषा दी है। अध्यक्ष महोदय, पृष्ठ २ में मंत्री महोदय कहते हैं कि "नियोजन या प्लानिंग इसका नाम है कि किस काम को पहले रखा जाय और किसको बाद में।" अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या इस परिभाषा में वे कुछ भूल नहीं गये। क्या प्लानिंग का अर्थ केवल यही हुआ कि प्रायमिकता स्थिर कर दी जाय? क्या प्लानिंग में आवश्यक नहीं कि कम से कम कुछ हद तक उपलब्ध साधनों पर निर्भर हो और उसके अन्दर उसकी सीमा के अन्दर ही काम किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि क्या प्लानिंग का और वेलफेयर स्टेट की प्लानिंग का अर्थ केवल यही है कि उन्नति के नाम में और जीवन स्तर बढ़ाने के नाम में जनता और गरीब जनता से कर्ज लिया जाय, कर्ज में डूबी, हुई केन्द्रीय सरकार से कर्ज लिया जाय और या स्वार्थी विदेशी सरकारों के सामने भिक्षुक का हाथ फैलाया जाय? नहीं अध्यक्ष महोदय, वेलफेयर स्टेट की गाड़ी अपनी पटरी से उतर गई है और अगर इस तरह से उन्नति करनी है तो यह एक खोखली उन्नति होगी जिसका दुष्परिणाम अगर हम पर नहीं, हमारी सन्तानों पर नहीं तो हमारी सन्तान की सन्तान पर अवश्य पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है श्रीमन्, जिस सरलता से मंत्री महोदय कहते हैं कि जो कुछ पैसा खर्च किया जा रहा है उसका फायदा कभी न कभी अवश्य उठेगा। इससे कौन इन्कार कर सकता है? पैसा लगाया जा रहा है, चाहे अत्याधिक लगाया जा रहा हो, बहरहाल उसका कुछ न कुछ लाभ तो अवश्य उठेगा। प्रश्न यह नहीं है। चाहे वह जितनी दूरदेशी दिखावें, आगामी सन्तान जो होगी, उसकी मांगे, उसकी आवश्यकतायें, इससे भिन्न होंगी और चाहे मंत्री महोदय जितनी ही कोशिश करके और जितनी चेष्टा करके सब दिशाओं में पूर्ति लाने की चेष्टा करें फिर भी बहुत सी ऐसी बातें रहेंगी और यह स्वाभाविक है, उनका कहना कि भविष्य में इसके होने के बावजूद, इतना कर्ज लिये जाने के बावजूद भी भविष्य की सरकार और भविष्य की सन्तान को अपनी कार्यसिद्धि करने के लिये और कर्ज या और किसी रूप से पैसा उत्पन्न करना होगा। मंत्री महोदय ने टैक्सेस के सम्बन्ध में एक बार फिर अपना विचार दुहराया है। पृष्ठ २२ पर मंत्री महोदय, कहते हैं कि मैंने चालू वर्ष की बजट स्पीच में यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार यह चाहती है कि पहली पंचवर्षीय योजना का काम कोई नया टैक्स लगाये

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

बजट समाप्त किया जाय। इसमें अध्यक्ष महोदय, यह संकेत अवश्य किया गया है कि अब मंत्री महोदय का यह आश्वासन केवल पहली पंचवर्षीय योजना तक सीमित है जिसकी अवधि अब केवल एक साल की रह गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आरम्भ होगी उसके लिए मंत्री महोदय कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। किन्तु फिर भी क्या मंत्री महोदय का यह कहना है कि उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया यह सही है? मेरे विचार के अनुसार यह बात भी गलत है। मंत्री महोदय ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, किन्तु मैं पूछूंगा कि क्या मंत्री महोदय जो सूद अपने ऋण पर दे रहे हैं जो कि कर्ज ले रखा है, क्या वह एक प्रकार का टैक्स नहीं हुआ? क्या वह सूद अगर न देना पड़ता तो वही पैसा उन्नति के कार्यों में लगता? यह तो मानी हुई बात है कि ऋण जैसा कि बताया गया है, और एक प्रमुख लेखक ने कहा है कि "such debts are mortgage upon the wealth and industry of a nation secured upon its taxes and future revenue."

मंत्री महोदय ने इस वर्ष में टैक्स भले ही न लगाया हो मगर यह असम्भव है कि यदि मंत्री महोदय वर्तमान, या भविष्य की सरकार इन कर्जों को अदा करने का इरादा रखती है तो उसे आमदनी का जरिया न बढ़ाना पड़े। आमदनी का जरिया बढ़ाना ही पड़ेगा। यह उम्मीद करना कि आमदनी इस हद तक बढ़ जायगी, कि आमदनी के ही जरिये से इन कर्जों की अदायगी हो जाय, मैं समझता हूं कि यह यूरोपियन थाट होगा मंत्री महोदय के लिए। क्योंकि यह भी याद रखना चाहिये मंत्री महोदय को कि अगर आमदनी बढ़ी तो साथ ही नीड और आवश्यकता भी बढ़ेगी ही। इसलिए इस पर निर्भर रहना अनुचित है। मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सिंकिंग फंड्स का नाम ले लेंगे पिछले वर्ष के समान, जैसा कि उन्होंने पिछले वर्ष कहा था कि हमने सिंकिंग फंड्स खोल रखे हैं अदायगी के सम्बन्ध में। और जहां तक सूद देने का सम्बन्ध है वह रेवेन्यूज पर एक भार है। मैं मानता हूं अध्यक्ष महोदय, कि सिंकिंग फंड्स पहले भी खोले गये हैं, लेकिन सिंकिंग फंड्स में अगर क्रमानुसार देखा जाय तो यह तथ्य निकलता है कि जितना उसमें डाला जा रहा है वह उस रफ्तार में नहीं डाला जा रहा है जिस रफ्तार में कि नया कर्जा लिया जा रहा है। पिछले वर्ष भी ६ करोड़ कर्जा लेने का इरादा था, वह किन्हीं कारणों से नहीं लिया गया। इस साल भी इरादा है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जितना उससे लिया गया उतना उसमें नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री राजनारायण जी ने टैक्सेज के सम्बन्ध में कहा कि सरकार को टैक्सेज लगाने की हिम्मत न हुई। इस सम्बन्ध में मैंने स्पष्ट कर दिया कि हिम्मत टैक्सेज के रूप में टैक्स लेने की अवश्य ही नहीं थी। फिलहाल पैसा लेने की जरूरत थी। टैक्सेज लेने के तीन तरीके हैं। तीसरे का सवाल तो आता ही नहीं, आमदनी बढ़ाने का जरिया, वह तो बाद की चीज है। मंत्री महोदय ने कह दिया कि कुछ वर्षों तक खर्चे से रिटर्न आयेंगे, वह सोचना ही नहीं चाहिये। तो अब दो तरीके रह जाते हैं। या तो टैक्सेज लगाएं या लोन लें। तो टैक्स न लिया, लोन लिया, वह तो एक ही बात है। जब लोन लेने की अवधि पूरी हो जायगी, जब लोन्स नहीं आयेंगे किन्हीं कारणों से, चाहे लोगों में इतना रिजर्व फंड न रहे कि वह अपना रुपया सरकार के लोन्स में इन्वेस्ट कर सकें, या किसी कारण से, तब स्वाभाविक है कि सरकार और मंत्री महोदय टैक्स लगायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, अधिक न कह कर मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि मंत्री महोदय की तरफ से यह गुस्ताखी ही होगी यदि वह आज बैठ करके भविष्य का पूरा निर्माण करने की चेष्टा करेंगे। यह उनके लिये आवश्यक है कि वह अपनी जिम्मे-

दारी और लायबिलिटी को अधिक पूरा करें। पास्टेरिटी और भविष्य में आने वाली सन्तान को जो लिगेसी वह छोड़ जायेंगे और वर्ष प्रतिवर्ष जिसका बोझ अब बढ़ता जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, वह मैं समझता हूं कि वह एक बहुत ही गलत प्रथा है और इस दिशा में वह अधिक सतर्कता बरतेंगे। इस सम्बन्ध में मैंडेविड ह्यूम सरीखे इकोनोमिस्ट के विचार रखना चाहता हूं कि "वर्ष प्रति वर्ष पब्लिक इंडेटेडनेस को बढ़ाना एक डेफिनिट पाथ टु नेशनल बैंक्रप्टसी है"। मैं इन शब्दों का प्रयोग तो न करूंगा मगर मैं समझता हूं कि यह गलत तरीका है कि हम अपने रिजर्व से इतना अधिक बढ़ जायं। हमारे पास जो रेवेन्यू रिजर्व है उसको हम अवश्य प्रयोग में लायें, आखिर वह उन्नति के लिये और ऐसे ही अवसरों के लिये रखा गया है, लेकिन इस प्रकार और इस तरीके से इन्डेटेडनेस बढाना, मैं समझता हूं कि अन्त में हमारे देश के फाइनेंसेज में इससे बहुत चोट पहुंचेगी। अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण को समाप्त करते हुये मैं माननीय मंत्री महोदय के सम्मुख एक बार फिर एक प्रमुख इकोनोमिस्ट के विचार रखूंगा और दुर्भाग्यवश उसका मैं हिन्दी में अनुवाद नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि इसकी अंग्रेजी (कठिन तो मैं नहीं कहूंगा) भाषा बहुत अच्छी है। वह इस प्रकार है कि

"It is a wise policy that each generation to come pay its own way in all matters of expenditure.

It may be assumed that posterity will have its own difficulties and burdens. It is neither generous nor partiotic to pass on to it a legacy of debt created by the imprudence or ambition of the present generation."

मंत्री महोदय की नीयत अच्छी हो सकती है, सरकार की नीयत अच्छी हो सकती है किन्तु जनता की एम्बीशन पर गलती होगी और उसका अवश्यमेव नतीजा होगा कि सरकार की जो नीति है और जिस विश्वास में इतना खर्च किये जा रही है, यदि किसी कारणवश आमदनी में या रिटर्न में कुछ अड़चन पैदा हो जाय तो प्रदेश के सामने एक गम्भीर परिस्थिति आ जायगी जिसका सामना बगैर टैक्स के करना असंभव हो जायगा।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही प्रगतिशील और जनहितकारी बजट पेश किया है। इस बजट को अगर कोई ऐसी निगाह से देखे जो निष्पक्ष हो जिसमें कोई अपनी निजी निगाह न हो और न किसी विशेष भावना से प्रेरित हो तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इस बजट को प्रगतिशील न कहे। लेकिन एक बात मैं देखता हूं कि इस बजट को ज्यादातर समालोचकों ने सही तौर पर पढ़ने या इसके अन्दर गहराई में जाने का प्रयास नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है और जो इस बजट को सही समझने की कुंजी है। जो इस बजट भाषण के प्रथम पृष्ठ पर है कि हम सोशलिस्ट प्रकार का समाज स्थापित करें और यही बजट का उद्देश्य है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आगे यह भी बतलाया है कि हम क्या चाहते हैं। वे आगे कहते हैं सोशलिस्ट प्रकार के समाज की स्थापना करें यह हमारा ध्येय है। इसमें बहुत संभव है हमारा मतभेद हो कि सोशलिस्ट समाज ही क्यों न स्थापित किया जाय 'सोशलिस्ट प्रकार का क्यों स्थापित किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऐसे माननीय सदस्य हैं जो विशेष प्रकार की विचारा धारा रखते हैं। मैं समझता हूं कि वे समझते हैं कि हमारा कल्याण सोशलिस्ट समाज के कायम करने से ही हो सकता है। इससे मुझे कोई झगड़ा नहीं है लेकिन जो इससे भिन्न नीति रखते हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं जब कि हमें अपने आदर्श जबरदस्ती नहीं मनवाने हैं तो इस हालत में रहते हुये विद्यार्थ इसके और कोई रास्ता नहीं रह जाता है कि हम सोशलिस्ट प्रकार के समाज की स्थापना करें।

[श्री राधामोहन सिंह]

यह सर्व विदित है कि कांग्रेस की तरफ से अभी हाल में जो अधिवेशन अबादी में हुआ था उस समय उसमें ऐलान किया गया था कि हम लोग अब एक विशेष रास्ते पर चलने वाले हैं और हमारी विचार धारा एक विशेष रास्ते पर चल रही है, हम नहीं चाहते हैं कि हम जनता की भावनाओं पर अपनी नीति को जबरन लादें। हम कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते हैं। हमारी नति तो अहिन्सा की है। अगर हम इस विचारधारा को मानते हैं कि जिसको हम ठीक समझते हैं और जो हम चाहते हैं कि उसको हम जनता के ऊपर लाद दें, उसकी स्वतंत्रता को छीनकर उसके ऊपर जबरदस्ती लादें तब तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी विचार धारा हमसे भिन्न है। लेकिन अगर वही विचार धारा है जो कांग्रेस की है तो फिर हम सोशलिस्ट प्रकार के समाज की स्थापना करें हमारे लिये और कोई रास्ता रह नहीं जाता है क्योंकि हम डिक्टेटरशिप लाना नहीं चाहते और बिना डिक्टेटरशिप के सोशलिस्ट समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। ऐसा सभी मार्क्सिस्ट का विश्वास है। तो यह सोशलिस्ट प्रकार का समाज कैसा हो अगर ज्यादा विचार से हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बहुत साफ तरह से कह दिया है कि "यह समाज ऐसा हो जिसमें उत्पादन के साधन या तो समाज की मिलकियत हों या उसके नियंत्रण में हों और उत्पादन तेजी के साथ किया जाय और साथ ही धन का वितरण न्याय संगत हो" इन दो प्रतिबन्धों के साथ में समझता हूं किसी को झगड़ा नहीं हो सकता है कि हमारे यहां जो आवश्यकतायें हैं उनको हम उत्पादन कर के पूरा करें और वह उत्पादन ऐसा हो जिससे किसी विशेष तबके को ही लाभ न हो बल्कि उसका न्यायसंगत बंटवारा हो। अगर यह दो बातें हो जाती हैं तो निश्चय ही हम आगे बढ़ेंगे और एक कल्याणकारी समाज की स्थापना होगी।

दूसरी बात यह है और वह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने यह तय किया है कि हम अपनी इन तमाम बातों को पूरा करेंगे बिला टैक्स का एक पैसा बढ़ाये हुये। हमें आश्चर्य है कि हमारे विरोधी सदस्यगण इन बातों को क्यों नहीं समझते हैं। आज जब कि हमारी जनता की हालत गिरी हुई है तो अपनी योजना को पूरा करने तथा उसको ऊपर उठाने के लिये केवल दो रास्ते हमारे सामने हैं। एक तो यह कि हम कर्ज में या दूसरे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करें। हम यह आशा करते हैं कि जो योजनायें हमारी हैं उनको जब हम पूरा कर देंगे तो हमारी जनता की हालत ऐसी हो सकती है कि कुछ दिनों बाद हम उससे अधिक टैक्स ले सकें। आज उसकी हालत ऐसी नहीं है और जब तक हम इन योजनाओं को पूरा नहीं करेंगे तब तक उससे अधिक टैक्स लेने का हमें कोई अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिये हमारे बजट के अन्दर यह तय किया गया है कि बिला टैक्स बढ़ाये हम इन योजनाओं को पूरा करेंगे। इस निश्चय का हम स्वागत करते हैं और मैं समझता हूं कि सदन इसके लिये वित्त मंत्री का विशेष आभारी होगा।

इसके अलावा जो बड़ी बड़ी योजनयें रखी गई हैं उनको अगर आप देखेंगे तो सन् ५६ में जो टारगेट रखा गया था उससे कहीं आगे हम बढ़ गये हैं। आज खाद्य समस्या करीब करीब हल हो चुकी है कंट्रोल समाप्त प्राय है, सिंचाई की स्कीम गत वर्ष में जो हाथ में ली थी उसको हमने बहुत कुछ पूरा किया। और हम सिंचाई मंत्री को विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे पिछड़े हुये जिलों की बहुत सहायता की और आज वहां की जनता में एक उत्साह की लहर फैल गयी है। पहले जिन जमीनों से हमें कुछ भी आमदनी नहीं थी आज उनसे भी हम बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद ऐसी हालत हो जायगी कि हमारी ईल्ड बढ़ जायगी जिससे न कि हम अपनी ही आवश्यकताओं को पूरा करेंगे बल्कि अन्य प्रांतों में भी अन्न भेजने लगेंगे।

इसके साथ ही इस बजट में यह भी कहा गया है कि हमारा अगला कदम औद्योगीकरण की ओर होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ भी बहुत काफी ध्यान दिया गया है। मैं समझता हूं कि इन बातों के लिये सरकार हर तरह से बधाई की पात्र है कि इतने कम समय में और बिना कोई टैक्स बढ़ाये हुये वह इन बातों को पूरा करने जा रही है।

इसके अलावा बड़ी बड़ी योजनाओं की एक लम्बी फेहरिस्त इसमें है, उनके बारे में तो मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन दो एक विशेष बातें बिल्कुल नयी इसमें रखी गयी हैं। उनका जिक्र करना आवश्यक समझता हूं। पहला जो ऐलान हमारे राज्यपाल महोदय ने इस सदन में किया वह यह था कि अब हमारे गो वंश का वर्धन होगा और गो वध बन्द होगा यह एक बहुत बड़ा ऐलान था। इस बारे में हमारी सरकार बहुत ठोस कदम उठाने जा रही है और शीघ्र ही सदन में गोवध बन्दी का बिल पेश होगा। इसके लिये यह सरकार और हमारे मंत्री महोदय बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और आज जनता में जो भावना चारों तरफ फैली हुई थी और जो लोग गलत प्रचार कर के उसके मन को भ्रम में डाला करते थे उसको हमने इस कदम से खत्म कर दिया है। सरकार के इस कदम से देहातों में आज एक उत्साह की लहर फैल गयी है और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि वाकई यह हमारी जन सरकार है जो जनता की भावनाओं का आदर करती है। और उनके अनुसार आगे काम करने के प्रयत्न करती है।

दूसरा बहुत अच्छा काम जो है हाथ में लिया गया है वह सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना है। हमारी सरकार ने जो आज तक काम किये वह जनता की माली हालत को सुधारने के लिये किये। लेकिन इस के बाद भी हमारे अन्दर बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं, हमारे अन्दर बहुत से ऐसे सामाजिक कुभाव फैले हुये हैं जिनसे जनता आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनसे लड़ने का एक ही क्षेत्र है, वह सोशल वेलफेयर का है। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि इस बोर्ड को स्थापित करके एक नया कार्यक्षेत्र कायम किया है जिससे जनता की बहुत सी बातें आसानी के साथ आगे पूरी हो सकेंगी।

सामाजिक सुधार का एक बहुत बड़ा काम जो महात्मा गांधी जी ने अपने आन्दोलन में उठाया था वह मद्यनिषेध का था, उस समय गांजा, चरस, भांग, शराब इन चीजों का बहुत कुछ बहिष्कार हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी गति यानी आन्दोलन की गति ढीली पड़ गयी। आज मुझे प्रसन्नता है कि सोशल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा जो जनता के सहयोग से काम किये जायेंगे उनमें इस बुरी आदत को भी खत्म करने का प्रयत्न किया जायगा और जगह-जगह गरीबों के अतिरिक्त मनोरंजन व मन बहलाव की व्यवस्था होगी ताकि वे बुरी आदतों से मुक्ति पा सकें।

एक और बहुत बड़ा कदम जो सरकार ने जनता के लिये उठाया है वह मध्यमवर्ग और गरीब आदमियों के लिये घरों के निर्माण के लिये है। आज हमारे मुल्क में आबादी बहुत बढ़ गयी है। मगर आबादी के साथ साथ अपनी माली हालत खराब होने की वजह से काफी मकान नहीं बन सके। और मनुष्य की जो बहुत बड़ी बड़ी आवश्यकतायें हैं उनमें मकान की आवश्यकता भी एक है। आज हम देखते हैं कि शहरों में जहां बड़े-बड़े लोग रहते हैं वहां पर भी मकानों की इतनी कमी हो गयी है कि कितने ही लोग रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्दर वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन फिर भी मकान नहीं पा सके हैं। सरकार ने मध्यमवर्ग, और गरीब लोगों के लिये और खासकर मजदूरों के लिये मकान बनाये जाने का जो सिलसिला जारी किया गया है वह बहुत प्रशंसनीय है। और मैं आशा करता हूं कि सदन इसकी प्रशंसा करेगा।

हमारे प्रांत में एक ऐसा क्षेत्र है जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों ओर फैला हुआ है, यानी बाढ़ का क्षेत्र। सरकार ने वहां पर बाढ़ रोकने का एक बहुत बड़ा काम प्रारम्भ किया है। उसको रोकने के प्रयत्न के लिये हम इस सरकार और केंद्रीय सरकार को जिसने बहुत बड़ी योजना बाढ़ रोकने के लिये बनायी है बधाई देते हैं। यह बहुत ही प्रशंसा का काम है। जब तक इन क्षेत्रों में जो कि बाढ़ से ग्रस्त हैं बाढ़ नहीं रोकी जायगी तब तक यहां कोई भी उन्नति का कार्य नहीं हो सकता है। इस ओर सरकार का ध्यान कई साल से गया हुआ था। लेकिन पहले कोई ठोस काम नहीं हो सका था जिससे जनता को मालूम हो सके सरकार ने इसके लिये कोई ठोस कदम उठाया है। अब आज कल गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ में जो काम हो रहा है जनता में उसके कारण बहुत ही संतोष है। सरकार ने यह बहुत बड़ा काम बाढ़ को रोकने के लिये किया है और मैं आशा करता हूं कि बाढ़ रोकने के कार्य के बाद और भी जो जरूरी काम

[श्री राधामोहन सिंह]

बाकी हैं जो जनता की उन्नति के लिये आवश्यक हैं उन को भी सरकार हाथ में लेने में विलम्ब नहीं करेगी। इस बजट को देखने से यह मालूम होता है कि मजदूर वर्ग के लिये जहां बहुत ही सुविधा प्रदान करने का कार्यक्रम है वहां एक छोटा कार्यक्रम और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वह शिशु केंद्र की स्थापना का है। जो काबाल टाउंस है उनमें सरकार की तरफ से यह एक नया कदम उठाया गया है। जो मजदूर वर्ग की स्त्रियां हैं, जो दिन भर काम में लगी रहती हैं उनके बच्चों की देखभाल का अब तक कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार इसको समझती है और वास्तव में जनता की सरकार है उसे समझना चाहिये कि वे बच्चे पैदा करने वालों के बच्चे नहीं हैं बल्कि वे वास्तव में राष्ट्र के बच्चे हैं। वही सरकार इस स्कीम को ला सकती है जो ऐसा समझती है। मैं इसके लिये सरकार को सबसे अधिक बधाई देना चाहता हूं। इस से मजदूर वर्ग और खासकर स्त्रियां जो मजदूरी करती हैं, जिनके पास बच्चों के रखने की कोई सुविधा नहीं है, कि उन बच्चों की देखभाल ठीक से कर सकें अब उन को आसानी होगी। इन शिशु केंद्रों में वह अपने बच्चों को रख सकेंगी। वहां बच्चों की ठीक देखभाल होगी और बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक हो सकेंगे ऐसी संस्थायें अभी तक बहुत ही उन्नत देशों में ही स्थापित थी। इसके लिये सरकार अवश्य ही विशेष बधाई की पात्र है।

मैं इस लम्बी फेहरिस्त को पूरा नहीं कर पाऊंगा अगर एक और बड़े काम का जिक्र यहां पर न करूं और वह बनारस के घाटों का निर्माण कार्य है। यह वास्तव में उन घाटों का पुनर्निमाण जनता का एक सेवा कार्य है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार ने उस बड़े काम को शुरू किया है। वास्तव में भारतवर्ष के प्रत्येक भाग से लोग बनारस में आते हैं, उन सब की सेवा के लिये यह काम किया जा रहा है। बनारस एक ऐतिहासिक स्थान है जहां पर बाहर से और दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं। उन घाटों की हालत इतनी खराब हो गयी थी कि वे खतरनाक हो गये थे। इन घाटों को राजाओं ने बनवाया था और जब से राजाओं को खत्म किया गया तब से सरकार के अलावा और कोई दूसरा नहीं था जो उनका जीर्णोद्धार कर सकता। सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लेकर सराहनीय कार्य किया है। जनता उनकी इस सेवा को सदा के लिये याद रखेगी।

अब इन नये और जनता के भलाई के कामों का जिक्र करने के बाद मैं कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं कि जिनकी कमी बजट में खटकती है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय इस बात को महसूस करते होंगे कि यह तमाम बातें करने के बाद जिसकी तरफ हमको अपना विशेष ध्यान देना है वह सबसे बड़ी समस्या बेकारी की समस्या है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार का ध्यान इस तरफ गया है और सरकार उस तरफ कुछ करना चाहती है। लेकिन बजट को देखने के बाद मुझे इस बात का दुख हुआ कि इस मामले को हल करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऐसा मालूम होता है कि इस समस्या को हल करने का काम टाल दिया गया है। उसका कारण यह बताया जाता है और गत दो तीन सालों से सरकार बराबर यह कहती रही है कि उसके पास इस सम्बन्ध के आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। तो सरकार ने उन आकड़ों को प्राप्त करने के लिये कौन सा कार्य किया है? मैं तो यह देखना चाहता हूं कि जिस माननीय मुख्य मंत्री ने अपने यहां इकानामिक समस्या को हल करने के लिये एक स्टेटिस्टक्स का अलग विभाग खोल दिया है। इस समस्या के लिये उचित आंकड़े प्राप्त करने कीओर भी विशेष खयाल करेंगे। मगर अभी तक उस तरफ आपने कोई काम नहीं किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और खतरनाक प्रश्न है। इसकी किसी प्रकार से भी हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे इस बजट के अन्दर यह देखने को नहीं मिला कि इस समस्या को हल करने के लिये हमारी सरकार ने क्या किया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि चाहे कुछ भी हो वह इस समस्या को सुलझाने की तरफ अपना ध्यान अवश्य दे, जिससे यह बेकारी की समस्या हल हो सके। सब से बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि करोड़ों रुपया हम अपनी योजनाओं पर व्यय कर रहे हैं। और अरबों के कार्य हो रहे हैं। तब भी हमारे यहां इतनी अधिक बेकारी है यह बहुत दुख की बात है।

इस समस्या को हल करने के लिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि एक्सपर्ट की कोई कमेटी बिठाई जाय जो इस बात पर विचार करे कि आखिर कौन से वे कारण हैं कि जिनकी तरफ हमारी निगाह नहीं जाती है और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो इतना रुपया व्यय करने के बाद भी और इतनी योजनाओं को हाथ में लेने के बाद भी हम बेकारी की संख्या में कमी नहीं कर पाये हैं, और वे सुझाव दें कि किस प्रकार से इनको हल किया जा सकता है । यह इस प्रकार की समस्या है कि इसकी किसी प्रकार से भी अवहेलना नहीं की जा सकती है । जहां हमने बड़ी-बड़ी समस्याओं को हल करने की कोशिश की है और हल कर लिया है वैसे ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बड़ी समस्या के हल करने का भी प्रयत्न किया जाय । हमें विश्वास है इसमें हम कामयाब होंगे ।

दूसरी बात जो मुझे खटकती है वह सरकारी नौकरियों में वेतन-क्रम में भारी असमानता है । निम्नवर्ग के सरकारी कर्मचारियों का स्तर ऊंचा करने के लिये सरकार ने बराबर प्रयत्न किया है और समय-समय पर उनकी तनख्वाह को भी बढ़ाया है लेकिन तनख्वाह बढ़ाने के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हमको विचार करना है । मैं समझता हूं कि ऊपर की तनख्वाहों को कम करने से हमें बचत के रूप में विशेष आर्थिक लाभ नहीं होगा लेकिन इसका एक साइकोलाजिकल प्रभाव होता है वह भी महत्वपूर्ण है । मैं यह चाहता हूं कि इस बात का विचारपूर्वक अंतिम फैसला किया जाय कि आखिर सरकारी कर्मचारियों के वेतन का स्तर क्या होना चाहिये । जो कोई सरकारी कर्मचारी छोटे या बड़े पदों पर हैं वह सब एक राष्ट्र की सेवा करते हैं । हमें उनके लिये एक न्यायपूर्ण स्तर निश्चित करना है । कोई भी आदमी जो हमारे राष्ट्र की सेवा करता है वह ५० रुपये से कम तनख्वाह न पाये । और वह कम से कम १०० रुपया तक जाय, दूसरा वर्ग ऐसा हो जो १०० रुपये से शुरू करे और ३०० रुपया तक जाय, यह हाई स्कूल तक पढ़ा हो । तीसरा वर्ग ३०० रु० से शुरू करके ५०० रुपया तक जाय । उससे ऊपर अधिकतर लोगों की तनख्वाह नहीं होनी चाहिये । लेकिन ऐसे लोग जिनके पास कोई टेक्नीकल क्वालीफिकेशन हो उनके बारे में सरकार अलग विचार करे । एक न्यायपूर्ण स्तर निश्चित करने के लिये सरकार को शीघ्र ही कदम उठाना चाहिये । मेरी समझ में तब तक असमानता खत्म नहीं होती जब तक कि सरकार तनख्वाहों को बढ़ाने और घटाने दोनों प्रकार के तरीकों को नहीं अपनायेगी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को फिर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इन सुझावों को वे स्वीकार करेंगे ।

*श्री पद्म नाथ सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट के संबंध में विरोधी पक्ष की ओर से जो भाषण हुआ है, उसमें विरोधीदल के नेता माननीय राजनारायण सिंह जी ने तीन बातों को बराबर दुहराया । एक तो उन्होंने कुछ आंकड़े देकर हर एक चीज में यानी ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इंडस्ट्री प्रोड्यूस तथा काटेज इंडस्ट्री आदि में यह साबित करने की कोशिश की कि कहीं किसी तरीके से भी तरक्की नहीं हुई है । न जमीन तोड़ी गयी है, न उत्पादन बढ़ा है, हर जगह कमी हुई है । दूसरी बात जो हर प्वाइन्ट पर कही गई है वह यह कि किसी रूप से भी सोशलिज्म को रूप नहीं दिया गया । तीसरी बात उन्होंने बहुत सी शिकायतों की कही यानी हास्पिटल्स नहीं बने, स्कूल नहीं खोले गये आदि । इन्हीं तीन बातों का उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया ।

इस संबंध में मैं यह कह देना चाहता हूं कि इसमें तो संदेह नहीं कि हमारे देश और प्रदेश में चीजों की इतनी कमी है कि कोई भी सरकार या मंत्री यह नहीं कह सकता, कहने का साहस नहीं कर सकता कि हमने प्रत्येक क्षेत्र की कमी को पूरा कर लिया है । अरिथमेटीकल आंकड़ों की बुनियाद पर कभी भी यह साबित नहीं किया जा सका कि जनता के स्तर को बढ़ाया है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता कि जो विरोधी तत्व थे, जो हमारे समाज को वेस्ट कर रहे थे उनको दूर कर दिया गया है और हम अब उन्नति की ओर चल पड़े हैं ।

अब रहा यह सवाल कि जमीन तोड़ी गयी या नहीं तोड़ी गयी, उत्पादन बढ़ा या नहीं बढ़ा । अगर हम सरकारी आंकड़ों को पढ़ने के बाद, जैसा कि राज नारायण जी ने कहा, हम बाहर घूम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

करके देखें तो मैं समझता हूं कि हमारे और उनके अन्दर कोई भेद नहीं होना चाहिये। यह सत्य है कि जमीन तोड़ी गयी और उत्पादन बढ़ा है। सरकारी आंकड़ों को पढ़ने के बाद और बाहर घूमने के बाद इस संबंध में हम किसी दुविधा में नहीं रह सकते। यदि सरकारी आंकड़ों को देखा जाय तो उनमें साफ तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि वह यह नहीं कहती कि प्रदेश भर में इतने सिंचाई के साधन हो गये हैं जितने साधनों की इस प्रदेश को आवश्यकता है। इन आंकड़ों से जो बात साफ तौर से दीख पड़ती है वह यह है कि प्रदेश भर में एक शांति है और विश्वास की बात है, इत्मीनान की जिन्दगी दिखाई पड़ती है, हममें उत्साह है कि हम आगे बढ़ें, उन्नति करें।

दूसरी बात यह कही गयी कि समाजवाद किसी प्रकार से भी आया नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में जमींदारी अबालीशन के द्वारा, इस फ्यूडल सिस्टम को खत्म करने के द्वारा क्या यह साबित नहीं कर दिया गया है कि समाजवाद के अतिरिक्त ऐसी बात और कोई दूसरा वाद नहीं कर सकता ? केवल सोशलिज्म की विचारधारा से ही ऐसी बात हो सकती है कि हमारे यहां जमींदारी का अबालीशन हुआ। लैंड की सीलिंग फिक्स करने के बारे में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने निश्चय कर लिया और अब उसका इम्प्लीमेंटेशन ही बाकी है। जमींदारी एबालिश करना, फियूडलिज्म एबालिश करना, लैंड सीलिंग फिक्स करना, यह सोशलिज्म की रूपरेखा नहीं है तो क्या है ? यह कोई दूसरा इज्म नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री हो और स्टेट कंट्रोल के अन्दर हो यह सोशलिज्म की रूपरेखा नहीं है तो दूसरी क्या रूपरेखा है ? मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि जो उनके देखने का ढंग है वह निहायत ही संदिग्ध ढंग है और विरोधी ढंग है। उनको किसी चीज को केवल विरोधी दृष्टिकोण से देखने के बजाय एप्रीसिएशन के दृष्टिकोण से देखना चाहिये। जयप्रकाश नारायण जी ने सन् १९३४ में एक पुस्तिका लिखी थी जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी के अहिंसा, महात्मा जी के चर्खा को क्रिटिसाइज किया था और महात्मा जी इनडेफिनिट हैं, वेग हैं और न जाने क्या क्या कहा था। उन्होंने रिडिकुलस तरीके से कहा था कि कहीं इस तरीके से स्वराज्य मिल सकता है और उससे जनता का हित हो सकता है ? वह तरीका तो सोशलिज्म का ही है और दरिद्रनारायण का तरीका है, हिन्दुस्तान की जनता का तरीका है और उस तरीके को गांधी जी समझते थे और उसको व्यवहार में लाकर उन्होंने दिखला भी दिया। इसी तरह से हिन्दुस्तान की फारेन पालिसी के बारे में पहले बहुत से लोगों ने कहा कि हिन्दुस्तान की फारेन पालिसी गलत है मगर आज संसार ने देख लिया कि वह हिन्दुस्तान की पालिसी एक इंटरनेशनलपालिसी है एशिया की पालिसी है और इस पर एशिया और हिन्दुस्तान को गर्व है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण से हमको विचार करना है कि जब इस बजट को देखें तो उस पर विचार करते समय उसे संदिग्ध दृष्टिकोण से देखने के बजाय उसे क्रियात्मक रूप दें, एक कांसट्रेक्टिव रूप दें। हर एक पहलू पर क्रिटिसिज्म की भावना से देखना और उसकी मुखालिफत करना तथा झूठमूठ क्रिटिसिज्म करना ऐसा है कि विरोधी पक्ष के कंस्ट्रक्टिव सजेशंस से सरकार कोई लाभ नहीं उठा सकेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय पैरिटी पर क्रिटिसिज्म करने के यदि हम उत्पादन और खर्च का समन्वय करें तो इस विशाल देश में बढ़ी हुई जनसंख्या को भी देखना होगा और उस अनुपात से उस पर विचार करना होगा कि पर कैपिटा आमदनी कितनी है। पहले जो सरकार के आंकड़े होते थे वे गलत होते थे और उसी पर पर कैपिटा आमदनी दिखला दी जाती थी। मगर यह सरकार अपनी सरकार है और यह प्रति वर्ष आंकड़े इकट्ठा करती है। और आज जो इतनी जन संख्या बढ़ गयी है, गांवों के भी सही आंकड़े इकट्ठा करती है; जिनके पास आमदनी के कोई साधन नहीं हैं और उन सब को मिला कर पर कैपिटा आमदनी दिखलायी जाती है। तो इस तरह से आमदनी तो कम होगी ही। मगर ख्वामख्वाह के लिये गलत आंकड़े दिखला कर गलत दृष्टिकोण सामने रखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि जो आंकड़े आज हैं, वे सब ठीक ही हैं लेकिन यह दावा करता हूं कि हमारे देश में पहले के

मुकाबिले में पर कैपिटा धन बढ़ा है। और दूसरी चीजों में अपनी ताकत वेस्ट करने के बजाय हम प्रगति की ओर बढ़े हैं। जैसा कि ठाकुर राधा मोहन सिंह ने कहा कि तनख्वाह में पैरिटी कम हुई है और हम भी कहते हैं कि एक कदम हम आगे ही बढ़े हैं और उसका एक सूत्रपात हुआ है। तो जब एक चीज का सूत्रपात हुआ है तो यह चीज तो गैरमुमकिन है कि इसी समय डिसपैरिटी को खत्म कर दिया जाय फिर भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर सोशलिज्म का बोलबाला है वहाँ भी ३०, ४० वर्ष के अन्दर जहाँ तक उत्पादन और नियोजन का सम्बन्ध है बढ़ा अवश्य है, लेकिन वहां भी विचार करके देखा जाय तो अभी डिस्पैरिटी खतम नहीं हुई है। यह ऐसी चीज नहीं है कि इससे एक दिन या एक महीने में ही लाभ उठा लिया जाय

इस सिलसिले में मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बजट का खंडन-मंडन हो, लेकिन बजट का खंडन-मंडन करते हुये श्री राजनारायण जी ने यह कहा कि बनारस में हास्पिटल नहीं बना, फलां जगह स्कूल नहीं बना या फलां जगह यह चीज नहीं बनी, यदि आप देहातों की जन-संख्या को भी देखना चाहते हैं कि देहातों में रहने वाली जनता को भी मेडिकल एड और एजुकेशनल एडवांटेज मिले तो फिर आपको एक ही सांस में शहरों में होने वाली उन्नति भी हो और देहातों में भी सब चीजें पहुंच जायं, इस बात को भूलना पड़ेगा। देहातों में चीजें पहुंचाने के लिये उनको उन्नत करने के लिये हमें बनारस और रामनगर के अस्पतालों को भूलना पड़ेगा। हमें अपने ध्यान को एक स्थान से शिफ्ट करना पड़ेगा और अगर इस शिफ्टिंग को ठीक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे तो इस वर्तमान युग में होने वाले, इस समानता के युग में होने वाले कार्यों को हम ऐप्रिशियेट नहीं कर सकेंगे। फिर इसके साथ ही एक कंट्रेडिक्शन की स्पिरिट भी इसमें है। देहातों को यदि हम बिल्ड करना शुरू कर दें तो शहरों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा और यदि शहरों को उन्नत करने में लगेंगे तो देहातों को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। एक ही सांस में हर तरह के उद्गार प्रकट कर देना और ढूंढ़ ढूंढ़ कर एक जगह ऐसी बातों को कह देना इससे न तो हम किसी लाइन को व्यक्त कर पाते हैं और न हम समझ पाते हैं और न सरकार समझ पाती है कि आप क्या चाहते हैं और सब बातें व्यर्थ सी हो जाती हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि इस बजट को समझने में दो बातों को देखना होगा। एक तो जो सब से बड़ी बात है वह यह है कि हमारे विरोधी भाई जब विरोध भी करते हैं तो विरोध में ऐसा साइकोलोजिकल ऐटमास्फियर क्रिएट कर देते हैं कि इस सरकार को उस साइकालोजिकल ऐटम सफियर को फाइट करने में बहुत सी शक्ति लगानी पड़ती है। जैसे इर्रीगेशन टैक्सेज की ही बात को ले लीजिये। यह चाहते हैं कि सब जगह सब चीजें पहुंच जायं लेकिन यह असम्भव है कि गांव-गांव में नहरें पहुंच जायं, सिंचाई के हर तरह के साधन हो जायं और टैक्स भी न लगे और पैसा किसी दूसरी तरह से भी न लिया जाय और हर तरह की सुविधा हो जाय यह कैसी कंट्रेडिक्शन है? और मैं नहीं समझ सका कि इस कंट्रेडिक्शन को हमारे विरोधी दल के भाई क्यों नहीं समझते। जब तक इस कंट्रेडिक्शन को नहीं समझेंगे वे सरकार के सिद्धान्तों को ऐप्रिशियेट नहीं करेंगे और न वे टैक्स को कम करा सकेंगे और न नहरें गांवों में खुलवा सकेंगे। अजीब कंट्रेडिक्शन है कि सेल्स टैक्स न लगाये जायं, इन्कम टैक्स न बढ़ाया जाय और सब काम हो जाय। टैक्स के बारे में उन्होंने बताया कि ग्रेडेशन के हिसाब से टैक्स लगाये जाने चाहिये, बिल्कुल बेबुनियादी बात है, बिल्कुल बेमतलब बात है। इससे किसी राज्य की व्यवस्था ठीक हो नहीं सकती। आपका कहना है कि जो आराम से रहता हो और बैंकों में जो रुपया जमा हो उस पर टैक्स लगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यही मर्यादा निर्धारित कर दी जाय तो एक आदमी का खाने पीने, रहने, मोटर रखने, रेडियो रखने, बंगला बनवाने के बाद जो बचे उस पर टैक्स हो जो बैंक में जमा हो। अब इतना स्टैंडर्ड भी ऊंचा हो सकता है कि बैंक में रखने की जरूरत ही न पड़े, बचे ही नहीं। और एक आदमी का स्टैंडर्ड ऊंचा हो सकता है,

[श्री पद्मनाथ सिंह]

काफी ऊंचा हो सकता है, किसी का कुछ कम हो लेकिन अब क्या हो किस पर टैक्स लगे ? लेकिन छप्पर को आबाद करने के लिये, उसको बसाने के लिये और उसको उन्नति पहुंचाने केलिये जब सोशलिस्टिक स्टेट होगा तो कभी-कभी बेमुरोवती के साथ 'ऐट दि कॉस्ट आफ अनयारुलरिटी', लोगों से छीन कर भी लेना पड़ेगा और जब यह होगा तभी यह देश उन्नति कर सकेगा वरना नहीं किया जा सकता लेकिन ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति को न छुआ जाय, उसके सुख को न छीना जाय और किसी से टैक्स न लें और देहातों में उन्नति भी होती रहे यह असम्भव सी बात है।

किसी भी देश में जहां सोशलिज्म की स्थापना हुई है वहां सबसे पहली बात जो की गई है वह नियंत्रण चीजों पर किया गया है और इतनी बेमुरौवती से इतनी सख्ती से किय गया जिससे लोगों को हर तरह से बसा सकें, आबाद कर सकें, उन्नत कर सकें और अगर यह नहीं होता है तो कोई भी देश उन्नति कर सके, अपने लोगों को बसा सके, अपने लोगों को सुख पहुंचा सके, अपने यहां सोशलिज्म की स्थापना कर सके यह सम्भव नहीं है। फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्स का विरोध करने का केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि उन्नति रुक जाय। टैक्स तो हर हालत में लगाना ही पड़ेगा और वह भी लगता उन्हीं पर है जो उसको दे सकते हैं उन्हीं से वसूल होता है और उस पर लग भी नहीं सकता जो दे ही नहीं सके। फिर अगर उनसे भी न लगाया जाय तो कोई भी विकास का कार्य किया नहीं जा सकता। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे देश के निर्माण के लिये पैसे प्राप्त करने के जो साधन हैं वह जनता से ही आयेंगे। चाहे टैक्स हो, चाहे डाइरेक्ट टैक्सेशन हो और चाहे इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन हो और चाहे कर्जे के रूप में हो, लेकिन वह फिर घूमफिर कर जनता पर ही पड़ेगा। वह भार जनता पर पड़ने से रोका जाय उस दल के द्वारा जो सरकार का विरोध करता है तो उससे ऐसी सरगर्मी पैदा होती है, सरकार जो करना चाहती है उसके करने में बाधा पैदा होती है और उसकी आधी शक्ति उस रुकावट को दूर करने में लग जाती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बड़े जोरों से कहा गया कि पंचायतों को अधिकार दिया जाता, गांव की पंचायतों को अधिकार बांटे जाते। डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता। डिसेंट्रलाइजेशन की थ्योरी ठीक है। कुछ दिन पहले सोशलिस्ट पार्टी ने मेरा ख्याल है ४४ के पहले सेंट्रलाइजेशन पर बड़ा जोर दिया था और जब गांधी जी डिसेंटमइजेशन की बात किया करते थे तो वे उसका मजाक उड़ाया करते थे। मार्क्स की थ्योरी में डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं आती थी लेकिन ४४–४५ में अशोक मेहता ने एक पेम्फलेट निकाला, उस समय हम लोग जेल में थे, उन्होंने उसमें डिसेंट्रलाइजेशन को एडवोकेट किया, तब से सोशलिस्ट पार्टी बड़े जोरों से डिसेंट्रलाइजेशन की बात गाया करती है। किस हद तक हो इस वक्त मैं उसमें नहीं जाना चाहता लेकिन बार-बार वे डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया करते हैं। सोशलिज्म की चर्चा करते हुए, विकास के दृष्टिकोण से इस बजट को देखना है और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हुए हमें विवेक अथवा बुद्धिमानी से यह सोचना होगा कि जो हमारी गांव की रहने वाली जनता है, जिसको अधिकार दिया जाता है उस अधिकार को वह हमारे कंट्रोल में ही बरत सकेगी। हमारी गाइडेंस और रेगूलेशंस में ही कर सकेगी और अगर एक दम से उसको छोड़ दिया जाय, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाय तो भी जो अधिकार अब तक दिये गये हैं वे अब तक किसी देश में सुलभ नहीं हैं, न रूस और न चीन में और न पश्चिमी योरप में, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका या इंगलैण्ड में जो अधिकार कि हमने गांव वालों को दिये हैं। यदि प्रजा समाजवादी दल के लोग इस तरह के अधिकारों को इम्पलीमेंट कर सकते और उनको इम्लीमेंट करा सकने में सफल हो सकते तो मेरा विश्वास है कि उनको इस बात की शिकायत न होती कि इस सरकार ने कम अधिकार दिये हैं या जो अधिकार दिये जाते हैं वे नाकाफी हैं। जब कोई

सरकार देश म कोई भी व्यवस्था स्थापित करना चाहती है तो उस व्यवस्था का केन्द्रीयकरण भी बहुत आवश्यक है। यहां से रेगुलेशन न मिल सके, यहां से गायडेंस न हो सके और कंट्रोल न हो सके तो वह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं हो सकेगी, सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। यहां जो आंकड़े लोकेट किये गये हैं उनको मैं फिर दोहराना नहीं चाहता। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में उन सबको स्वयं बताया है और बजट स्पीच में वे सब छपे हैं कि कितना रुपया किन-किन बातों पर खर्च किया गया है। खास तौर से होमलेस को आबाद कराने की कोशिश की है। उन बातों की मैं चर्चा करना नहीं चाहता। केवल दो-तीन बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बजट में अगर वे बातें विशेष रूप से कही जातीं तो ज्यादा अच्छा होता और मैं विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि सरकार उनको करना चाहती है। मैं पहली बात यह बतलाना हूं कि सीलिंग आफ लैंड फिक्स करना बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में बजट में एक इंडीकेशन होना बहुत आवश्यक है। लैंड एक्वीजीशन का कार्य उसके बगैर अधूरा रह जाता है और कंसोलिडेशन ऐक्ट जिसको हमने पास कर दिया है और जो इम्पलीमेंट होने जा रहा है वह भी अधूरा रह जाता है। अगर बाद में सीलिंग करेंगे तो कंसोलिडेशन में डिस्टरबेंस होगा। देहात में जमींदारी खत्म कर दी गई और जो छोटे-छोटे खेतिहर हैं उनके पास पैसा नहीं है कि वे खेती कर सकें और बड़े-बड़े जमींदार अब इस हालत में नहीं हैं कि वे खेती अच्छी तरह से कर सकें, इसलिये सीलिंग फिक्स करना बहुत आवश्यक था और गांव के खेतिहरों को काफी सहायता की गुंजायश होनी चाहिये थी। इधर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिये था।

दूसरी बात की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि प्लानिंग के सिलसिले में फैमली प्लानिंग की बड़ी आवश्यकता थी। पूर्वी जिलों में जहां एक वर्गमील में १,१०० आदमी बसते हैं अगर इंटेंट सिवली फेमली प्लानिंग वहां कार्यान्वित नहीं की गई तो सरकार चाहे जितना खर्चा विकास कार्यों पर करे, गरीबी दूर नहीं की जा सकती। सरकार का ध्यान उधर है लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चीज अधिक तीव्रता से, ज्यादा साइंटिफिकली प्लान्ड तरीके से कार्यान्वित की जानी चाहिये। अगर फैमली प्लानिंग उस हिस्से में जो बैकवर्ड हैं, ओवर पापूलेटेड हैं वहां कार्यान्वित नहीं की गई तो मसला जटिल हो सकता है और वह मसला हम सबको बरबाद कर देगा। एक तीसरी बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि यदि हम सोशलिस्ट सरकार बनाना चाहते हैं तो इसके लिये हमें बेगारी को एबालिश करना चाहिये। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और यह जरूर खत्म होना चाहिये। इसका खात्मा एक ऐक्ट के द्वारा हो सकता है और इससे देश का बड़ा कल्याण हो सकता है। इसके कारण एक बहुत बड़ी दुर्दशा इस देश में दिखलाई पड़ती है, देश की गरीबी और एक नंगा चित्र, जितना है नहीं उससे कहीं ज्यादा वीभत्स उसको ऐसा करके दूर किया जा सकता है और इसके लिये एक अच्छे कानून के द्वारा, एक प्लैन्ड स्कीम के द्वारा इसका होना आवश्यक है और होना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सीधा सा बजट हमारे सामने पेश किया जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के निर्माण कार्य में लगाया गया है।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को पेश करने के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं और इसके साथ ही साथ जो मैंने नेता विरोधी दल का भाषण सुना उससे मुझे कुछ थोड़ा सा गुस्सा पैदा हो गया। उन्होंने इस बजट पर हमला करते हुये यह कहा कि कदम सरकार का जो उठ रहा है वह कभी भी सोशलिस्टिक कदम नहीं हो सकता, समाजवादी कदम नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्रगति बहुत ही धीमी है। मेरा ख्याल यह है कि मंत्री जी ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि वह जो बजट पेश कर रहे हैं वह बिल्कुल एक क्रान्तिकारी बजट है और इसके आगे कोई कदम उठाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने तो केवल जिस वक्त बजट

[श्री नौरंगलाल]

पेश किया यह कहा था कि हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आखीरी कदम उठा रहे हैं और इसके अलावा और कदम हमारा उठ ही नहीं सकता। हमारी प्रजातांत्रिक सरकार है और हमारी जो दिक्कतें हैं उनको हल करने के लिये श्री राजनारायण जी को एक विशेष दृष्टिकोण से देखना चाहिये। सरकारें दो तरह की होती हैं और दो तरह से वह अपनी मुश्किलें सुलझाती हैं। एक सरकार तो होती है जिसे फासिस्टवादी सरकार कहते हैं और दूसरा सरकार जो आज कल है प्रजातांत्रिकवादी सरकार। फासिस्टवादी सरकार जिस वक्त अपने देश में कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है तो उसके लिये एक बड़ा आसान तरीका है और वह है कि बिना इस बात का ख्याल किये हुए कि पब्लिक चाहती है या नहीं और जिनको कि हम गवर्न करते हैं उनकी मरजी है या नहीं वह अपना काम कर डालती है और इसका नतीजा यह होता है कि वह बहुत जल्दी ही ऐसे काम खत्म करके दिखा देती है जो कि और सरकारें नहीं कर पातीं।

लेकिन प्रजातांत्रिक सरकार के सामने एक बड़ी मुश्किल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सामने एक बड़ी मुश्किल पड़ती है और वह यह है कि ऐसी गवर्नमेंट को हर समय यह सोचना पड़ता है कि जो कदम यह गवर्नमेंट उठा रही है उसमें पब्लिक की, रिआया की स्वकृति शामिल है या नहीं। अगर उस एडवांसमेंट में, उस उन्नति में उसकी रिआया की स्वीकृति शामिल नहीं है तो वह कदम भी वह सरकार नहीं उठा सकती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कदम प्रजातन्त्रवादी सरकार में उठेगा वह कांशस होगा, अनकांशस नहीं होगा। यही अन्तर है फासिस्ट और प्रजातन्त्रवादी सरकारों में और इसी कारण हमें इन दोनों सरकारों के कामों में बहुत बड़ा अन्तर दिखलाई पड़ता है। प्रजातन्त्रवादी सरकार की गति बहुत धीमी और फासिस्टवादी सरकार की गति बहुत तेज दिखलाई पड़ती है। लेकिन इस के साथ ही साथ एक और भेद है कि जो फासिस्टवादी सरकार है वह यद्यपि बड़ी तेजी के साथ अपने प्रोग्राम को पूरा करने में कामयाब हो सकती है लेकिन वह दो तरह की पब्लिक पैदा करती है। एक बरबेरियन्स और दूसरे रोमन्स। एक तो वह जो कांशस नहीं होते और कुछ नहीं जानते और दूसरे वह जो कांशस होते हैं। नतीजा यह होता है कि दो वर्गों में सारा समाज बंट जाता है एक वह जो रूल्ड होते हैं और दूसरे वह जो रूल करते हैं। जो रूल्ड होते हैं उनकी कंसेन्ट का कहीं सवाल नहीं उठता और फिर फोर्स्ड लेबर के जरिये से, जिस तरीके से कि उनका नारा होता है कि पब्लिक के गुड के लिये कर रहे हैं, जो हमारे साधन हैं, वह चाहे गलत हों या सही हों, सब जायज हैं, बस हमारा लक्ष्य सच्चा है और उसकी पूर्ति के लिये चाहे कुछ भी करना हो, चाहे फोर्स्ड लेबर लेना पड़े लेकिन अगर हमारा लक्ष्य सच्चा है तो हम अपने साधन से अच्छा बना लेंगे। तो इसलिये वहां पर एक तरह की मेन्टल स्लेवरी पैदा हो जाती है। प्रजातन्त्रवादी सरकार इसको नहीं मान सकती और यही कारण है कि हम भारत में उसको नहीं अपना सकते हैं जो फासिस्टवादी सरकारें अपनाती हैं और इसी वजह से हमारा कदम तेज नहीं होगा, हमारा जो कदम होगा वह कांशस होगा। इसलिये हम धन्यवाद देते हैं अपने वित्त मंत्री को कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाया है और हम समझते हैं कि वह दिन भी बहुत जल्द आने वाला है कि जिस चीज को हम चाहते थे वह चीज भी पूरी हो जाय।

एक दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वह यह है कि हमने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि हमारा बजट जो है वह समाजवादी है हमने सिर्फ इतना कहा है कि समाजवादी प्रकार का है। इसमें फर्क है जिस वक्त सोसायटी का ढांचा इस तरह का स्थापित हो कि वहां पर जो मीन्स आफ प्रोडक्शन हैं वह सोसाइटी के कब्जे में हों और इसके बाद उसका वितरण भी जब कि व्यक्तिगत आधार पर न हो बल्कि सामाजिक नियंत्रण से हो और जब यह ढांचा

बनेगा वह समाजवादी कहलायेगा। लेकिन अगर किसी वजह से उत्पादन के साधन हमारे कब्जे में हैं तब तो जो कोई भी बजट बनेगा वह समाजवादी बजट नहीं कहलायेगा, बल्कि समाजवादी प्रकार का बजट कहेंगे और इसमें केवल एक क्वालिटी होती है और वह यही होती है कि जितना रुपया खर्च किया जाय वह वेलफेयर आफ दि पीपुल के लिये, वह ग्रेटेस्ट गुड आफ दि ग्रेटेस्ट नम्बर के लिये किया जाय जिससे गरीब उठ सकें, इस तरह का बजट हो तब समाजवादी बजट कह सकते हैं। मेरे ख्याल में जो बजट आज पेश हुआ है उसमें कम से कम यह धारा अवश्य मौजूद है और मुझे इस बात का दावा है कि जितना रुपया आज इस सरकार ने डेवलपमेंट वर्क पर खर्च किया है उतना किसी सरकार ने अब तक यू० पी० में नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं और मेरा यह दावा है कि जितना रुपया इस यू० पी० की सरकार ने इस डेवलपमेंट वर्क पर खर्च किया है शायद हिन्दुस्तान की किसी सरकार ने अब तक नहीं किया। इन दोनों बातों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि जो बजट पेश हुआ है उसमें कम से कम यह भावना मौजूद है। यह जो बजट है यह समाजवादी प्रकार का है इसलिये जो बात राजनारायण जी कहते हैं, वह ठीक नहीं जंची। उन्होंने तेजी में तो कह दिया कि यह समाजवादी नहीं और प्रगति बड़ी धीमी है। जब कोई भी गवर्नमेंट यहां पर आयेगी उसको धीरे कदम उठाना चाहिये। इसका कारण यह है कि अगर फासिस्टवादी सरकार हो तब तो चाहे कर सकती है और उसका कदम भी तेज माना जायगा लेकिन हमारे लिये कदम-कदम पर उलझन है और उसको आपको ऐप्रीशियेट करना चाहिये।

दूसरी बात बालेन्दुशाह जी ने कही और मुझे ताज्जुब हुआ सुनकर जब उन्होंने कहा कि यू० पी० सरकार ऋण ले रही है। यह बात बड़ा गलत है और यह कर्जा देश को तबाह नहीं कर सकता है। उन्होंने उस सुप्रसिद्ध राइटर का नाम नहीं बताया जिसका कोटेशन उन्होंने दिया था लोन के बारे में। लेकिन कोई भी हो जो टेक्सेशन की थ्योरी है उसमें तो यह साफ है कि और अगर माननीय सदस्य उस किताब को पढ़ते तो आखिरी पेज में मिल जाता। और यहां यह कहने की आवश्यकता न पड़ती कि डेवलपमेंट वर्क के ऊपर जो सरकार मौजूदा बजट से कर्जा लेती है वह अगली जनरेशनस का गला काटती है। डेवलपमेंट का काम तो सदैव कर्जे से होता है। इसके दो कारण इकोनोमिस्ट्स ने दिये हैं। पहला तो यह कि डेवलपमेंट वर्क सीरीज आफ ईयर के लिये रहता है और उसका परिणाम प्रेजेंट जेनरेशन को नहीं मिलता। उसका फल फ्यूचर जेनरेशन को मिला करता है। हमने डैम बनाये, उसमें पांच छः साल लग सकते हैं, तो हम तो गये, जिन्दा रहे या मरे, मगर हमारे बच्चे उसका फल भोगेंगे। इसलिये पहली लाजिक यह है कि चूंकि डेवलपमेंट वर्क का परिणाम फ्यूचर जेनरेशन को मिलता है, इसलिये फ्यूचर जेनरेशन को उसका पेमेंट भी करना चाहिये। इसलिये वह लोग कहते हैं कि जहां तक कि इन डेवलपमेंट वर्क्स का सम्बन्ध है, इन पर जितना भी ज्यादा खर्च हो वह कर्जे से होना चाहिये, ऋण से होना चाहिए। इसके बाद एक बात उन्होंने यह भी कही और वह बात यह कही कि ये तो कर्जा लेकर चले जायंगे, दूसरी सरकार आयेगी वह परेशान होगी, इस कर्जे का भुगतान करेगी। दूसरों के लिये मुश्किल पैदा किये जा रहे हो, खाई खोदे जा रहे हो, इसमें दूसरे गिरेंगे। मैं कहता हूं कि उन्होंने जरा इसको सोचा नहीं कि कितना गलत आर्ग्यूमेंट है यह। सरकार डेवलपमेंट के लिये इतना सारा रुपया खर्च कर रही है। लाखों करोड़ों रुपया जो हम लगा रहे हैं, इसका फायदा हमें तो मिलेगा नहीं, चार पांच या छः वर्ष के बाद जब वृक्ष में फल लगेंगे और जब खाने का मौका आयेगा तो जो उस वक्त की सरकार होगी वह उसका फायदा उठायेगी और फिर जब स्टेट्स आदमी का बढ़ेगा तो वह टेक्सेशन लगायेगी। तो खाई हमने खोदी और दूसरे उसमें गिरेंगे या यों कहना चाहिए कि वृक्ष हमने लगाये और फल दूसरों को मिलेगा।

[श्री नीरंगलाल]

तो इस लाजिक को यों क्यों न रखा जाय? लेकिन उनको चूंकि मंत्री जी के बजट की आलोचना करनी थी, उसे खराब बताना था, इसलिये उन्होंने उसे उलटे रूप में रखा। उनको उसका वही रूप दिखाई दिया और मुझे इसका यह रूप दिखाई दिया। जैसा कि कहा है कि "प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी'। उन्होंने इसको वैसा ही पाया और मैंने इसे इस रूप में समझा। इसलिए मैं मंत्री जी! को धन्यवाद देता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि इतना रुपया जो डेवलपमेंट वर्क पर खर्चा हो रहा है उसके लिए हमारी अगली जेनरेशन हमको धन्यवाद देगी और कहेगी कि यह डैम बने हैं, ये तमाम पावर हाउसेज बने हैं, यह वह गवर्नमेंट थी, कांग्रेसी गवर्नमेंट थी जो कि पहले दफे आयी थी, उसने यह क्या बढ़िया बढ़िया चीजें पैदा कर दीं? तो उस वक्त वह हमको दुवायें देगी। हम हों या न हों, इसकी हमें चिन्ता नहीं है। हमारे बच्चे होंगे, वह हमको दुवायें देंगे। अध्यक्ष महोदय, यह मैंने दो क्रिटिसिज्म के सम्बन्ध में अब तक कहा जो कि सदन के सामने प्रस्तुत किये गये थे। मैं फिर कहता हूं कि माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ में एक मौका मिलता है हर एक मेम्बर के लिए कि वह मन्त्री जी के सामने जो सजेशन चाहता है, वह पेश कर दे गवर्नमेंट की भलाई के लिए। निहायत अदब के साथ मैं मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि दो तीन सजेशन मैं उनके सामने पेश करना चाहता हूं। ये सजेशन बजट से संबंधित नहीं हैं इस सिलसिले में कि टेक्निकल हों, लेकिन साथ ही साथ में जो बजट का खर्चा होता है, जो उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसके सिलसिले में हैं। और वह यह है कि बजट का एग्जीक्यूशन सदैव ही आफिसर्स किया करते हैं। जब तक उन आफिसर्स की सर्विस नेशनलिस्टिक नहीं होगी तब तक ये सब डेवलपमेंट बेकार हैं।

इसके साथ परमानेंट पब्लिक सर्विस में भी दो एक चीजें होनी चाहिये। इनमें भी कुछ शिकायतें पैदा हो गई हैं। एक मामूली सी शिकायत यह पैदा हो गई है कि गवर्नमेंट ने सीनियारिटी को बदल दिया और उसके स्थान पर मेरिट रख दिया कि अब मेरिट के आधार पर प्रोमोशन होंगे, इसमें गड़बड़ पैदा हो गई। आमतौर पर इसमें शिकायत आती है। होता यह है कि जो कि हेडक्वार्टर का या डिपार्टमेंट का हेड होता है, वह उसका बिलकुल मास्टर हो गया। इसका नतीजा यह है कि जो ईमानदार आफिसर है, जो मेहनत से अपना काम करता है, उसका प्रोमोशन नहीं होता और जो खुशामदी आदमी हैं जो जाकर बास की सिफारिश कर लेते हैं, उनका प्रोमोशन हो जाता है। इसलिये अगर मेरिट पर हम रखते हैं तो जरा सी मुश्किल पड़ती है। मेरा सजेशन यह है कि जैसा पहले होता था सीनियारिटी का पहले कंसिडरेशन होना चाहिये और जिस वक्त कि सीनियारिटी का कंसिडरेशन करके प्रोमोशन हो रहा हो, और अगर किसी अफसर के खिलाफ कोई शिकायत है तब तो प्रोमोशन नहीं होना चाहिये, नहीं तो प्रोमोशन उसी को होना चाहिए जो कि सीनियर है। उससे यह बासिज्म और करेप्शन दूर होगा और एक डिसहार्टडनेस जोकि आफिसर्स के दिमाग में पैदा हो रही है कि हम को प्रोमोशन नहीं मिलेगा, अब काम न करो, खुशामद ही करो, तो यह जो नुकसान हो रहा है वह दूर हो जायगा और विलिंगनेस टु वर्क पैदा होगी। इसी के साथ-साथ काम करने के लिये उत्साह पैदा हो, जोश पैदा हो और वह दिलजोई के साथ काम कर सकें इस स्पिरिट को भी पैदा करने की सख्त जरूरत है। इसके दो ही तरीके हैं एक तो छोटे आदमियों की तनख्वाहों को बढ़ाना, उसके लिये एक कदम बढ़ा है। उसके लिये धन्यवाद है लेकिन वह सफीशियेंट नहीं है और मेरे ख्याल से हम और बढ़ा सकते थे उस कदम को, और हम उसको एक्सपेंड कर सकते थे, लेकिन आशा है कि अगले सालों में हम जरा तेजी से बढ़ेंगे। क्योंकि छोटे छोटे आफिसर्स पर ही सारे काम का भार आकर के पड़ता है। पटवारी पर है, चौकीदार पर है, पुलिस के कांस्टेबिल पर हैं जो कि अपनी जान लड़ाकर अपना काम करते हैं। उनका जरा ख्याल करना है। बड़े बड़े आफिसर्स की तनख्वाह अगर कम नहीं कर रहे हैं तो तो उसकी हमें कोई शिकायत नहीं है

बल्कि मेरा सजेस्शन यह है कि कि विलिगनेस टु वर्क और पावर टु वर्क के लिए उत्साह बढ़ाने के लिए हमें कोई न कोई कदम अवश्य उठाना चाहिये ।

पब्लिक सर्विस में जो डिपार्टमेंटल हैंड्स हैं उनके कामों का चेक हमारे पास कोई नहीं है । उनकी ओर से जो कार्यवाही होती है, जो सजेशन आते हैं हमारे मिनिस्टर अच्छे तरीके से उसको समझ नहीं पाते हैं । इनको तो पोलिटिकल वर्क इतना लगा हुआ है कि उनको पता नहीं लगता कि सिविल सर्विस के हैड्स अपने डिपार्टमेंटस् क सम्बन्ध में जो कुछ कर रहे हैं वह कहां तक ठीक है या गलत है । तो उसके लिए कोई न कोई तरीका पापुलर कंट्रोल का उन डिपार्टमेंट्स के लिये अवश्य निकलना चाहिये । वह बिना कंट्रोल के मनमानी करते हो और मिनिस्टर मजबूर हो जाते हैं उसको डिटो करने के लिये । अमरीका में यह नहीं है, वहां तो पोलिटिकल सर्विस आ जाती है, फ्रांस और इंगलैन्ड ने अपने तरीके पर इस प्राब्लम का साल्व किया । इसलिये हमें कोई न कोई तरीका अवश्य ऐसा निकालना चाहिये जिससे हमारी परमानेंट सर्विस हमारे कंट्रोल से बाहर न रहें और उनमें ब्यूरोक्रैसी न आने पाये । क्योंकि इस प्रकार मनमानी करने देने से वह ब्यूरोक्रैटिक हो जाती है, यह बड़ी खराब आदत है । हमारी नेशन तो डेमाक्रैसी में है इसलिये हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि हम उनको ब्यूरोक्रैटिक न होने दें । इसके लिये मेरा सजेशन यह है कि जितने मिनिस्टर हैं उनके साथ एक स्टैंडिंग कमेटी हो और हर एक के कमेटी के नीचे हम एक-एक डिपार्टमेंट का कंट्रोल दे दें । वह कमेटियां उनके टच में रहें और कंट्रोल करें, तो शायद हम अफसर का हाथ बटा सकें । हमारा विश्वास कीजिये तो हम एक नया तरीका निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हम इन डिपार्टमेंट्स पर अपना कंट्रोल रखें । हम में से जो टेक्नीकल आदमी हैं, जो किसी खास सब्जेक्ट से वाकफियत रखते हैं, जैसे कोआपरेटिव है, ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री को उस स्टैंडिंग कमेटी में रख देना चाहिये जो कि उसके प्राब्लम्स को हल करेगी । तभी हम सोशल कंट्रोल, पोलिटिकल कंट्रोल ब्यूरोक्रैसी में लगा सकते हैं । यह सब होते हुये भी हम देश का उद्धार नहीं कर सकते । उसमें शक यह है कि अभी एक जनरल कंट्रोल एजूकेशन पर भी होने की कमी है । हमें जल्दी से जल्दी शिक्षा में भी परिवर्तन करना है । हमें एजूकेशन के सुधार के लिये भी आगे कदम बढ़ाना है, उसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है तभी देश का सुधार हो सकता है । उसके लिये सब से बड़ा प्रयत्न हमारा यह होना चाहिये कि शिक्षा में कम से कम मारेल करेक्टर पर ज्यादा जोर दिया जा सके और मेरा तो सजेशन यह है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कि जिस प्रकार से हमारा इंटलेक्चुअल इम्तहान होता है, उसी प्रकार से जब तक करैक्टर का इम्तहान न हो तब तक किसी को सर्टीफिकेट नहीं मिलनी चाहिये । हमें एजुकेशन के कानून को जल्दी बनाना चाहिये। जितनी देर हो रही है उतना ही हमारा नुकसान हो रहा है ।

ऐंटी करप्शन कमेटियों के लिये वादा किया गया था कि हम उनका कार्य तेज कर देंगे, लेकिन एक कदम भी उस संबंध में नहीं बढ़ा । कम से कम मेरा एक सजेशन था कि जितनी ऐसी ऐंटी करप्शन कमेटीज हैं और अगर वह किसी आफिसर के खिलाफ शिकायत कर दें तो उसको मुअत्तिल कर दिया जाय जिससे इनका भी कुछ प्रभाव पड़े और लोग इनसे डरें । जब तक ऐंटी करप्शन कमेटीज इतनी ताकत नहीं रखें, इतनी शक्ति न रखें तब तक यह कुछ काम नहीं कर सकती हैं । वह तो आजकल कागज की खिलौना बनी हुई हैं । इससे तो यही अच्छा होगा कि इन्हें तोड़ ही दिया जाय । अगर उनको बनाना है तो इनको शक्ति दें नहीं तो इनको बनाना बेकार है । यह मैंने सजेशन दिया है । अन्त में माननीय मंत्री महोदय को फिर धन्यवाद देता हूं ।

(इसके बाद सदैन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

मिट्ठनलाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
२३ फरवरी, १९५५

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ.. १५७ पर)

सूची (अ)

सैनीटोरियम

१—राजकीय क्षय आरोग्याश्रम, भुवाली नैनीताल।
२— ,, ,, गेठिया, नैनीताल।
३— ,, ,, डाकपाथर, देहरादून।
४—सरोजनी नायडू मेमोरियल अस्पताल तथा सैनीटोरियम फिरोजाबाद, आगरा।

क्लिनिक

१—टी० बी० क्लिनिक, बरेली।
२— ,, ,, बनारस।
३— ,, ,, इलाहाबाद।
४— ,, ,, झांसी।
५— ,, ,, देहरादून।

वार्ड्स

१—जिला अस्पताल, मैनपुरी।
२— ,, ,, सीतापुर।
३— ,, ,, झांसी।
४— ,, ,, मुजफ्फरनगर।
५— ,, ,, बस्ती।
६— ,, ,, बदायूं।
७— ,, ,, अलीगढ़।
८— ,, ,, बरेली।
९—लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर।
१०—मेडिकल कालेज, आगरा।
११—लावेट अस्पताल, रामनगर, बनारस।

सूची (ब)

क्षय चिकित्सालय भुवाली में प्रत्येक श्रेणी में रोगी से निम्नलिखित खर्चा लिया जाता है :—

श्रेणी।	रु०		रु०	
१	३-८-०	किराया	२-०-०	खाना
२	२-८-०	,,	२-०-०	,,
३	१-८-०	,,	२-०-०	,,
४	..		२-०-०	,,
५	..		..	

आरोग्याश्रम गेठिया, डाकपाथर और फिरोजाबाद में निम्नलिखित खर्चा होता है :—

श्रेणी	रु०		रु०	
१	२-०-०	किराया	२-०-०	खाना
२	१-८-०	,,	२-०-०	,,
३	१-०-०	,,	२-०-०	,,
४	..		..	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ– १५९ पर)

अनुदान

विवरण	रकम रुपयों में
१––हैन्डलूम कपड़े की बिक्री पर छूट ..	१,७५,०००–०–०
२––मोबायल वान्स द्वारा हैन्डलूम कपड़े की बिक्री पर	१३,२०१–१४–०
३––कोआपरेटिव सेल्स डिपो पर ..	१,३२,२५०–०–०
४––पब्लिसिटी और प्रोपेगैन्डा पर ..	९,०३८–४–०
५––आर्गेनाइजेशनल एवं सुपरवाइजरी स्टाफ पर	२४,५४८–१२–६
६––इम्प्रूव्ड एपलाइन्सेस पर ..	९५,०००–०–०
७––छोटे रंगाई घरों पर ..	६७,०००–०–०
८––मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन पर ..	२२,६०८–१०–०
योग ..	५,३८,६४७–८–६

ऋण

१––कोआपरेटिव सोसाइटीज को वर्किंग कैपिटल देने पर	१०,००,०००–०–०
योग ..	१०,००,०००–०–०
कुल योग ..	१५,३८,६४७–८–६

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६१ पर)

तालिका

तहसील जसराना के पत्रों की संख्या, जो सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर शिकोहाबाद में रजिस्टर किये गये।

वर्ष		आय
		रु० आ० पा०
१९५१	३९७	३,५०२–१०–०
१९५२	४५२	४,१५५–१४–०
१९५३	४२८	४,०१३– ०–०
१९५४	५४३	५,९१७– ४–०

पी एस० यू० पी०—ए० पी०—३१३ एल० ए०–१९५५–७९६।